



उद्योग विभाग

વચાનિકા આયુષ્યવલ્લભી
 એવં
 શાસ્ત્રાચારી, વૈદ્યપૌરુષ સામાજિક સેવા
 (સી.એસ.આર.), અમરકાંત, જયપુર



प्रगति प्रतिवेदन

2020-21

उद्योग भवन, तिलक मार्ग, जयपुर 302 005



राजस्थान सरकार

कार्यालय आयुक्त उद्योग एवं शासन
सचिव, कॉरपोरेट सामाजिक दायित्व (सीएसआर),
राजस्थान, जयपुर

प्रगति प्रतिवेदन
वर्ष 2020-2021

उद्योग भवन, तिलक मार्ग, जयपुर-302005

अनुक्रमणिका

क्र. सं.	विवरण	पृष्ठ संख्या
	भाग- 1	
	उद्योग विभाग : सामान्य परिचय व कार्यों का संक्षिप्त विवरण	1
1	सामान्य परिचय व कार्यों का संक्षिप्त विवरण	1
2	उद्योग विभाग की शासन स्तर पर सामान्य प्रशासनिक व्यवस्था	8
3	कॉरपोरेट सामाजिक दायित्व (सीएसआर)	9
	भाग- 2	12
	उद्योग विभाग के नियमित कार्य एवं सामान्य योजनाएं	
1	उद्योग पंजीयन संबंधी कार्य	12
(i)	सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यमों के स्थापनार्थ उद्योग आधार/उद्यम रजिस्ट्रीकरण	12
(ii)	वृहद उद्योगों के स्थापनार्थ औद्योगिक उद्यमिता ज्ञापन/पावती (IEM) जारी करना	13
(iii)	भागीदारी फर्मों का पंजीयन (भारतीय भागीदारी अधिनियम, 1932 एवं राजस्थान भागीदारी नियम, 2017 के अन्तर्गत)	13
(iv)	नॉन ट्रेडिंग कम्पनीज का पंजीयन (नॉन ट्रेडिंग कम्पनीज एक्ट, 1960 एवं राजस्थान नॉन ट्रेडिंग कम्पनीज नियम, 1962 के अन्तर्गत)	14
2	उद्योगों हेतु प्रक्रिया सरलीकरण	15
(i)	उद्यम स्थापित करने की प्रक्रियाओं का सरलीकरण	15
(ii)	एकल खिड़की योजना (राजस्थान एन्टरप्राइजेज सिंगल विण्डो एनेबलिंग एण्ड क्लीयरेंस अधिनियम, 2011 के अन्तर्गत)	15
(iii)	उद्यमों का विलंबित भुगतान निस्तारण (राजस्थान सूक्ष्म एवं लघु उद्यम सुविधा परिषद के माध्यम से)	16
3	उद्योगों हेतु आधारभूत संरचना विकास, सामान्य राजकीय सहायता, प्रोत्साहन, पुरस्कार, प्रदर्शनी व शिविर	19
(i)	राजस्थान औद्योगिक विकास नीति 2019	19
(ii)	क्लस्टर विकास योजना – राज्य सरकार व भारत सरकार	21
(iii)	एमएसएमई इन्वेस्टमेंट फैसिलिटेशन सेन्टर्स (एमआईएफसी)	22
(iv)	Scheme for Establishment of Integrated CETPs and Up-gradation of Existing CETPs	23
(v)	राजस्थान सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम सहायता योजना 2015	24
(vi)	राजस्थान निवेश प्रोत्साहन योजना-2014	24
(vii)	राजस्थान निवेश प्रोत्साहन योजना-2019	26
(viii)	राजस्थान सूक्ष्म, लघु व मध्यम उद्यम (फैसिलिटेशन ऑफ एस्टेब्लिशमेंट एण्ड ऑपरेशन) अधिनियम 2019	28
(ix)	राज्य के सूक्ष्म एवं लघु उद्यमों को विपणन (मार्केटिंग) प्रोत्साहन	28

(x)	राजस्थान उद्योग रत्न पुरस्कार (राजस्थान सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम दिवस पर)	30
(xi)	उद्योगों हेतु मेले, प्रदर्शनी व हाट व्यवस्था (उद्यम प्रोत्साहन संस्थान तथा शहरी एवं ग्रामीण हाट के माध्यम से)	31
(xii)	औद्योगिक प्रोत्साहन शिविर	34
(xiii)	विवाद एवं शिकायत निवारण तंत्र (DRM)	34
	भाग- 3 उद्योग विभाग प्रमुख विशिष्ट योजनाएं	35
1	सामान्य स्वरोजगार योजनाएं	35
	(i) प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम	35
	(ii) भामाशाह रोजगार सृजन योजना	38
	(iii) मुख्यमंत्री स्वावलम्बन योजना	38
	(iv) मुख्यमंत्री लघु उद्योग प्रोत्साहन योजना	39
2	हस्तशिल्प एवं संबंधित विकास योजनाएं	40
क	राज्य में हस्तशिल्प : वस्तुस्थिति व सम्भावना – विकास, सम्भावना व हस्तशिल्प उत्पादों का निर्यात	40
ख	हस्तशिल्प विकास योजनाएं	42
	(i) हस्तशिल्पी (आर्टीजन) परिचय पत्र	42
	(ii) शिल्पियों हेतु बाजार सहायता योजना	43
3	हाथकरघा (Handloom) विकास योजनाएं	43
क	हाथकरघा उद्योग : वस्तुस्थिति व सम्भावना	43
ख	हाथकरघा उद्योग से सम्बन्धित योजनाएं	46
	(i) उत्पाद विविधीकरण योजना	47
	(ii) बुनकर पुरस्कार योजना	47
4	कपड़ा (TEXTILE) उद्योग व उससे सम्बन्धित योजनाएं	48
क	कपड़ा उद्योग : वस्तुस्थिति व सम्भावना	48
ख	कपड़ा उद्योग से सम्बन्धित योजनाएं	48
	(i) एकीकृत प्रोसेसिंग विकास योजना	48
	(ii) टैक्सटाईल पार्क योजना	49
5	चर्म उद्योग व उससे सम्बन्धित योजनाएं	50
क	चर्म उद्योग : वस्तुस्थिति व सम्भावना	50

ख	चर्म उद्योग से सम्बन्धित योजनाएं	51
	(i) चर्म प्रशिक्षण	51
	(ii) राजस्थान चर्म शिल्प विकास एवं आधुनिकीकरण योजना, 2012	52
6	नमक उद्योग व उससे सम्बन्धित योजनाएं	53
क	लवण उद्योग : वस्तुस्थिति व सम्भावना— लवण क्षेत्रों में आधारभूत सुविधाओं का विवरण, लवण क्षेत्रों में सर्वेक्षण एवं सीमांकन	53
ख	लवण उद्योग से सम्बन्धित योजनाएं	56
	(i) लवण श्रमिक कल्याण सहायता योजना	56
7	निर्यात (Export)	56
क	निर्यात : वस्तुस्थिति व सम्भावना— राज्य से किये जा रहे निर्यात, सेक्टर वाईज निर्यात वर्ष 2019-20	57
ख	निर्यात से सम्बन्धित योजनाएं	59
	(i) अन्तर्राष्ट्रीय विदेशी व्यापार मेलों में भाग लेने पर सहायता योजना	59
	(ii) निर्यात प्रोत्साहन प्रक्रिया एवं दस्तावेजीकरण पर प्रशिक्षण कार्यक्रम	59
	(iii) राज्य स्तरीय निर्यात पुरस्कार योजना	59
	(iv) राजस्थान निर्यात संवर्द्धन परिषद् (REPC)	65
	(v) राजस्थान निर्यात संवर्द्धन समन्वय परिषद् (REPC)	65
	(vi) जिला स्तरीय निर्यात संवर्द्धन परिषद् (DLEPC)	65
	(vii) एक जिला एक उत्पाद योजना (ODOP SCHEME)	66
8	अल्पसंख्यक कल्याण योजना (15 सूत्रीय कार्यक्रम)	66
9	उद्योग विभाग से संबंधित अन्य प्रमुख संस्थान व कार्य	67
	(i) राष्ट्रीय फैशन तकनीकी संस्थान (NIFT)	67
	(ii) सिरेमिक परीक्षण प्रयोगशाला, बीकानेर	67
	(iii) सेन्ट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ प्लास्टिक्स इंजीनियरिंग एण्ड टेक्नोलॉजी (सिपेट-CIPET)	69
	(iv) ब्रह्मगुप्त अनुसंधान एवं विकास केन्द्र, जोधपुर	69
	(v) एस्पिरर योजना (ASPIRE)	70
10	उद्योग विभाग से संबंधित अन्य कार्य एवं संस्थान	71
	(i) जिला उद्योग केन्द्रों में नये निर्माण/नवीनीकरण कार्य	71
	(ii) ऋण ब्याज वसूली	72

	भाग- 4 परिशिष्ट	73
1.	परिशिष्ट-1 स्वीकृत पदों का विवरण	73
2.	परिशिष्ट-2 बजट (वर्ष 2017-18, 2018-19, 2019-20 एवं 2020-21)	76
3.	परिशिष्ट -3 विभागीय योजनाओं की प्रगति (वर्ष 2017-18, 2018-19, 2019-20 एवं 2020-21)	77
4.	परिशिष्ट -4 प्रमुख कार्यक्रमों में जिला उद्योग केन्द्रवार लक्ष्य एवं उपलब्धियाँ (वर्ष 2017-18)	78
5.	परिशिष्ट -5 प्रमुख कार्यक्रमों में जिला उद्योग केन्द्रवार लक्ष्य एवं उपलब्धियाँ (वर्ष 2018-19)	79
6.	परिशिष्ट -6 प्रमुख कार्यक्रमों में जिला उद्योग केन्द्रवार लक्ष्य एवं उपलब्धियाँ (वर्ष 2019-20)	80
7.	परिशिष्ट-7 प्रमुख कार्यक्रमों में जिला उद्योग केन्द्रवार लक्ष्य एवं उपलब्धियाँ (वर्ष 2020-21 माह दिसम्बर, 2020 तक)	81
8.	परिशिष्ट-8 दो अंकीय कोड वार सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम (एमएसएमई उद्योग) (2007-08 से 2019-20 तक)	82
9.	परिशिष्ट-9 वृहद् एवं मध्यम उद्योगों की जिलेवार तालिका	86
10.	परिशिष्ट-10 उद्योग विभाग मुख्यालय के अधिकारियों की सूची	88
11.	परिशिष्ट-11 जिला उद्योग केन्द्रों के नाम एवं पते की सूची	90

कार्यालय आयुक्त उद्योग, राजस्थान

प्रगति प्रतिवेदन

वर्ष 2020–2021

(दिसम्बर, 2020 तक)

भाग—1

उद्योग विभाग : सामान्य परिचय व कार्यों का संक्षिप्त विवरण

(1) उद्योग विभाग : सामान्य परिचय व कार्यों का संक्षिप्त विवरण

राजस्थान क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य है। किसी भी राज्य के आर्थिक विकास में अर्थव्यवस्था के तीन क्षेत्रों कृषि, उद्योग एवं सेवा में से उद्योग क्षेत्र की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। राज्य के औद्योगिक वातावरण का विकास स्थानीय संसाधनों के अधिकतम उपयोग, परम्परागत दस्तकारों के कौशल, उत्पादकता में सुधार, बुनियादी ढाँचे के लिए समुचित प्रावधान, राज्य में उद्यमियों को निवेश हेतु आकर्षित करने हेतु दीर्घकालीन राजकोषीय एवं निवेश प्रोत्साहन नीति के साथ उद्योगों को वित्तीय सहायता पर निर्भर है। तीव्र औद्योगीकरण के लिए राज्य में आधारभूत संरचना के साथ राज्य सरकार की सहायता, सहयोग एवं मार्गदर्शन की महत्ती आवश्यकता होती है। इस उद्देश्य के दृष्टिगत राज्य में उद्योग, हस्तशिल्प, हाथकरघा तथा सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम श्रेणी के उद्यमों के द्रुतगति से विकास करने, मार्गदर्शन, आवश्यक सहायता एवं सुविधाएँ प्रदान करने हेतु राज्य स्तर पर कार्यालय आयुक्त, उद्योग विभाग एवं जिला स्तर पर जिला उद्योग केन्द्र कार्यरत है।

आयुक्त उद्योग विभाग द्वारा मुख्य रूप से राज्य में लघु एवं सूक्ष्म उद्योगों को प्रोत्साहन, इनके उत्पादों के विपणन में सहायता, क्लस्टर विकास, नमक क्षेत्रों का विकास, हस्तशिल्पियों कारीगरों व दस्तकारों का विकास, हाथकरघा विकास आदि कार्य किया जाता है। राजस्थान को इको सिस्टम के साथ भारत में सबसे पसंदीदा निवेश गंतव्य के रूप में उभारने हेतु समावेशी, संतुलित, सतत् एवं पर्यावरण अनुकूल औद्योगिक विकास करने, आधारभूत ढाँचा सृजित करने, रोजगार के अवसर सृजित करने, संतुलित क्षेत्रीय औद्योगिक विकास को बढ़ावा देने के दृष्टिकोण से राजस्थान औद्योगिक विकास नीति, 2019 दिनांक 19.12.2019 को जारी की गई है। राजस्थान में निवेश को बढ़ावा देने के लिए राज्य सरकार द्वारा राजस्थान निवेश प्रोत्साहन योजना—2019 दिनांक 17.12.2019 से लागू की गई है।

राज्य के सूक्ष्म एवं लघु उद्यमियों के विलम्बित भुगतान के प्रकरणों में सुनवाई कर, उनका समयबद्ध निस्तारण हेतु दिनांक 08.08.2019 को 4 सूक्ष्म एवं लघु उद्यम सुविधा परिषदों का गठन किया गया। दिनांक 25.09.2020 को राज्य में पूर्व में कार्यरत 4 सुविधा परिषदों के स्थान पर 2 राज्य

स्तरीय एवं 7 संभाग स्तरीय सुविधा परिषदों का गठन किया गया तथा उक्त 9 सुविधा परिषदों के कार्यालयों पर प्रभावी नियंत्रण हेतु मुख्यालय पर राजस्थान सूक्ष्म एवं लघु उद्यम सुविधा परिषद्-सचिवालय का गठन किया गया।

राज्य में निर्यात प्रोत्साहन हेतु “राजस्थान निर्यात संवर्धन परिषद” का गठन दिनांक 08.11.2019 एवं “राजस्थान निर्यात संवर्धन समन्वय परिषद” का गठन दिनांक 25.10.2019 को किया गया।

विभाग द्वारा प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम, मुख्यमंत्री लघु उद्योग प्रोत्साहन योजना (दिनांक 13.12.2019 से लागू) के माध्यम से मार्जिन मनी/कम ब्याज दर पर व्यापार, सेवा एवं विनिर्माण क्षेत्र के उद्योगों की स्थापना, विविधीकरण एवं विस्तार हेतु ऋण उपलब्ध कराया जाता है।

इसके अतिरिक्त विभाग द्वारा स्वरोजगार हेतु क्षमता में वृद्धि के लिए तकनीकी प्रशिक्षण प्रदान करने, परम्परागत हस्तशिल्प, दस्तकारी, शिल्पकारी एवं हाथकरघा आदि हुनरों को जीवन्त रखकर प्रोत्साहित करने तथा इनमें आधुनिकता के सम्मिश्रण हेतु विभिन्न प्रकार के प्रशिक्षण एवं सहायता उपलब्ध कराने का कार्य भी किया जा रहा है।

राज्य में कम्पनी अधिनियम, 2013 के अन्तर्गत कॉरपोरेट सामाजिक दायित्व (सीएसआर) के प्रावधानों को समुचित रूप से क्रियान्वित करने, इसमें समन्वय कर समुचित सहयोग प्राप्त करने, विभिन्न औद्योगिक समूहों से समन्वय स्थापित कर उनसे आवश्यक सुझाव प्राप्त करने, उन्हें नवीन प्रावधानों के संबंध में यथोचित मार्गदर्शन प्रदान करने एवं प्राप्त राशि से समुचित आधारभूत सुविधाओं का सृजन एवं विकास करने के लिये राज्य सरकार की अधिसूचना दिनांक 05.11.2019 द्वारा राजस्थान कॉरपोरेट सामाजिक दायित्व (सीएसआर) प्राधिकरण का गठन किया गया है।

नवीन सूक्ष्म, लघु व मध्यम उद्यमों की सरल स्थापना हेतु उद्यमों को प्रारम्भिक 3 वर्षों में राज्य के विभिन्न एक्ट्स के अधीन दी जाने वाली स्वीकृतियों एवं सम्बन्धित निरीक्षणों से मुक्त करने हेतु राजस्थान सूक्ष्म, लघु व मध्यम उद्यम (फैसिलिटेशन ऑफ एस्टेब्लिशमेन्ट एण्ड ऑपरेशन) अध्यादेश, 2019 दिनांक 04.03.2019 को तथा अधिनियम के रूप में दिनांक 17.07.2019 को अधिसूचित किया गया है।

इण्डियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 के तहत आयुक्त, उद्योग विभाग राज्य में भागीदारी फर्मों के पंजीयन हेतु रजिस्ट्रार ऑफ फर्म्स का कार्य भी सम्पादित करता है। सभी महाप्रबन्धक, जिला उद्योग केन्द्र सहायक रजिस्ट्रार ऑफ फर्म्स के रूप में कार्य करते हैं। इसके अतिरिक्त विभाग द्वारा नॉन ट्रेडिंग कम्पनीज एक्ट, 1960 एवं राजस्थान नॉन ट्रेडिंग कम्पनीज नियम, 1962 के अन्तर्गत नॉन ट्रेडिंग कम्पनीज का पंजीयन का कार्य भी किया जाता है। राज्य में दिनांक 18.09.2015 से उद्यमिता ज्ञापनों की जिला उद्योग केन्द्र द्वारा जारी की जाने वाली अभिस्वीकृतियों के स्थान पर भारत सरकार द्वारा उद्योग आधार अभिज्ञापन जारी करने की व्यवस्था ऑनलाइन की गई है। उद्योग आधार अभिज्ञापन के स्थान पर दिनांक 01.07.2020 से एमएसएमई मंत्रालय भारत सरकार द्वारा उद्यम रजिस्ट्रेशन की व्यवस्था प्रारम्भ की गई है।

विभाग द्वारा राज्य में न केवल रोजगार के अवसरों में वृद्धि के लिए नये उद्यमियों को उद्योग स्थापना हेतु मुख्यालय एवं जिला स्तर पर स्थापित औद्योगिक मार्गदर्शन ब्यूरो के माध्यम से सभी प्रकार का मार्गदर्शन एवं परामर्श दिया जाता है, बल्कि अन्य विभागों से समन्वय कर अनापत्ति/सहमति की सुविधा भी उपलब्ध करवायी जा रही है। जिला उद्योग केन्द्रों के माध्यम से उद्यमियों को राज्य में उद्योग स्थापित करने हेतु मार्गदर्शन, सहायता एवं सुविधाएं एक ही स्थान पर उपलब्ध कराई जाती है।

वर्तमान में राज्य में 36 जिला उद्योग केन्द्र एवं 8 उपकेन्द्र ब्यावर, फालना, आबूरोड, बालोतरा, मकराना, किशनगढ़, नीमराना एवं सुजानगढ़ कार्यरत हैं।

उद्योग विभाग के प्रमुख कार्य

क्र.सं.	प्रमुख कार्य
1.	राज्य में उद्योग संवर्धन में नोडल विभाग की भूमिका निभाना।
2.	राज्य के औद्योगिक वातावरण का विकास, स्थानीय संसाधनों के अधिकतम उपयोग, परम्परागत दस्तकारों के कौशल, उत्पादकता में सुधार, बुनियादी ढाँचे के लिए समुचित प्रावधान हेतु आवश्यक कार्यवाही करना एवं नीति बनाना।
3.	राज्य में उद्यमियों को निवेश हेतु आकर्षित करने के लिए दीर्घकालीन राजकोषीय एवं निवेश प्रोत्साहन नीति निर्माण में सहयोग करना।
4.	उद्यमिता एवं रोजगार हेतु विभिन्न राजकीय योजनाओं का संचालन करना।
5.	हस्तशिल्प, हाथकरघा तथा सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम श्रेणी के उद्यमों का विकास करना।
6.	हस्तशिल्पियों, कारीगरों व दस्तकारों की समस्याओं का निवारण करते हुए उनका विकास करना।
7.	इण्डियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 के तहत आयुक्त, उद्योग विभाग राज्य में भागीदारी फर्मों के पंजीयन हेतु रजिस्ट्रार ऑफ फर्म्स का कार्य सम्पादित करना। नॉन ट्रेडिंग कम्पनीज एक्ट, 1960 एवं राजस्थान नॉन ट्रेडिंग कम्पनीज नियम, 1962 के अन्तर्गत नॉन ट्रेडिंग कम्पनीज का पंजीयन करना।
8.	उत्पादों के विपणन में सहायता करना, इस हेतु मेला, शिविर, संगोष्ठी, सेमिनार कार्यशाला आदि का आयोजन करना।
9.	औद्योगीकरण के लिए राज्य में आधारभूत संरचना के विकास में सहयोग प्रदान करना, उद्योगों के लिए उनके समुचित क्लस्टर विकास हेतु कार्यवाही करना।
10.	उद्योगों से संबंधित समस्याओं और औद्योगीकरण में आने वाली बाधाओं के निराकरण में समन्वयकारी भूमिका निभाना।

राज्य में वृहद एवं मध्यम उद्योगों की वर्तमान स्थिति (अनुमानित स्थिति 31.03.2020 तक)

क्र.सं.	उद्योग की श्रेणी	संख्या	निवेश राशि (करोड़ रु.)	रोजगार की संख्या
1.	वृहद उद्योग	452	148541.78	221573
2.	मध्यम उद्योग	235	2018.42	19471
	योग	687	150560.20	241044

नोट:— राज्य में 31.03.2020 तक कुल लगभग 9.07 लाख सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम पंजीकृत हैं, जिनमें लगभग 83064.70 करोड़ रु. से अधिक की राशि का निवेश हो चुका है और 41.97 लाख से अधिक लोगों को रोजगार का अवसर प्राप्त हुआ है।

● **उद्योग स्थापना व संचालन से जुड़े विभिन्न चरण व उद्योग विभाग के कार्य**

वस्तुतः उद्योग स्थापना से लेकर उसके संचालन तक अनेक चरणों में अनेक स्तरों पर सहयोग एवं मार्गदर्शन की आवश्यकता पड़ सकती है, जिनका सामान्य विवरण निम्नानुसार है:—

क्र.सं.	कार्य	उद्योग विभाग के कार्य
1.	उद्योग का पंजीयन	इसमें सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यमों को उद्यम रजिस्ट्रेशन अनुज्ञापन ऑनलाईन जारी करने का प्रावधान है। साथ ही इंडियन पार्टनरशिप एक्ट एवं नॉन ट्रेडिंग कम्पनीज एक्ट में भी पंजीयन किया जाता है।
2.	उद्योग हेतु भूमि आवंटन	यह कार्य मुख्यतः रीको क्षेत्र में रीको द्वारा किया जाता है। अन्य क्षेत्र में भूमि आरक्षित होने पर उस क्षेत्र में भू-खण्ड आवंटन जिला कलक्टर/आयुक्त उद्योग द्वारा किया जाता है।
3.	उद्योग हेतु ऋण वितरण	इसमें रोजगार सृजन व उद्योग संचालन हेतु विभिन्न योजनाएं चलाई जाती हैं। इसमें विभिन्न प्रकार के अनुदान व सहायता दी जाती है।
4.	उद्योग हेतु प्रशिक्षण	इसमें मुख्यतः हस्तशिल्प/हाथकरघा, चर्म उद्योग आदि के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम चलाए जाते हैं।
5.	उद्योग हेतु विपणन	उद्योग विभाग इसके लिए उद्योग प्रोत्साहन संस्थान के माध्यम से विभिन्न मेले व प्रदर्शनियां आयोजित करता है। अन्तरराष्ट्रीय प्रदर्शनियों में भाग लेने हेतु निर्यातकों को प्रोत्साहित करने के लिए ग्राउंड रेन्ट सब्सिडी दी जाती है।

उद्योग को प्रारम्भ करने के लिए उद्योग के पंजीयन अथवा ज्ञापन आदि प्राप्त करने से संबंधित महत्वपूर्ण नियम/अधिनियम व प्रावधान

सामान्य तौर पर किसी उद्योग को प्रारम्भ करने के लिए उद्योग के पंजीयन की आवश्यकता नहीं होती, किन्तु उसमें नियोजित होने वाले श्रमिकों, प्रयुक्त होने वाली मशीनरी एवं उत्सर्जित होने वाले प्रदूषण के नियन्त्रण के लिए विभिन्न विभागों के अन्तर्गत संबंधित नियम/अधिनियम पंजीयन कराने अथवा अनापत्ति/प्रमाणपत्र का प्रावधान है। इसके अतिरिक्त किसी उद्योग के संचालन हेतु अनेक विभागों की सेवाओं या सुविधाओं की आवश्यकता होती है, जिसमें उनके द्वारा यथा अपेक्षित उद्योग के पंजीयन क्रमांक की मांग की जाती है। ऐसी स्थिति में सुविधा हेतु कोई उद्यमी उद्योग का पंजीयन अपने अनुरूप नियम या अधिनियम के अन्तर्गत करा सकता है। भारत सरकार की वेबसाइट <https://udyogaadhaar.gov.in> / पर जा कर कोई अपने लघु, सूक्ष्म या मध्यम उद्योग के लिए उद्योग आधार ज्ञापन (UAM) प्रस्तुत कर, तत्काल निशुल्क उद्योग आधार प्राप्त कर सकता था। एमएसएमई मंत्रालय भारत सरकार द्वारा दिनांक 01.07.2020 से उद्यम रजिस्ट्रेशन की व्यवस्था प्रारम्भ की गई है। ईएम (पार्ट-11)/ उद्योग आधार मेमोरेण्डम (UAM) के अधीन पंजीकृत सभी विद्यमान उद्यम 01.07.2020 को या उसके पश्चात उद्यम रजिस्ट्रीकरण पोर्टल पर फिर से रजिस्ट्रीकरण करेंगे तथा 30 जून, 2020 से पहले पंजीकृत विद्यमान उद्यम केवल 31 मार्च, 2021 तक की अवधि के लिए विधिमान्य रहेंगे।

उद्यम रजिस्ट्रीकरण की नवीन व्यवस्था पूर्णतः ऑनलाईन है, जिसके तहत रजिस्ट्रेशन हेतु ऑनलाईन पोर्टल <https://udyamregistration.gov.in/> पर आवेदन प्रस्तुत करना होता है। इसी प्रकार भारत सरकार की वेबसाइट <https://services.dipp.gov.in/lms/iemServices> पर जा कर कुछ विहित औपचारिकताओं की पूर्ति कर, कोई अपने वृहद उद्योग के लिए औद्योगिक उद्यमिता ज्ञापन (IEM) प्रस्तुत कर, पावती की सूचना (Acknowledgement) प्राप्त कर सकता है।

वर्तमान में कोई उद्यमी अपनी आवश्यकता के अनुरूप अनेक विभागों में अथवा अनेक अधिनियमों के अन्तर्गत उद्यम के पंजीयन/प्रमाण पत्र/ अनापत्ति के संबंध में कार्यवाही करता है, जिनमें कुछ प्रावधानों की सूची निम्नानुसार है:-

S.No.	Acts	Department
1.	Companies Act 2013	Registrar of Companies
2.	Partnership Act 1932	Industries Department
3.	Rajasthan Partnership Rules	Industries Department
4.	Non- Trading Companies Act 1960	Industries Department
5.	Rajasthan Non-Trading Companies Rules 2017	Industries Department
6.	Rajasthan Shops and Commercial Establishments Act, 1958	Labour Department
7.	Factories Act 1948 & Boilers Act 1923	Labour Department
8.	Indian Trust Act 1920	Registration & Stamps Department
9.	Rajasthan Public Trust Act 1959	Devasthan Department
10.	Rajasthan Public Trust Rules 1962	Devasthan Department
11.	Societies Registration Act 1860	Co-operative Department
12.	The Air (Prevention and Control of Pollution) Act 1981	Pollution Control Board
13.	The Water (Prevention and Control of Pollution) Act 1974	Pollution Control Board
14.	The Environment (Protection) Act 1986	Pollution Control Board

उक्त सूची केवल सुलभ संदर्भार्थ है। इनमें नियमों एवं प्रावधानों में समयानुसार परिवर्तन होते रहते हैं, जो तदनुरूप देखे जा सकते हैं।

विभाग द्वारा राज्य में औद्योगिक विकास हेतु विभिन्न योजनाएँ/कार्यक्रम संचालित किये जा रहे हैं, जिनका विवरण अग्रलिखित है :-

क्र.सं.	योजना का नाम व विवरण	टिप्पणी
(क)	उद्योग पंजीयन संबंधी कार्य	
1.	सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यमों के स्थापनार्थ उद्यम रजिस्ट्रीकरण जारी करना	भारत सरकार
2.	वृहद उद्योगों की स्थापनार्थ औद्योगिक उद्यमिता पावती (IEM) जारी करना	भारत सरकार
3.	भागीदारी फर्मों का पंजीयन	राज्य सरकार
4.	नॉन ट्रेडिंग कम्पनीज एक्ट, 1960 एवं राजस्थान नॉन ट्रेडिंग कम्पनीज नियम, 1962 के अन्तर्गत नॉन ट्रेडिंग कम्पनीज का	राज्य सरकार

	पंजीयन	
(ख)	उद्योगों को सामान्य राजकीय सहायता, प्रोत्साहन व पुरस्कार	
5.	राजस्थान सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम सहायता योजना 2015	राज्य सरकार
6.	राजस्थान निवेश प्रोत्साहन योजना-2014	राज्य सरकार
7.	राजस्थान निवेश प्रोत्साहन योजना-2019	राज्य सरकार
8.	राज्य के सूक्ष्म एवं लघु उद्यमों को विपणन (मार्केटिंग) प्रोत्साहन	राज्य सरकार
9.	राजस्थान उद्योग रत्न पुरस्कार	राज्य सरकार
(ग)	सामान्य स्वरोजगार योजनाएँ	
10.	(I) प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम	भारत सरकार
11.	(II) भामाशाह रोजगार सृजन योजना	राज्य सरकार
12.	(III) मुख्यमंत्री लघु उद्योग प्रोत्साहन योजना	राज्य सरकार
(घ)	हस्त शिल्प विकास योजनाएँ	
13.	(I) आर्टीजन परिचय पत्र	राज्य सरकार
14.	(II) ब्याज अनुदान योजना	राज्य सरकार
15.	(III) शिल्पियों हेतु बाजार सहायता योजना	राज्य सरकार
(ङ)	हाथकरघा विकास योजनाएँ	
16.	(I) उत्पाद विविधीकरण योजना	राज्य सरकार
17.	(III) बुनकर पुरस्कार योजना	राज्य सरकार
(च)	कपड़ा (TEXTILE) उद्योग से सम्बन्धित योजनाएँ	
18.	(I) एकीकृत कौशल विकास योजना	भारत सरकार
19.	(II) एकीकृत प्रोसेसिंग विकास योजना	भारत सरकार
(छ)	चर्म उद्योग सम्बन्धी योजनाएँ	
20.	(I) चर्म प्रशिक्षण	राज्य सरकार
21.	(II) राजस्थान चर्म शिल्प विकास एवं आधुनिकीकरण योजना, 2012	राज्य सरकार
(ज)	नमक उद्योग से सम्बन्धित योजनाएँ	
22.	(III) लवण श्रमिक कल्याण योजना	राज्य सरकार
(झ)	निर्यात सम्बन्धी योजनाएँ	
23.	(I) अन्तर्राष्ट्रीय विदेशी व्यापार मेलों में भाग लेने पर सहायता योजना	राज्य सरकार
24.	(II) निर्यात प्रोत्साहन प्रक्रिया एवं दस्तावेजीकरण पर प्रशिक्षण कार्यक्रम	राज्य सरकार
25.	(III) राज्य स्तरीय निर्यात पुरस्कार योजना	राज्य सरकार
26.	अल्पसंख्यक कल्याण योजना (15 सूत्रीय कार्यक्रम)	राज्य सरकार

(2) उद्योग विभाग, राजस्थान सरकार—प्रशासनिक व्यवस्था

राज्य स्तर पर उद्योग विभाग की प्रशासनिक व्यवस्था निम्नानुसार है:-

माननीय उद्योग मंत्री



माननीय उद्योग राज्य मंत्री



शासन सचिव, उद्योग व एमएसएमई		
(ग्रुप-1)	(ग्रुप-2)	
संयुक्त शासन सचिव, उद्योग	संयुक्त शासन सचिव	सहायक शासन सचिव

उद्योग विभाग से संबंधित विभाग, निगम एवं बोर्ड

ग्रुप-1	ग्रुप-2
- आयुक्त, उद्योग - राजस्थान राज्य औद्योगिक विकास एवं विनियोजन निगम (रीको) - निवेश संवर्धन ब्यूरो - राजस्थान वित्त निगम	- आयुक्त, उद्योग - राजस्थान लघु उद्योग निगम - राजस्थान गैर कृषि ग्रामीण विकास अभिकरण (रूडा) - राजस्थान खादी एवं ग्रामोद्योग बोर्ड - राजस्थान राज्य बुनकर सहकारी संघ - राजस्थान राज्य हाथकरघा विकास निगम - उद्यम प्रोत्साहन संस्थान - शिल्प एवं माटी कला बोर्ड

राज्य सरकार के स्तर पर आयुक्त उद्योग के कार्यों का विभाजन

ग्रुप-1	ग्रुप-2	
1. आधारभूत सुविधाएं एवं विकास (भू-आवंटन सहित) 2. निर्यात संवर्धन 3. राजस्थान निवेश प्रोत्साहन योजना (RIPS) 4. ईज ऑफ डूइंग बिजनेस	1. संस्थापन संबंधी कार्य 2. रजिस्ट्रार ऑफ फर्म संबंधी कार्य 3. रोजगार सृजन संबंधी योजनाएं (प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम / भामाशाह रोजगार सृजन योजना / मुख्यमंत्री	9. औद्योगिक सलाहकार समिति संबंधी कार्य (राज्य स्तर) 10. उद्यम संबंधी अन्य नीतियां व योजनाएं • सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम नीति 2015 (एम. एस.एम.ई.)

(EoDB) 5. राजस्थान औद्योगिक विकास नीति- 2019	लघु उद्योग प्रोत्साहन योजना-2019) 4. टेक्सटाईल, हाथकरघा विकास, हस्तकला विकास, चर्म उद्योग, नमक उद्योग संबंधी योजनाएं 5. राज्य क्लस्टर विकास कार्यक्रम 6. उद्योग मेला/प्रदर्शनी 7. राजस्थान क्राफ्ट कॉउन्सिल 8. उद्यम निवेश सुविधा केंद्र (एम.आई.एफ.सी.)	पॉलिसी-2015) • सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम विकास अधिनियम-2006 • सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम (एम.एस.एम.ई.) सहायता योजना-2015 • सूक्ष्म, लघु और मध्यम (स्थापना एवं प्रवर्तन का सुकरीकरण) अधिनियम 2019 • शिकायत एवं विवाद निवारण तंत्र (DRM)
--	---	---

(3) कॉरपोरेट सामाजिक दायित्व (सीएसआर)

पात्रता एवं प्रावधान:

- भारतीय कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 135 के अनुसार ऐसी कम्पनी जिसकी वार्षिक आधार पर Networth 500 करोड़ या अधिक अथवा Turnover 1000 करोड़ या अधिक अथवा Net Profit 5 करोड़ या अधिक हो, ऐसी कम्पनियों को CSR के तहत उनके विगत 3 वर्षों में अर्जित शुद्ध लाभ के औसत का 2 प्रतिशत उनकी सीएसआर कमेटी में लिये गये निर्णयानुसार शेड्यूल-VII में उल्लेखित गतिविधियों में व्यय किये जाने का प्रावधान है।
- भारतीय कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 135 के अनुसार सीएसआर कम्पनीज केवल रजिस्ट्रार ऑफ कम्पनीज, कॉरपोरेट कार्य मंत्रालय, भारत सरकार को ही अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करने हेतु निर्देशित हैं तथा कम्पनियों द्वारा व्यय की जाने वाली सीएसआर राशि की मॉनिटरिंग करने का राज्य सरकार को अधिकार प्राप्त नहीं है।
- कॉरपोरेट कार्य मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जारी अधिसूचना दिनांक 27.02.2014 द्वारा कम्पनी (कॉरपोरेट सामाजिक दायित्व नीति) नियम, 2014 के बिन्दु संख्या 5 के अनुसार कम्पनियों द्वारा सीएसआर समिति गठित की जाती है एवं उक्त सीएसआर समिति में लिये गये निर्णयों के अनुसार ही सीएसआर कम्पनियों द्वारा सीएसआर राशि का व्यय किया जाता है।

कॉरपोरेट सामाजिक दायित्व (सीएसआर) के संबंध में राज्य सरकार द्वारा किये गये प्रयास

राज्य सरकार द्वारा राज्य में सी.एस.आर. के अन्तर्गत निवेश किये जा रहे फण्ड्स के सही उपयोग हेतु सर्वप्रथम दिनांक 24.12.2014 को शासन सचिव सी.एस.आर. के पद का अतिरिक्त कार्यभार आयुक्त उद्योग विभाग को सौंपा गया।

उद्योग विभाग, राजस्थान सरकार द्वारा अद्वितीय एवं परस्पर संवादात्मक राजस्थान सीएसआर वेब पोर्टल (www.csr.rajasthan.gov.in) विकसित किया गया है। यह पोर्टल राज्य में संचालित सीएसआर कम्पनियों, सीएसआर परियोजनाओं/कार्यक्रमों की पहचान करने तथा सूचीबद्ध करने हेतु डिजाईन किया गया है। कॉरपोरेट कार्य मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जारी किये गये कंपनी अधिनियम, 2013 तथा सीएसआर नीति नियम, 2014 के तहत पोर्टल सीएसआर वित्त पोषण के लिये परियोजनाओं/कार्यक्रमों तथा क्रियान्वयन एजेन्सीज की पहचान करने एवं उन्हें सुविधा प्रदान करने में मदद करता है। कम्पनियां सीधे ही क्रियान्वयन एजेंसी को उनकी सीएसआर परियोजना क्रियान्वित करने हेतु सिफारिश कर सकती है।

उक्त पोर्टल की वर्तमान वस्तुस्थिति निम्नानुसार है :—

कॉरपोरेट उपयोगकर्ता — 122

सरकारी उपयोगकर्ता — 21

क्रियान्वयन एजेन्सीज — 260

सर्विस प्रोवाइडर— 47

राज्य में कम्पनी अधिनियम, 2013 के अन्तर्गत कॉरपोरेट सामाजिक दायित्व (सीएसआर) के प्रावधानों को समुचित रूप से क्रियान्वित करने, इसमें समन्वय कर समुचित सहयोग प्राप्त करने, विभिन्न औद्योगिक समूहों से समन्वय स्थापित कर उनसे आवश्यक सुझाव प्राप्त करने, उन्हें नवीन प्रावधानों के संबंध में यथोचित मार्गदर्शन प्रदान करने एवं प्राप्त राशि से समुचित आधारभूत सुविधाओं का सृजन एवं विकास करने के लिये राज्य सरकार की अधिसूचना दिनांक 05.11.2019 द्वारा राजस्थान कॉरपोरेट सामाजिक दायित्व (सीएसआर) प्राधिकरण का गठन किया गया है।

सीएसआर प्राधिकरण में माननीय मुख्यमंत्री महोदय की अध्यक्षता में उच्च स्तरीय 19 सदस्यीय परामर्शदात्री मण्डल और मुख्य सचिव महोदय की अध्यक्षता में 18 सदस्यीय प्राधिकरण तथा आयुक्त, उद्योग एवं विशिष्ट शासन सचिव, सीएसआर की मुख्यकार्यकारित्व में 6 सदस्यीय अधिशाषी समिति का गठन किया गया है। सीएसआर प्राधिकरण हेतु गठित परामर्शदात्री मण्डल एवं प्राधिकरण के सदस्यों में राज्य सरकार द्वारा मनोनीत 4-4 उद्योग जगत के उद्यमी/प्रतिनिधि भी होंगे तथा इनका कार्यकाल 3 वर्ष होगा।

सीएसआर प्राधिकरण राज्य में विभिन्न औद्योगिक समूहों से समन्वय स्थापित करते हुये उन्हें भारतीय कम्पनी अधिनियम के तहत कॉरपोरेट सामाजिक दायित्व के प्रावधानों व गतिविधियों के संबंध में मार्गदर्शन देने के साथ ही परस्पर समन्वय स्थापित करते हुये सीएसआर गतिविधियों का संचालन करेगा। राज्य में प्राधिकरण स्तर पर सीएसआर कोष स्थापित किया जायेगा और इस कोष में उपलब्ध राशि से प्रदेश में राज्य की प्राथमिकताओं के अनुसार आधारभूत सुविधाओं का सृजन और संवर्द्धन किया जायेगा। इसके लिये औद्योगिक समूहों से भी सुझाव लिये जायेंगे।

राज्य में संचालित 146 सीएसआर कम्पनियों से प्राप्त सूचनानुसार उनके द्वारा वर्ष 2015-16 में 382.72 करोड़, वर्ष 2016-17 में 405.79 करोड़, वर्ष 2017-18 में 467.51 करोड़ तथा वर्ष 2018-19 में 505.45 करोड़ रुपये सीएसआर के तहत व्यय किये गये हैं।

दिनांक 07.03.2017 को एस.एम.एस. कन्वेंशन सेंटर, रामबाग पैलेस, जयपुर में प्रथम राजस्थान सीएसआर समिट-2017 का आयोजन अन्तरा फाउण्डेशन के साथ कॉरपोरेट्स के सहयोग से किया गया जिसमें सीएसआर के क्षेत्र में श्रेष्ठ कार्य करने वाली कुल 14 कम्पनियों एवं 3 क्रियान्वयन एजेन्सीज को राजस्थान सीएसआर एक्सीलेंसी अवार्ड प्रदान किये गये तथा राजस्थान सीएसआर एक दृष्टि में पुस्तक का विमोचन किया गया।

दिनांक 06.02.2018 को होटल द ललित, जयपुर में द्वितीय राजस्थान सीएसआर समिट-2018 का आयोजन एनजीओ बॉक्स के साथ कॉरपोरेट्स के सहयोग से किया गया जिसमें सीएसआर के क्षेत्र में श्रेष्ठ कार्य करने वाली कुल 7 कम्पनियों एवं 5 क्रियान्वयन एजेन्सीज को अवार्ड दिये गये तथा राजस्थान सीएसआर रिपोर्ट-2018 का विमोचन किया गया।

दिनांक 04.06.2019 को जयपुर मैरियट होटल, जयपुर में तृतीय राजस्थान सीएसआर समिट-2019 का आयोजन एनजीओ बॉक्स के संयुक्त तत्वावधान में किया गया जिसमें सीएसआर के 11 क्षेत्रों में श्रेष्ठ कार्य करने वाली कुल 9 कम्पनियों एवं 8 क्रियान्वयन एजेन्सीज को अवार्ड दिये गये तथा राजस्थान सीएसआर रिपोर्ट-2019 का विमोचन किया गया।

आयुक्त, उद्योग एवं शासन सचिव, सीएसआर के स्तर से 22 प्रमुख विभागों के पदाधिकारियों को राजस्थान सीएसआर वेब-पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन कराकर, उनके प्रोजेक्ट्स/प्रोग्राम्स को अपलोड/अपडेट किये जाने हेतु निवेदन किया गया।

राज्य में दिनांक 03.11.2015 को एक सीएसआर कॉन्क्लेव का आयोजन किया गया, जिसमें 56 कम्पनियों द्वारा भाग लिया गया।

प्रमुख सीएसआर एमओयू

- बारां जिले की 44 ग्राम पंचायतों में संचालित 106 आंगनबाड़ी केन्द्रों एवं शाहबाद, किशनगंज ब्लॉक में संचालित 60 प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों के नवीनीकरण हेतु पॉवर ग्रिड कॉरपोरेशन ऑफ इण्डिया लि., ग्रामीण विकास ट्रस्ट (कार्यकारी एजेन्सी) तथा जिला कलक्टर, बारां के मध्य सीएसआर के तहत रुपये 9.00 करोड़ का त्रिपक्षीय अनुबंध दिनांक 10.06.2019 को हस्ताक्षरित किया गया।
- सीएसआर वेब पोर्टल के संचालन हेतु आयुक्त उद्योग एवं सचिव सीएसआर, हिन्दुस्तान जिंक लि. उदयपुर एवं गिरनार सॉफ्टवेयर जयपुर के मध्य एक त्रिपक्षीय अनुबंध दिनांक 22.08.2016 को हस्ताक्षरित किया गया।
- श्री सीमेन्ट-डीडवाना शिक्षा समिति, डीडवाना।
- राजस्थान टेक्सटाईल मिल्स एसोसिएशन-राजस्थान स्टेट स्पोर्ट्स कॉउन्सिल, राज्य में खेलकूद संबंधी आधारभूत सुविधाओं के विकास हेतु।

भाग-2

उद्योग विभाग के नियमित कार्य एवं सामान्य योजनाएं

(1) उद्योग पंजीयन संबंधी कार्य

(i) सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यमों के स्थापनार्थ उद्योग आधार/उद्यम रजिस्ट्रीकरण

दिनांक 14.09.2015 से सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम विकास मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा **Ease of Doing Business** के तहत उद्योग आधार मेमोरेण्डम प्रणाली प्रारंभ की गई। इसके तहत उद्यम स्थापना से पूर्व पंजीयन की प्रक्रिया को समाप्त करते हुए उत्पादन पश्चात् उद्योग आधार मेमोरेण्डम ऑनलाईन जारी करने की प्रक्रिया प्रारंभ की गई।

उद्योग आधार पंजीयन व्यवस्था के तहत वर्षवार प्रगति निम्नानुसार है:-

क्र०सं०	वर्ष	ऑनलाईन जारी UAM(संख्या)	नियोजन/रोजगार के प्रस्ताव (संख्या)	विनियोजन प्रस्ताव (करोड़ रु.)
1.	2017-18	1,02,515	4,39,289	10,917.08
2	2018-19	1,04,584	4,65,445	11,589.64
3	2019-20	1,46,472	6,17,245	16,011.71
4.	2020-21 (माह जून, 2020 तक)	29,185	1,69,395	6,058.44

एमएसएमई मंत्रालय भारत सरकार द्वारा दिनांक 01.07.2020 से उद्यम रजिस्ट्रेशन की व्यवस्था प्रारम्भ की गई है। ईएम (पार्ट- II)/ उद्योग आधार मेमोरेण्डम (UAM) के अधीन पंजीकृत सभी विद्यमान उद्यम 01.07.2020 को या उसके पश्चात् उद्यम रजिस्ट्रीकरण पोर्टल पर फिर से रजिस्ट्रीकरण करेंगे तथा 30 जून, 2020 से पहले पंजीकृत विद्यमान उद्यम केवल 31 मार्च, 2021 तक की अवधि के लिए विधिमान्य रहेंगे।

उद्यम रजिस्ट्रीकरण की नवीन व्यवस्था पूर्णतः ऑनलाईन है, जिसके तहत रजिस्ट्रेशन हेतु ऑनलाईन पोर्टल <https://udyamregistration.gov.in/> पर आवेदन प्रस्तुत करना होता है।

(ii) वृहद उद्योगों के स्थापनार्थ औद्योगिक उद्यमिता ज्ञापन/पावती (IEM) जारी करना

राज्य में वृहद उद्योगों की स्थापनार्थ उद्यमियों द्वारा भारत सरकार को प्रस्तुत किये गये अभ्यावेदन उपरान्त भारत सरकार द्वारा जारी किये गये औद्योगिक उद्यमिता ज्ञापन (IEM) एवं उनमें प्राप्त निवेश/विनियोजन की वर्ष वार स्थिति निम्नानुसार है :-

क्र० सं०	वर्ष (जनवरी से दिसम्बर तक)	भारत सरकार द्वारा ऑनलाईन जारी IEM(संख्या)	विनियोजन (करोड़ रु.)
1	2017	99	7252.00
2	2018	92	39606.00
3	2019	100	10108.00
4	2020	40	12698.00

राजस्थान सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम दिवस

राज्य सरकार द्वारा प्रतिवर्ष विश्वकर्मा दिवस 17 सितम्बर को राजस्थान सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम दिवस समारोह के रूप में मनाया जाता है। इस दिन राज्य स्तरीय समारोह में उत्कृष्ट उद्यमियों, बुनकरों एवं हस्तशिल्पियों को सम्मानित किया जाता है। जिला स्तरीय समारोह में उद्यमियों, बुनकरों एवं हस्तशिल्पियों को आमंत्रित कर संगोष्ठी आयोजित की जाकर राज्य व केन्द्र सरकार की विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं, उनके लिए उपयोगी प्रावधानों एवं नियमों की जानकारी प्रदान की जाती है।

(iii) भागीदारी फर्मों का पंजीयन

(भारतीय भागीदारी अधिनियम, 1932 एवं राजस्थान भागीदारी नियम, 2017 के अन्तर्गत)

कार्यालय आयुक्त, उद्योग विभाग द्वारा राज्य के सभी जिलों में महाप्रबन्धक, जिला उद्योग केन्द्र द्वारा रजिस्ट्रार ऑफ फर्म्स के रूप में राज्य की भागीदारी फर्मों का पंजीयन भारतीय भागीदारी अधिनियम, 1932 एवं राजस्थान भागीदारी नियम, 2017 के अन्तर्गत किया जाता है।

राजस्थान भागीदारी नियम, 2017 द्वारा दिनांक 31.10.2017 से राज्य में नई भागीदारी फर्मों के पंजीयन की प्रक्रिया ऑनलाईन कर दी गई है। ऑनलाईन आवेदन sso.rajasthan.gov.in वेब पोर्टल के माध्यम से किये जा सकते हैं। ऑनलाईन आवेदन पत्रों का पंजीयन करने की

समयावधि आवेदन प्राप्ति की तिथि से 7 कार्य दिवस निर्धारित है। राज्य में भागीदारी फर्मों के पंजीयन की वर्षवार स्थिति निम्नानुसार है :-

क्र०सं०	वर्ष	भागीदारी फर्म	
		पंजीयन संख्या	राशि (लाख रु.)
1.	2017-18	4800	14.22
2.	2018-19	4674	15.09
3.	2019-20	4399	15.54
4.	2020-21 (माह दिसम्बर, 2020 तक)	2426	12.69

(iv) नॉन ट्रेडिंग कम्पनीज का पंजीयन

(नॉन ट्रेडिंग कम्पनीज एक्ट, 1960 एवं राजस्थान नॉन ट्रेडिंग कम्पनीज नियम, 1962 के अन्तर्गत)

कार्यालय आयुक्त, उद्योग विभाग द्वारा नॉन ट्रेडिंग कम्पनीज एक्ट, 1960 एवं राजस्थान नॉन ट्रेडिंग कम्पनीज नियम, 1962 के अन्तर्गत नॉन ट्रेडिंग कम्पनीज का पंजीयन किया जाता है, जिसका वर्षवार विवरण निम्नानुसार है :-

क्र०सं०	वर्ष	नॉन ट्रेडिंग कम्पनीज	
		पंजीयन संख्या	राशि (रूपये)
1.	2017-18	14	14, 500 / -
2.	2018-19	15	15, 600 / -
3.	2019-20	9	9, 100 / -
4.	2020-21 (माह दिसम्बर, 2020 तक)	5	5, 000 / -

(2) उद्योगों हेतु प्रक्रिया सरलीकरण

(i) उद्यम स्थापित करने की प्रक्रियाओं का सरलीकरण

(EoDB- Ease of Doing Business)

औद्योगिक नीति एवं संवर्धन विभाग, भारत सरकार द्वारा प्रतिवर्ष राज्यों के लिए Business Reform Action Plan जारी किया जाता है एवं राज्यों द्वारा किए गए Reform Implementation का ऑकलन करने के पश्चात् राज्यों को Ranking प्रदान की जाती है।

उद्यम स्थापित करने हेतु प्रक्रियाओं के सरलीकरण (EoDB- Ease of Doing Business) के लिए उद्योग विभाग नोडल विभाग के रूप में कार्य करता है।

1. Business Reform Action Plan-2015 (285 Reform Points)— राजस्थान रिफार्म बिन्दुओं के 61.04 प्रतिशत क्रियान्वयन के साथ देश में छठे स्थान पर रहा तथा राजस्थान को इस वर्ष “Aspiring Leader States” की श्रेणी में सम्मिलित किया गया।
2. Business Reform Action Plan-2016 (340 Reform Points)— राजस्थान रिफार्म बिन्दुओं के 96.43 प्रतिशत क्रियान्वयन के साथ देश में आठवें स्थान पर रहा तथा राजस्थान को इस वर्ष “Leader States” की श्रेणी में सम्मिलित किया गया।
3. Business Reform Action Plan- 2017 (372 Reform Points)— राजस्थान रिफार्म बिन्दुओं के 99.46 प्रतिशत क्रियान्वयन तथा फीडबैक में 64.44 प्रतिशत के साथ देश में नवें स्थान पर रहा तथा राजस्थान को इस वर्ष “Top Achievers” की श्रेणी में सम्मिलित किया गया।
4. Business Reform Action Plan- 2019 (80 Reform Points)— राजस्थान रिफार्म बिन्दुओं के क्रियान्वयन में देश में आठवें स्थान पर रहा।

(ii) एकल खिड़की योजना

(राजस्थान एन्टरप्राइजेज सिंगल विण्डो एनेबलिंग एण्ड क्लीयरेंस अधिनियम, 2011 के अन्तर्गत)

राज्य में उद्यम की स्थापना को बाधा रहित बनाने, स्वीकृतियों के समयबद्ध निस्तारण तथा एकल खिड़की योजना को सुदृढ़ बनाये जाने एवं उसे विधिक आधार प्रदान किये जाने के दृष्टिकोण से राजस्थान एन्टरप्राइजेज सिंगल विण्डो एनेबलिंग एण्ड क्लीयरेंस एक्ट-2011

एवं इस एक्ट के प्रावधानों की क्रियान्विति तथा निवेश प्रस्तावों के समयबद्ध निस्तारण हेतु संशोधित रूल्स, 2016 जारी किये गये हैं।

राज्य में निवेश प्रस्तावों के क्रियान्वयन हेतु आवश्यक अनुमतियों व स्वीकृतियों हेतु निर्णय लेने के लिए राज्य सक्षम समिति व जिला सक्षम समिति अपने क्षेत्राधिकार में सक्षम है। राज्य सक्षम समिति द्वारा आवश्यक अनुमतियों/स्वीकृतियों पर निर्णय लेने के साथ-साथ कस्टमाइज्ड पैकेज हेतु प्राप्त आवेदन पत्रों पर निर्णय हेतु अपनी अभिशंषा मंत्रीमण्डल के समक्ष प्रस्तुत करने की व्यवस्था है। जिला सक्षम समिति के लिए जिला उद्योग केन्द्र तथा राज्य सक्षम समिति के लिए ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टमेंट प्रमोशन (बीआईपी) नोडल एजेंसी है। संशोधित रूल्स, 2016 नोटिफिकेशन के पश्चात नवीन सिंगल विण्डो पोर्टल (ऑन-लाइन सिस्टम) का संचालन दिनांक 1 जून, 2016 से प्रारम्भ कर दिया गया है।

राज्य में निवेश हेतु सिंगल विण्डो ऑन-लाइन सिस्टम के तहत दिनांक 1 जून, 2016 से दिसम्बर, 2018 तक प्राप्त 11360 आवेदन पत्रों में से 7603 आवेदन पत्रों पर वांछित स्वीकृतियां जारी की गईं।

(iii) उद्यमों का विलंबित भुगतान निस्तारण

(राजस्थान सूक्ष्म एवं लघु उद्यम सुविधा परिषद् (RMSEFC) के माध्यम से)

सुविधा परिषद् का परिचय

- केन्द्र एवं राज्य सरकार द्वारा संचालित विभिन्न योजनाओं द्वारा राज्य के उद्यमियों को लाभान्वित करने के प्रयास सदैव किये जाते रहे हैं परन्तु एक छोटे उद्यमियों द्वारा उद्यम स्थापित किये जाने के पश्चात उनके द्वारा आपूर्ति किए गए उत्पाद या सेवा हेतु क्रेता द्वारा समय पर भुगतान नहीं किये जाने से छोटे उद्यम बहुत अधिक प्रभावित थे, ऐसे उद्यमियों को वर्ष 2006 तक विलम्बित भुगतान के प्रकरणों की सुनवाई हेतु माननीय न्यायालय की शरण में ही जाना पड़ता था।
- अतः एमएसएमई मंत्रालय, केन्द्र सरकार द्वारा जारी सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम विकास अधिनियम-2006 द्वारा सूक्ष्म एवं लघु उद्यमियों के विलम्बित भुगतान के प्रकरणों के निस्तारण हेतु राज्य के उद्योग विभाग के अधीन एक अर्द्ध-न्यायिक निकाय या परिषद् की स्थापना करने का विचार प्रस्तुत किया, उक्त परिषद् को सूक्ष्म एवं लघु उद्यम सुविधा परिषद् नाम दिया गया। एमएसएमई एक्ट-2006 की धारा 21 के अनुसार सूक्ष्म एवं

लघु उद्यम सुविधा परिषद 5 सदस्यों की परिषद है, जिसकी अध्यक्षता आयुक्त, उद्योग विभाग द्वारा की जाती है, साथ ही उद्योग, व्यापार एवं वित्त के 2 विषय विशेषज्ञों को स्थायी सदस्य के रूप में तथा राज्य के औद्योगिक संघों के 2 प्रतिनिधियों को 2 वर्ष के लिए अस्थायी सदस्य के रूप में शामिल किया गया है। सुविधा परिषद राज्य के सूक्ष्म एवं लघु उद्यमियों को यह भरोसा प्रदान करती है कि वे उनके द्वारा उत्पादित माल या सेवा को सम्पूर्ण भारतवर्ष में किसी भी व्यक्ति/फर्म/कम्पनी/केन्द्र या राज्य सरकार के उपक्रमों/केन्द्र या राज्य सरकार के विभागों को उपलब्ध करवाते हैं तो उस उपलब्ध कराये गए माल या सेवा के लिए राज्य के सूक्ष्म एवं लघु उद्यमों को अधिकतम 45 दिवस में भुगतान करवाया जाना सुनिश्चित किया जाएगा, भुगतान विलम्ब से होने पर क्रेता द्वारा राज्य के आपूर्तिकर्ता को रिजर्व बैंक की बैंक दर का तीन गुना मासिक चक्रवृद्धि ब्याज का भुगतान किया जाएगा।

MSMED Act 2006 के अंतर्गत उद्योग विभाग में ईएम (पार्ट-11)/उद्योग आधार की अभिस्वीकृति प्राप्त सूक्ष्म एवं लघु उद्यम द्वारा क्रेता को आपूर्ति की गयी सामग्री/माल के भुगतान का नियत करार के बाद भुगतान न करने पर रिजर्व बैंक द्वारा अधिसूचित बैंक दर पर मासिक अवशेष के साथ 3 गुना चक्रवृद्धि ब्याज के भुगतान कराने हेतु राज्य सरकार के स्तर से सुविधा परिषद का प्रथम बार गठन दिनांक 06.05.2008 को किया गया। राजस्थान सूक्ष्म एवं लघु उद्यम सुविधा परिषद नियम-2007 की अधिसूचना दिनांक 08.09.2008 को जारी की गयी है।

सुविधा परिषद के प्रथम गठन दिनांक 06.05.2008 के उपरान्त से दिसम्बर, 2020 तक सुविधा परिषद की 81 बैठकों का आयोजन किया गया है।

राज्य में नव सुविधा परिषदों की स्थापना :-

राज्य सरकार के उद्योग (ग्रुप-2) विभाग के आदेश क्रमांक पं.1(16)उद्योग/ग्रुप-2/2018 दिनांक 08.08.2019 द्वारा राज्य में 4 सूक्ष्म एवं लघु उद्यम सुविधा परिषदों का गठन किया गया था।

कोविड-19 वैश्विक महामारी से राज्य की अर्थव्यवस्था को उबारने के संबंध में गठित टास्क फोर्स की अनुशंसा पर दिनांक 25.09.2020 को राज्य में पूर्व में कार्यरत 4 सुविधा

परिषदों के स्थान पर 2 राज्य स्तरीय एवं 7 संभाग स्तरीय सुविधा परिषदों का गठन किया गया तथा उक्त 9 सुविधा परिषदों के कार्यालयों पर प्रभावी नियंत्रण हेतु मुख्यालय पर राजस्थान सूक्ष्म एवं लघु उद्यम सुविधा परिषद-सचिवालय का गठन किया गया है।

नव गठित परिषदों का विवरण निम्नानुसार है:-

S. No.	MSEFC	Jurisdiction	Claim amount	Chair Person
1	MSEFC, HQ-1, Jaipur	All Rajasthan	Above 75 lacs	Commissioner, Industries
2	MSEFC, HQ-2, Jaipur	All Rajasthan	Above 25 lacs & below 75 lacs	Additional Director, Industries (I)
3	MSEFC, Jodhpur	Jodhpur, Jaisalmer, Badmer, Pali, Sirohi, Jalore	Till 25 lacs	Additional Director, Industries (FC)
4	MSEFC, Bikaner	Bikaner Hanumangarh, churu, Shri-Ganganagar	Till 25 lacs	Additional Director, Industries (FC)
5	MSEFC-Udaipur	Udaipur, Chittorgarh, Pratapgarh, Banswara, Rajsamand, Dungarpur	Till 25 lacs	Additional Director, Industries (FC)
6	MSEFC-Bharatpur	Bharatpur, Karauli, Dholpur, SawaiMadhopur	Till 25 lacs	Additional Director, Industries (FC)
7	MSEFC-Ajmer	Ajmer, Bhilwara, Nagaur, Tonk	Till 25 lacs	Additional Director, Industries (FC)
8	MSEFC-kota	Kota, Jhalawar, Baran, Bundi	Till 25 lacs	Additional Director, Industries (FC)
9	MSEFC, Jaipur	Jaipur, Alwar, Dausa, Jhunjunu, Sikar	Till 25 lacs	Additional Director, Industries (FC)

सुविधा परिषद के समक्ष प्रस्तुत प्रकरणों की वस्तुस्थिति:-

1. राजस्थान सुविधा परिषदों के समक्ष प्रस्तुत कुल प्रकरण — 3878
2. प्रस्तुत प्रकरणों में शामिल विलम्बित राशि — रु 1200 करोड़ (लगभग)
3. राजस्थान सुविधा परिषदों द्वारा निस्तारित कुल प्रकरण — 1238
4. निस्तारित प्रकरणों में शामिल राशि — रु 350 करोड़ (लगभग)
5. राजस्थान सुविधा परिषदों के समक्ष कुल लम्बित प्रकरण — 2640

पूर्व में कार्यरत 4 सूक्ष्म एवं लघु उद्यम सुविधा परिषदों द्वारा वर्ष 2019-20 में की गई कार्यवाही

कुल बैठकें	कुल प्रस्तुत प्रकरण	कुल निस्तारित प्रकरण
26	1274	346

दिनांक 25.09.2020 को गठित 9 सूक्ष्म एवं लघु उद्यम सुविधा परिषदों द्वारा की गई कार्यवाही

कुल बैठकें	कुल प्रस्तुत प्रकरण	कुल निस्तारित प्रकरण
12	233	50

(3) उद्योगों हेतु आधारभूत संरचना विकास, सामान्य राजकीय सहायता, प्रोत्साहन, पुरस्कार, प्रदर्शनी व शिविर

(i) राजस्थान औद्योगिक विकास नीति- 2019

राजस्थान को इको सिस्टम के साथ भारत में सबसे पंसदीदा निवेश गंतव्य के रूप में उभारने हेतु समावेशी, संतुलित, सतत् एवं पर्यावरण अनुकूल औद्योगिक विकास करने, आधारभूत ढाँचा सृजित करने, रोजगार के अवसर सृजित करने, संतुलित क्षेत्रीय औद्योगिक विकास को बढ़ावा देने के दृष्टिकोण से राजस्थान औद्योगिक विकास नीति, 2019 तैयार की गई है।

राजस्थान औद्योगिक विकास नीति, 2019 के अन्तर्गत निम्न उद्देश्य के साथ विशेष प्रावधान किये गये हैं:

1. **अनुकूल औद्योगिक आधारभूत संरचना**—भूमि अधिग्रहण की प्रक्रिया को लचीला बनाना, निजी भूमि-रीको द्वारा निवेश तथा रीको की भूमि-निजी निवेश मॉडल पर पीपीपी मोड पर औद्योगिक पार्कों का विकास, प्लग एंड प्ले सुविधाओं एवं बहुमंजिला कारखानों को बढ़ावा देना, औद्योगिक क्षेत्रों में आवश्यकता अनुसार सामाजिक बुनियादी ढांचे का विकास करना, पिछड़े क्षेत्र में उद्योग स्थापना हेतु रियायती दर पर बंजर भूमि का आवंटन, पेट्रो केमिकल उद्योग के लिए तेल रिफाईनरी के पास औद्योगिक टारुनशिप विकसित करना, बिजली दरों को परिवर्तनशील बनाना एवं व्हीलिंग चार्ज कम करना।
2. **प्रतियोगात्मक राजकोषीय प्रोत्साहन**—मैन्युफैक्चरिंग एवं सेवा क्षेत्र के उद्यम हेतु प्रोत्साहन पैकेज, थ्रस्ट सेक्टर एवं पिछड़े व अति पिछड़े क्षेत्रों के उद्योगों को अतिरिक्त प्रोत्साहन, एंकर इकाइयों को आकर्षक प्रोत्साहन, एमएसएमई को पूंजी निवेश, प्रौद्योगिकी

अधिग्रहण/उन्नयन, क्रेडिट गारंटी, गुणवत्ता प्रमाणन, रिसर्च एण्ड डवलपमेंट आदि के लिए सहायता, अनु.जाति, अनु. जनजाति, महिला उद्यमियों, कुटीर उद्योगों, फुटकर व्यापारियों एवं स्वयं सहायता समूह के उद्यमियों को वित्तीय सहायता के लिए विशेष योजना का प्रावधान।

3. **कुशल मानव संसाधन**—बेरोजगार युवाओं का डेटाबेस तैयार करना एवं संभावित अवसरों का सृजन करना, उद्योगों को कौशल विकास संस्थान की स्थापना हेतु प्रोत्साहित करना तथा लॉजिस्टिक्स, ईएसडीएम तथा ऑटोमोबाइल (इलेक्ट्रिक वाहन खण्ड) आदि उभरते क्षेत्रों के लिए नये कौशल विकास कार्यक्रम पर बल।
4. **संतुलित क्षेत्रीय औद्योगिक विकास का बढ़ावा**—जिला स्तरीय औद्योगिक संभावना सर्वेक्षण तैयार करना, बड़े उद्योगों के साथ एमएसएमई की आपूर्ति श्रृंखला लिंकेज को प्रोत्साहित करना, जिला स्तर पर व्यवसायिक सुविधा केन्द्र की स्थापना का प्रावधान।
5. **उद्यमशीलता एवं नवाचार**—नवाचार एवं प्रभारी ईको सिस्टम को बढ़ावा देने हेतु नई स्टार्ट-अप नीति का निर्माण, प्रमुख शहरों के निकट स्टार्ट अप क्षेत्र विकसित कराना, राज्य के बाहर से स्टार्टअप को राज्य में स्थापित एवं विकसित करने के लिए सुविधायुक्त ढाँचे का निर्माण करना, सभी क्षेत्रों में नवाचार को प्रोत्साहित करने हेतु वार्षिक नवाचार पुरस्कार का प्रावधान।
6. **पर्यावरण संरक्षण एवं सतत् औद्योगिक विकास**—औद्योगिक अपशिष्ट के पुनः उपयोग और पुनर्चक्रण को प्रोत्साहित करना, औद्योगिक पार्कों के लिए प्रभावी कचरा प्रबन्धन, ग्रीन बिल्डिंग एवं इको फ्रेंडली उद्योगों को सहायता, आवश्यक सहायता के साथ वर्षा जल संचयन को प्रोत्साहन।
7. **उद्योगों का तकनीकी उन्नयन**—अनुसंधान एवं विकास केन्द्रों, परीक्षण और प्रमाणीकरण प्रयोगशालाओं के लिए सहायता का प्रावधान।
8. **उद्योग 4.0**—प्रौद्योगिक अधिग्रहण, कौशल विकास, रिसर्च एण्ड डवलपमेंट को प्रोत्साहन के माध्यम से उद्योग 4.0 के नये युग में उभार।
9. **नियमों और निरीक्षणों को युक्तिसंगत बनाना।**
10. **ईओडीबी और उद्योग समर्थक दृष्टिकोण को अपनाना।**

थ्रस्ट सेक्टर्स का विकास करना—राज्य के आर्थिक विकास के मुख्य क्षेत्र कपड़ा एवं परिधान, फूड प्रोसेसिंग, ईएसडीएम, ऑटो और ऑटो कम्पोनेन्ट, लेदर व फुटवियर, खान एवं खनिज, जैम्स व ज्वैलरी एवं सेवा क्षेत्र पर विशेष बल।

(ii) क्लस्टर विकास

राज्य सरकार द्वारा राज्य के सूक्ष्म एवं लघु उद्यमों तथा दस्तकारों का विकास क्लस्टर डवलपमेंट एप्रोच के आधार पर किया जा रहा है। इस हेतु वर्ष 2005-06 से राज्य क्लस्टर विकास कार्यक्रम प्रारम्भ किया गया था। इस कार्यक्रम के तहत बेस लाईन सर्वे के आधार पर चयनित क्लस्टर में क्लस्टर विकास गतिविधियों का क्रियान्वयन स्वयं सेवी संस्थाओं/क्रियान्वयन एजेन्सियों के माध्यम से महाप्रबन्धक, जिला उद्योग केन्द्र के निर्देशन में कराया जाता है। इस कार्यक्रम के तहत क्लस्टर में आवश्यकता के आधार पर सॉफ्ट गतिविधियां यथा-एसपीवी का गठन, कौशल विकास एवं कौशल उन्नयन प्रशिक्षण, डिजाईन विकास प्रशिक्षण, तकनीकी उन्नयन, मार्केट असिस्टेन्स, क्षमता संवर्धन आदि क्रियान्वित की जाती है। क्लस्टर में आवश्यकता होने पर सामान्य सुविधा केन्द्र (सीएफसी) की स्थापना भी की जाती है, जिसका संचालन उद्यमों/दस्तकारों की एसपीवी (स्पेशल परपज व्हीकल) द्वारा किया जाता है।

वर्ष 2005-06 से अब तक क्लस्टर विकास कार्यक्रम के अन्तर्गत कुल 57 क्लस्टर में क्लस्टर विकास परियोजनाओं का क्रियान्वयन प्रारम्भ किया गया, जिनमे से 48 क्लस्टर की परियोजना अवधि पूर्ण हो चुकी है एवं शेष 9 क्लस्टर में क्लस्टर विकास गतिविधियां संचालित है।

वर्तमान में जिन क्लस्टर में क्लस्टर विकास गतिविधियां संचालित है, उनका विवरण निम्नानुसार है –

क्र.सं	चयन वर्ष	क्लस्टर का नाम	विशेष विवरण
1.	2017-18	1.बुडन हैण्डिक्राफ्ट क्लस्टर, जोधपुर	वर्तमान में प्रोजेक्ट संचालित
2.	2018-19	1. मार्बल मूर्ति क्लस्टर, सीकरी, भरतपुर	वर्तमान में प्रोजेक्ट संचालित
		2. अजरख ब्लॉक प्रिन्ट क्लस्टर, बाड़मेर	वर्तमान में प्रोजेक्ट संचालित
		3. फड़ पेन्टिंग क्लस्टर, भीलवाड़ा	वर्तमान में प्रोजेक्ट संचालित
		4. पाक विस्थापित क्लस्टर, जोधपुर	वर्तमान में प्रोजेक्ट संचालित
		5. आर्ट मेटल क्रॉफ्ट क्लस्टर, जोधपुर	वर्तमान में प्रोजेक्ट संचालित
		6. लेदर क्रॉफ्ट क्लस्टर, बाड़मेर	वर्तमान में प्रोजेक्ट संचालित
		7. हैण्ड एम्ब्राईडरी क्रॉफ्ट क्लस्टर, जैसलमेर	वर्तमान में प्रोजेक्ट संचालित
3.	2019-20	1. लेदर जूती क्लस्टर, गंगारार, चित्तौड़गढ़	वर्तमान में प्रोजेक्ट संचालित

राज्य क्लस्टर विकास कार्यक्रम के अन्तर्गत 2017-18 में 168.50 लाख रुपये, वर्ष 2018-19 में 62.59 लाख रुपये, वर्ष 2019-20 में 132.15 लाख रुपये एवं वर्ष 2020-21 में दिसम्बर, 2020 तक 58.46 लाख रुपये की राशि व्यय हुई है।

(iii) एमएसएमई इन्वेस्टमेंट फैसिलिटेशन सेन्टर्स (एमआईएफसी)

एमएसएमई इन्वेस्टमेंट फैसिलिटेशन सेन्टर्स (एमआईएफसी) की स्थापना का उद्देश्य भावी निवेशक उद्यमी को अपना व्यवसाय स्थापित करने या विस्तार करने की प्रक्रिया को सुविधाजनक बनाना तथा विभाग को एक नियामक के रूप से परिवर्तित कर सुविधा केन्द्र के रूप में विकसित करना है।

राज्य में एमएसएमई पॉलिसी 2015 के तहत राज्य स्तर पर उद्योग भवन में तथा जिला स्तर पर प्रत्येक जिला उद्योग केन्द्र में प्रथम पीढ़ी के उद्यमियों सहित कार्यरत उद्यमियों को मार्गदर्शन, पथप्रदर्शन, हैण्डहॉल्लिंग सपोर्ट एवं सहयोग प्रदान करने हेतु एमएसएमई इन्वेस्टमेंट फैसिलिटेशन सेन्टर (एमआईएफसी) का संचालन किया जा रहा है। एमआईएफसी द्वारा निम्नलिखित कार्य सम्पादित किये जाते हैं :-

- आगन्तुकों को आर्थिक रूप से व्यवहार्य उद्यम के चिन्हीकरण में सहयोग करना।
- उद्यम स्थापित करने हेतु उपलब्ध आधारभूत सुविधाओं की जानकारी।
- आगन्तुकों को भारत सरकार एवं राज्य सरकार द्वारा संचालित विभिन्न योजनाओं की जानकारी उपलब्ध कराना।
- उद्योग स्थापित करने संबंधी विभिन्न पंजीयन, लाइसेंस, अनापत्ति/सहमति आदि की जानकारी उपलब्ध कराना।
- विभिन्न योजनाओं के अन्तर्गत उद्यमियों को परियोजना प्रतिवेदन तैयार करने एवं ऋण आवेदन करने में आवश्यक सहयोग करना।
- उद्यमियों को अपने उत्पाद के विपणन के लिए आवश्यक मार्गदर्शन एवं सहयोग प्रदान करना।
- आगन्तुकों को सरकार द्वारा संचालित योजनाओं में आवेदन प्रक्रिया में सहयोग प्रदान करना।

वर्तमान में जिला उद्योग केन्द्रों में स्थापित एमआईएफसी के बेहतर संचालन के लिए कुल एक करोड़ रु. की राशि से रीको लि0 द्वारा कक्ष का आधुनिकीकरण, सुदृढीकरण एवं नवीनीकरण कर, एमआईएफसी कम उद्यमिता विकास प्रशिक्षण केन्द्र विकसित किया गया है।

गौरतलब है कि एमआईएफसी के माध्यम से वर्ष 2020-21 में माह दिसम्बर 2020 तक राज्य स्तर तथा जिला स्तर पर लगभग 13386 आगन्तुकों को विभागीय अधिकारियों द्वारा मार्गदर्शन प्रदान किया गया।

(iv) Scheme for Establishment of Integrated CETPs and Up-gradation of Existing CETPs

- माननीय **N.G.T.** के द्वारा समय-समय पर दिए गए दिशा-निर्देशों की पालना सुनिश्चित किए जाने के लिए राज्य सरकार की बजट घोषणा संख्या 75 (वर्ष 2019-20) के क्रियान्वयन हेतु नए C.E.T.Ps की स्थापना एवं पुराने C.E.T.Ps के उन्नयन के लिए वित्तीय सहायता प्रदान किए जाने के उद्देश्य से Scheme for Establishment of Integrated CETPs and Up-gradation of Existing CETPs उद्योग (ग्रुप-1) विभाग की अधिसूचना दिनांक 27.02.2020 के द्वारा राज्य में लागू कर दी गई है।
- चूंकि भारत सरकार की **IPDS** योजना में केवल वस्त्र उद्योगों को CETPs स्थापना हेतु सहायता प्रदान की जाती है। अतः इनके अतिरिक्त अन्य औद्योगिक सेक्टर्स अथवा Heterogeneous Industrial Areas को कोई वित्तीय सहायता उपलब्ध नहीं है, उन्हें इस योजना के अन्तर्गत वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी। अतः जिन CETPs को वस्त्र मंत्रालय, भारत सरकार की **IPDS** योजना में सहायता प्राप्त हो चुकी है, वह इस योजना के लिए पात्र नहीं होगी।
- इस योजना के अन्तर्गत 200 करोड़ रुपये के कॉरपस फण्ड का प्रावधान किया गया है। जिसमें रीको लि0 एवं राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल द्वारा 50-50 प्रतिशत योगदान दिया जाएगा।
- योजनान्तर्गत किसी प्रोजेक्ट में अधिकतम 50 करोड़ या 50 प्रतिशत कम्पोनेंट वाइज प्रोजेक्ट कॉस्ट, जो भी कम हो, वित्तीय सहायता के रूप में प्रदान की जाएगी।
- इस योजना के प्रचार-प्रसार एवं क्रियान्वयन हेतु समस्त संभागीय आयुक्त एवं जिला कलक्टर तथा महाप्रबंधक जिला उद्योग केन्द्र को सूचित किया जा चुका है।
- योजनान्तर्गत वित्तीय सहायता प्राप्त करने के लिए एस.पी.वी. PALI WATER POLLUTION CONTROL TREATMENT AND RESEARCH FOUNDATION, PALI द्वारा सी.ई.टी.पी. यूनिट-04, पुनयाता औद्योगिक क्षेत्र, पाली के अपग्रेडेशन हेतु एक प्रस्ताव प्राप्त हुआ है। जिसकी वित्तीय एवं तकनीकी व्यवहार्यता के मूल्यांकन हेतु तकनीकी मूल्यांकन समिति (TEC) की बैठक दिनांक 26.10.2020 एवं 12.01.2021 को आयोजित की गई है।

(v) राजस्थान सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम सहायता योजना 2015

राज्य में उपलब्ध संसाधनों एवं सम्भाव्यताओं के आधार पर नये सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यमों की स्थापना को प्रोत्साहित करने एवं पूर्व स्थापित उद्यमों के गुणवत्ता संवर्द्धन, पर्यावरण संरक्षण एवं इनमें वैश्विक प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता विकसित करने के लिए राज्य सरकार द्वारा दिनांक 10.11.2015 को राजस्थान सूक्ष्म, लघु, मध्यम उद्यम सहायता योजना-2015 लागू की गई है। इसके तहत निम्नानुसार प्रमुख प्रावधान हैं:-

- वित्तीय संस्थानों से सम्पार्श्विक प्रतिभूति रहित ऋण प्राप्त करने के लिए सीजीएफटी एमएसई का लाभ लेने वाले उद्यमों को एकमुश्त सेवा प्रसंस्करण शुल्क अदा करने वाले एमएसएमई को इसका पुनर्भरण करने का प्रावधान
- एसएमई एक्सचेंज के जरिये कैपिटल राइजिंग करने वाले लघु व मध्यम उद्यमों को इस हेतु किये गये व्यय का 10 प्रतिशत राशि का पुनर्भरण करने का प्रावधान
- उत्पाद गुणवत्ता नियंत्रण हेतु राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय मानक प्रमाण पत्र प्राप्त करने वाले सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यमों को इस हेतु किये गये व्यय की 50 प्रतिशत राशि पुनर्भरण करने का प्रावधान
- पर्यावरण संरक्षण के दृष्टिकोण से कॉमन एफ्यूलेन्ट ट्रीटमेंट प्लांट एवं एफ्यूलेन्ट ट्रीटमेंट प्लांट स्थापना पर किये गये पूँजीगत व्यय की 50 प्रतिशत राशि पुनर्भरण का प्रावधान

योजनान्तर्गत अब तक 1 उद्यम को पूँजी अभिवृद्धि व्यय का पुनर्भरण राशि 2.50 लाख रुपये उपलब्ध कराई गई है। वर्ष 2019-20 में 6 इकाइयों को 1,20,02,000/- रुपये राशि वितरित की गई हैं जबकि वर्ष 2020-21 के दौरान अभी तक एक इकाई को 36050/- रुपये की सहायता प्रदान की गई है।

(vi) राजस्थान निवेश प्रोत्साहन योजना-2014

राजस्थान में निवेश को बढ़ावा देने के लिए राज्य सरकार द्वारा राजस्थान निवेश प्रोत्साहन योजना-2014 दिनांक 08.10.2014 को जारी की गई है।

राजस्थान निवेश प्रोत्साहन योजना-2014 दिनांक 08.10.2014 से दिनांक 31.03.2021 तक प्रभावी रहेगी।

योजना हेतु पात्रता- यह योजना नए उपक्रम, स्थापित उपक्रम जो विस्तार करना चाहें, रुग्ण इकाइयों के पुनर्जीवन एवं चयनित सेवाओं में किये गये निवेश पर लागू होगी। इस प्रकार इसमें पात्रता निम्नानुसार होगी-

- नवीन उद्यम स्थापित करने पर
- वर्तमान उद्यम द्वारा विस्तार हेतु निवेश करने पर
- रुग्ण औद्योगिक इकाई को पुनर्जीवित करने पर

राजस्थान निवेश प्रोत्साहन योजना-2014 के अन्तर्गत निम्नानुसार छूट/लाभ के प्रावधान किए गए हैं-

- (i) मुद्रांक शुल्क एवं भू-रूपान्तरण शुल्क में 50 प्रतिशत की छूट
- (ii) विद्युत कर, मण्डी शुल्क एवं भूमि कर में 50 प्रतिशत की छूट (7 वर्षों के लिए)
- (iii) 30 प्रतिशत निवेश अनुदान व 20 प्रतिशत रोजगार सृजन अनुदान (7 वर्षों के लिए)
- (iv) टेक्सटाइल क्षेत्र के लिए 5 से 7 प्रतिशत ब्याज अनुदान 5 वर्ष तक।
- (v) टेक्सटाइल, एग्रो प्रोसेसिंग, फूड प्रोसेसिंग एवं बायोटेक्नोलॉजी इकाइयों को ईटीपी स्थापना पर 20 प्रतिशत पूंजी अनुदान।

➤ निम्नांकित थ्रस्ट सेक्टर्स के लिए विशेष प्रावधान-

क्र.सं.	विनिर्माण क्षेत्र (मैन्यूफैक्चरिंग सेक्टर)	सेवा क्षेत्र (सर्विस सेक्टर)
1.	(i) सिरामिक्स व ग्लास	(i) आईटी
2.	(ii) डेयरी	(ii) बायोटेक्नोलॉजी
3.	(iii) एम.एस.एम.ई.	(iii) ट्यूरिज्म
4.	(iv) ई.एस.डी.एम. (इलेक्ट्रॉनिक्स सिस्टम डिजाइन मैन्यूफैक्चरिंग)	
5.	(v) फार्मास्यूटीकल,	
6.	(vi) प्लास्टिक टू ऑयल मैन्यूफैक्चरिंग,	
7.	(vii) टेक्सटाइल	
8.	(viii) इण्डस्ट्रियल गैसेज	
9.	(ix) डिफेन्स	
10.	(x) आई टी एण्ड रोबोटिक्स	
11.	(xi) बायोटेक्नोलॉजी	
12.	(xii) कोटा स्टोन मार्बल एण्ड ग्रेनाइट	
13.	(xiii) डिसेलीनेशन	
14.	(xiv) एग्रो प्रोसेसिंग एण्ड एग्रो मार्केटिंग	
15.	(xv) फूड प्रोसेसिंग	

कतिपय क्षेत्रों में अतिरिक्त लाभ-

- महिला के लिए अतिरिक्त लाभ प्रस्तावित है।
- अनुसूचित जाति एवं जनजाति के लिए अतिरिक्त लाभ प्रस्तावित है।
- पिछड़ा एवं अतिपिछड़ा क्षेत्रों में किये गये निवेश पर भी अतिरिक्त लाभ का प्रावधान है।
- एक निश्चित सीमा से अधिक निवेश करने एवं रोजगार प्रदान करने वाली इकाइयों को कस्टमाइज पैकेज स्वीकृत करने का प्रावधान भी किया गया है।

जीएसटी लागू होने के पश्चात् योजना में संशोधन आदेश दिनांक 30.04.2018 को जारी कर दिए गए हैं।

प्रगति:—

वर्ष	प्राप्त प्रस्ताव	जारी छूट प्रमाण पत्र	निवेश (राशि करोड़ में)
2017—18	1049	691	8768.56
2018—19	1594	1480	39638.52
2019—20	1036	926	23333.55
2020—21 (माह दिसम्बर, 2020 तक)	130	45	532.63

(vii) राजस्थान निवेश प्रोत्साहन योजना—2019

राजस्थान में निवेश को बढ़ावा देने के लिए राज्य सरकार द्वारा राजस्थान निवेश प्रोत्साहन योजना—2019 दिनांक 17.12.2019 से प्रभावी हो गई है।

राजस्थान निवेश प्रोत्साहन योजना—2019 दिनांक 17.12.2019 से दिनांक 31.03.2026 तक प्रभावी रहेगी।

योजना हेतु पात्रता:— यह योजना नए उपक्रम तथा स्थापित उपक्रम द्वारा विस्तार करने पर किये गये निवेश पर लागू होगी।

राजस्थान निवेश प्रोत्साहन योजना—2019 के अन्तर्गत सभी पात्र विनिर्माण एवं सेवा उद्यमों के लिए निम्नानुसार छूट/लाभ के प्रावधान किए गए हैं:—

1. निवेश अनुदान (Investment Subsidy)—देय एवं जमा एस.जी.एस.टी. का 75 %
2. रोजगार सृजन अनुदान (Employment Generation Subsidy) — श्रमिकों के ईपीएफ/ईएसआई के नियोक्ता (Employer) के अंशदान का न्यूनतम 50% पुनर्भरण
3. विद्युत कर (Electricity Duty) — 100 % छूट सात वर्षों के लिए
4. मण्डी शुल्क (Mandi Fee) — 100 % छूट सात वर्षों के लिए
5. भूमि कर (Land Tax) — 100 % छूट सात वर्षों के लिए
6. स्टाम्प ड्यूटी (Stamp Duty) — 100 % छूट
7. भूमि रूपान्तरण शुल्क (Land Conversion Tax) — 100 % छूट

निम्नांकित थ्रस्ट सेक्टर्स के लिए विशेष प्रावधान:—

विनिर्माण क्षेत्र (मैन्यूफैक्चरिंग सेक्टर)	सेवा क्षेत्र (सर्विस सेक्टर)
1. कृषि प्रसंस्करण	1. दवा निर्माण क्षेत्र में कोल्ड चेन
2. ऑटो—कम्पोनेन्ट	2. कॉमन यूटिलिटी सेन्टर

3. बाँयो-टेक्नोलोजी	3. औद्योगिक पार्क
4. सेरेमिक एण्ड ग्लास	4. कृषि उत्पाद संरक्षण व मूल्य संवर्धन हेतु आधारभूत सुविधा
5. केमिकल	5. सूचना प्रौद्योगिकी पार्क
6. डेयरी	6. सूचना प्रौद्योगिकी उद्यम
7. डिफेन्स	7. लॉजिस्टिक इन्फ्रास्ट्रक्चर
8. दिल्ली मुम्बई इण्डस्ट्रियल कॉरिडोर एरिया के उद्यम	8. प्लग एण्ड प्ले ऑफिस काम्प्लेक्स
9. इलैक्ट्रिक व्हीकल	9. स्टार्ट-अप्स
10. इलैक्ट्रॉनिक सिस्टम डिजाइन-निर्माण	10. सामाजिक आधारभूत सुविधा
11. फूड प्रोसेसिंग	11. टेस्टिंग व रिसर्च प्रयोगशाला
12. जेम्स एण्ड ज्वैलरी	12. पर्यटन क्षेत्र
13. हैण्डिक्राफ्ट	
14. औद्योगिक गैस	
15. चमड़ा, जूते एवं सह-उत्पाद	
16. एम-सेण्ड	
17. मेडिकल डिवाइस निर्माण	
18. खनिज आधारित निर्माण	
19. सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम	
20. पेट्रोलियम सहायक उद्यम	
21. पेट्रोकेमिकल	
22. दवा निर्माण	
23. सौर ऊर्जा उपकरण	
24. स्टार्ट-अप्स	
25. टेक्स टाईल	
26. विंड टर्बाइन निर्माण क्षेत्र	

अतिरिक्त परिलाभ—

- I. विनिर्माण क्षेत्र में कुल 26 थ्रस्ट सेक्टर्स तथा सेवा क्षेत्र में कुल 12 थ्रस्ट सेक्टर्स में।
- II. पिछड़े, अतिपिछड़े, जनजातिय क्षेत्र, पहाड़ी, मरुस्थलीय क्षेत्रों में निवेश पर।

प्रगति:

वर्ष	जारी छूट प्रमाण पत्र	निवेश (राशि करोड़ में)
2019-20	516	12822.90
2020-21 (माह दिसम्बर, 2020 तक)	2273	56238.25

(viii) राजस्थान सूक्ष्म, लघु व मध्यम उद्यम (फैसिलिटेशन ऑफ एस्टेब्लिशमेन्ट एण्ड ऑपरेशन) अधिनियम, 2019

नवीन सूक्ष्म, लघु व मध्यम उद्यम उद्यमों की सरल स्थापना हेतु उद्यमों को प्रारम्भिक वर्षों में राज्य के विभिन्न एक्ट्स के अधीन दी जाने वाली स्वीकृतियों एवं सम्बन्धित निरीक्षणों से मुक्त करने हेतु राजस्थान सूक्ष्म, लघु व मध्यम उद्यम (फैसिलिटेशन ऑफ एस्टेब्लिशमेन्ट एण्ड ऑपरेशन) अध्यादेश, 2019 दिनांक 04.03.2019 को तथा अधिनियम के रूप में दिनांक 17.07.2019 को अधिसूचित किया गया है। अधिनियम के क्रियान्वयन हेतु रूल्स भी दिनांक 24.05.2019 को अधिसूचित कर दिये गये हैं।

इस अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार उद्यमी एक निर्धारित प्रारूप में “उद्यम स्थापना करने का आशय” (Declaration of Intent) नोडल एजेन्सी (बी.आई.पी.) को प्रस्तुत करेगा और नोडल एजेन्सी द्वारा “प्राप्ति का प्रमाण-पत्र” (Acknowledgement Certificate) जारी किया जायेगा। यह Acknowledgement Certificate प्राप्त करने के 3 वर्षों तक उद्यम विभिन्न विभागों की स्वीकृतियों व निरीक्षणों से मुक्त रहेगा। उद्यमों को 3 वर्षों की समाप्ति के पश्चात् 6 माह में आवश्यक स्वीकृतियों प्राप्त करनी होंगी।

अधिनियम में विभागों को भारत सरकार के अधिनियमों में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय अधिनियमों के अन्तर्गत भी उद्यमों को स्वीकृतियों व निरीक्षणों से मुक्त करने हेतु अधिकृत किया गया था। फैक्ट्रीज एण्ड बॉयलर विभाग द्वारा अधिसूचना दिनांक 16.09.2019 जारी कर Acknowledgement Certificate प्राप्त करने के 3 वर्षों तक उद्यमों को Indian Boiler Act, 1923 के अन्तर्गत स्वीकृति एवं निरीक्षणों से मुक्त कर दिया गया है।

अधिनियम के क्रियान्वयन हेतु ऑनलाईन पोर्टल (<https://rajudyogmitra.rajasthan.gov.in/>) का शुभारम्भ दिनांक 12.06.2019 को किया गया है। दिनांक 12.06.2019 से माह दिसम्बर, 2020 तक 8336 नये उद्यम स्थापित करने वाले आवेदकों ने (<https://rajudyogmitra.rajasthan.gov.in/>) पोर्टल पर ऑनलाईन आवेदन कर Acknowledgement Certificate प्राप्त किये हैं।

(ix) राज्य के सूक्ष्म एवं लघु उद्यमों को विपणन (मार्केटिंग) प्रोत्साहन

राज्य की सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यमों द्वारा उत्पादित उत्पादों का उपापन राज्य सरकार के विभिन्न विभागों एवं राज्य सरकार के उपक्रमों में सुनिश्चित करने हेतु वित्त (सामान्य वित्तीय एवं लेखा नियम) विभाग द्वारा अधिसूचना दिनांक 19.11.2015 जारी की गई। इस अधिसूचना के तहत राज्य की सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्योगों को निविदा में भाग लेने पर निम्न सुविधाएं देय हैं:—

1. बोली दस्तावेज विहित लागत के 50 प्रतिशत पर सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों के उपलब्ध कराया जायेगा।
2. सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों के लिए बोली प्रतिभूति उनके द्वारा प्रदाय की जाने वाली प्रस्तावित परिमाण के मूल्य की 0.5 प्रतिशत (आधा प्रतिशत) दर पर होगी।
3. सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों के लिए निष्पादन प्रतिभूति माल के प्रदाय की जाने वाली प्रस्तावित परिमाण के मूल्य की 1 प्रतिशत दर पर होगी।
4. वित्त विभाग द्वारा जारी अधिसूचना संख्या प.2(1)वित्त/जीएण्डटी-एसपीएफसी/2017 दिनांक 13.08.2020 द्वारा नियम 8 (घ) अंतर्गत राजस्थान लोक उपापन में पारदर्शिता (संशोधन)नियम, 2020 के प्रारंभ की तारीख (13.08.2020) से 31.03.2021 तक की कालावधि के दौरान सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों के लिए बोली प्रतिभूति उनके द्वारा प्रदत्त किये जाने वाले प्रस्तावित परिमाण के मूल्य के 0.25 प्रतिशत की दर पर और निष्पादित प्रतिभूति माल के प्रदाय के लिए आदिष्ट परिमाण की रकम के 0.5 प्रतिशत की दर पर होगी।
5. 99 उत्पादों को आरक्षित सूची में सम्मिलित किया गया है, जिनका उपापन स्थानीय सूक्ष्म एवं लघु उद्यमों से ही किया जाना अनिवार्य है।
6. राज्य की सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यमों को क्रय वरीयता दिये जाने का प्रावधान है, जिसके अन्तर्गत आपूर्ति मात्रा का 80 प्रतिशत राज्य की औद्योगिक इकाइयों से एवं उसमें 60 प्रतिशत राज्य के सूक्ष्म एवं लघु उद्यमियों एवं इस 60 प्रतिशत में 4 प्रतिशत SC/ST स्वामित्व वाली इकाइयों से ही क्रय किये जाने का प्रावधान है।

वित्त (सा.वि.ले.नियम) विभाग, राजस्थान, जयपुर की अधिसूचना दिनांक 19.11.2015 के अंतर्गत उद्योग विभाग के अधिकारी, को आयुक्त, उद्योग के प्रतिनिधि के रूप में उपापन समिति की बैठकों में भाग लेने हेतु अधिकृत किया गया है। सूक्ष्म, लघु उद्यमियों के विपणन प्रोत्साहन हेतु राज्य सरकार के आदेश क्रमांक-प.37/उद्योग/2/2001 दिनांक 10.11.2003 व 04.04.2013 की पालना में राजसिको द्वारा आपूर्ति किये जाने वाले स्टील फर्नीचर, टेन्ट एवं त्रिपाल, बारबेड वायर, पॉलिथीन बैग उत्पादों की दरें निर्धारण करने हेतु आयुक्त, उद्योग की अध्यक्षता में दर निर्धारण समिति का गठन किया गया है।

सूक्ष्म, लघु औद्योगिक इकाइयों के विपणन प्रोत्साहन हेतु मेले एवं प्रदर्शनी के आयोजन बाबत वित्तीय वर्ष 2019-20 में मेले/प्रदर्शनी मद में राशि रुपये 50.00 लाख का बजट प्रावधान था। इसके अतिरिक्त शहरी एवं ग्रामीण हाट संचालन हेतु राशि रु. 20.00 लाख रुपये की राशि आवंटित की गई।

वित्तीय वर्ष 2020-21 में राशि रुपये 50.00 लाख रुपये की राशि मेले एवं प्रदर्शनी हेतु प्रावधित की गई तथा ग्रामीण एवं शहरी हाटों के संचालन के लिए 20 लाख रुपये की राशि का प्रावधान किया गया।

(x) राजस्थान उद्योग रत्न पुरस्कार

(राजस्थान सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम दिवस पर)

राज्य सरकार द्वारा वर्ष 2016 में राजस्थान सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम दिवस पर राजस्थान उद्योग रत्न पुरस्कार योजना घोषित की गई। राज्य सरकार द्वारा प्रतिवर्ष विश्वकर्मा दिवस /राजस्थान दिवस अथवा किसी उचित दिवस पर उद्योग रत्न पुरस्कार प्रदान किये जाते हैं। उक्त राज्य स्तरीय समारोह में उत्कृष्ट उद्यमियों, बुनकरों एवं हस्तशिल्पियों को सम्मानित किया जाता है। योजनान्तर्गत राज्य के सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यमों को प्रोत्साहित करने के दृष्टिकोण से व्यवसाय के टर्नओवर में उत्कृष्ट वृद्धि, व्यवसायिक नवाचार, महिला उद्यमियों द्वारा व्यवसाय के टर्नओवर में उत्कृष्ट वृद्धि, एवं रूग्ण उद्यमों के पुनरुद्धार पर विशेष योगदान करने वाले उद्यमों को पुरस्कृत/सम्मानित करने के लिए प्रत्येक श्रेणी में 4 उद्यमों को पुरस्कृत करने का प्रावधान रखा गया है। राष्ट्रीय पुरस्कार प्राप्त करने वाले बुनकरों एवं हस्तशिल्पियों को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से एक-एक बुनकर एवं हस्तशिल्पी को राजस्थान बुनकर रत्न पुरस्कार व राजस्थान हस्तशिल्प रत्न पुरस्कार प्रदान किया जाता है। इस प्रकार 12 उद्यमियों को राजस्थान उद्योग रत्न पुरस्कार एवं एक राजस्थान बुनकर रत्न पुरस्कार व एक राजस्थान हस्तशिल्प रत्न पुरस्कार प्रतिवर्ष देने का प्रावधान है। जिसमें प्रत्येक विजेता को एक लाख रुपये की धनराशि, शॉल एवं प्रशस्ति पत्र प्रदान कर सम्मानित किया जाता है।

वर्ष 2017-18 में योजनान्तर्गत समाचार पत्रों एवं अन्य संचार माध्यमों से विज्ञापन जारी कर आवेदन मांगे गये थे। जिनमें से पात्र 5 उद्यमों को राजस्थान उद्योग रत्न पुरस्कार एवं एक बुनकर को राजस्थान बुनकर रत्न पुरस्कार व एक हस्तशिल्पी को राजस्थान हस्तशिल्प रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया।

वर्ष 2018-19 के दौरान 7 उद्यमियों को उद्योग रत्न, 4 बुनकरों को बुनकर रत्न पुरस्कार एवं एक शिल्पी को शिल्प रत्न पुरस्कार दिये गये।

वर्ष 2019-20 के दौरान 8 उद्यमियों को उद्योग रत्न, 2 बुनकरों को बुनकर रत्न पुरस्कार एवं एक शिल्पी को शिल्प रत्न पुरस्कार प्रदान किये गये।

(xi) उद्योगों हेतु मेले, प्रदर्शनी व हाट व्यवस्था

(उद्यम प्रोत्साहन संस्थान तथा शहरी एवं ग्रामीण हाट के माध्यम से)

राज्य सरकार ने राज्य के दस्तकारों, बुनकरों एवं लघु उपकर्मियों के उत्पादों की मार्केटिंग हेतु राष्ट्रीय, राज्य एवं जिला स्तर पर औद्योगिक प्रदर्शनियों का आयोजन, बायर-सेलर मीट आदि करने के लिए उद्यम प्रोत्साहन संस्थान का गठन माह सितम्बर, 1995 में किया गया। संस्थान के माध्यम से वर्ष 2019-20 में 31 मेला प्रदर्शनियों एवं क्रेता-विक्रेता सम्मेलनों का आयोजन किया गया, जिनमें 15157 ईकाईयों/दस्तकारों/लघु उपकर्मियों ने भाग लिया तथा लगभग 6700.28 लाख रुपये की बिक्री एवं क्रय आदेश प्राप्त हुए।

उद्यम प्रोत्साहन संस्थान द्वारा वर्षपर्यन्त दस्तकारों/बुनकरों/स्वयं सहायता समूहों एवं लघु उपकर्मियों के उत्पादों के प्रदर्शन एवं विक्रय की दृष्टि से राज्य में निम्न 10 ग्रामीण हाट एवं 4 शहरी हाट स्थापित किये गये हैं:-

ग्रामीण हाट:- भीलवाड़ा, भरतपुर, बीकानेर, चित्तौड़गढ़, झुंझुनू, राजसमन्द, उदयपुर, कोटा, दौसा एवं जैसलमेर।

शहरी हाट:- जयपुर, जोधपुर, अजमेर एवं सीकर।

(सीकर हाट का कुछ निर्माण कार्य शेष है परन्तु गतिविधियाँ प्रारम्भ कर दी गई हैं।)

शहरी एवं ग्रामीण हाटों का विवरण

क्र.सं.	नाम	पता	टेलीफोन	कॉन्टेक्ट परसन
1.	शहरी हाट, जयपुर	मन्दिर बलदेवजी परशुराम द्वारा परिसर, जलमहल के सामने, आमेर रोड़, जयपुर	0141.2671466	प्रबंध निदेशक, उद्यम प्रोत्साहन संस्थान, जयपुर
2.	शहरी हाट, जोधपुर	झालामंड चौराहा, पाली रोड़, जोधपुर	0291.2431937	महाप्रबंधक, जिउके, जोधपुर
3.	शहरी हाट, अजमेर	आनासागर झील के पास, वैशाली नगर, अजमेर	0145.2643791	महाप्रबंधक, जिउके, अजमेर
4.	शहरी हाट, सीकर	कृषि उपज मण्डी के सामने आईआईटी के पास, जयपुर रोड़, सीकर	01572.245434	महाप्रबंधक, जिउके, सीकर
5.	ग्रामीण हाट, भीलवाड़ा	खसरा नं. 1489 ग्राम हरनी, तह. -भीलवाड़ा	01482.240906	महाप्रबंधक, जिउके, भीलवाड़ा
6.	ग्रामीण हाट, भरतपुर	खसरा नं. 1691, कम्पनी बाग, भरतपुर	05644.222422	महाप्रबंधक, जिउके, भरतपुर
7.	ग्रामीण हाट, बीकानेर	सेक्टर-2, जयनारायण व्यास नगर, बीकानेर	0151.2200325	महाप्रबंधक, जिउके, बीकानेर
8.	ग्रामीण हाट, चित्तौड़गढ़	ग्राम सेती, उदयपुर रोड़, चित्तौड़गढ़	01472.256073	महाप्रबंधक, जिउके, चित्तौड़गढ़
9.	ग्रामीण हाट, नाथद्वारा (राजसमन्द)	लालबाग, नाथद्वारा, जिला-राजसमन्द	02952.221382	महाप्रबंधक, जिउके, राजसमन्द

10.	ग्रामीण हाट, जैसलमेर	मगरा ग्राम—जैसलमेर जिला—जैसलमेर	02992.252273	महाप्रबंधक, जिउके, जैसलमेर
11.	ग्रामीण हाट, कोटा	छत्र विलास उद्यान, कोटा	0744.2363129	महाप्रबंधक, जिउके, कोटा
12.	ग्रामीण हाट, उदयपुर	रेती स्टेण्ड, सवसिटी सेन्टर, सविना, उदयपुर	0294.2490941	महाप्रबंधक, जिउके, उदयपुर
13.	ग्रामीण हाट, दौसा	जयपुर रोड़, दौसा	01427.224430	महाप्रबंधक, जिउके, दौसा
14.	ग्रामीण हाट, झुन्झुनू	ग्राम—आबूसर, जिला झुन्झुनू	01592.250013	महाप्रबंधक, जिउके, झुन्झुनू

**वर्ष 2019-20 में उद्यम प्रोत्साहन संस्थान द्वारा आयोजित
मेला- प्रदर्शनियों/क्रेता-विक्रेता सम्मेलनों का विवरण**

क्र.सं.	मेला प्रदर्शनी	मेला प्रदर्शनी स्थल	अवधि		प्रतिभागियों की अनुमानित संख्या	बिक्री/विक्रय अनुमान (रूपये लाखों में)
			कब से कब तक	कुल दिवस		
1.	ग्रामीण हाट/ साप्ताहिक हाट	ग्रामीण हाट	2019-20	71	12877	5857.64
2.	क्राफ्ट इण्डिया	अरबन हाट, अजमेर	13.4.19 से 30.4.19	18	70	35.00
	क्राफ्ट इण्डिया		1.5.19 से 19.5.19	19	85	40.00
3.	ग्रीष्म उद्योग क्राफ्ट मेला	अरबन हाट, अजमेर	31.5.19 से 3.6.19	10	25	4.00
4.	नवरात्रा उत्सव	अरबन हाट, अजमेर	27.9.19 से 9.10.19	13	34	7.00
5.	रक्षाबंधन उत्सव	अजमेर	5.8.19 से 14.8.19	10	32	5.09
6.	दीपोत्सव हस्तशिल्प मेला	अरबन हाट, अजमेर	17.10.19 से 26.10.19	10	42	7.00
7.	शिल्प शाला, IICD	जयपुर	24.6.19 से 28.6.19	5	250	ट्रेनिंग प्रोग्राम
8.	तीज लहरिया उत्सव	जयपुर	26.7.19 से 30.7.19	5	50	15.75
9.	150वीं गांधी जयंती मेला	राजस्थली, जयपुर	2.10.19 से 4.10.19	3	6	0.10
10.	CII चण्डीगढ़ मेला	परेड मैदान चण्डीगढ़	18.10.19 से 21.10.19	4	7	6.25
11.	पश्चिमी राजस्थान हस्तशिल्प उत्सव	जोधपुर	3.1.2020 से 12.1.2020	10	650	650.00
12.	गांधी सप्ताह के तहत आयोजित	पाली	9.10.19 से 9.10.19	8	15	डेमो
13.	जिला उद्यम समागम के तहत आयोजित प्रदर्शनी	पाली	19.2.2020 से 20.2. 2020	2	49	60.00 (अनुमानित)

क्र.सं.	मेला प्रदर्शनी	मेला प्रदर्शनी स्थल	अवधि		प्रतिभागियों की अनुमानित संख्या	बिक्री / विक्रय अनुमान (रुपये लाखों में)
			कब से कब तक	कुल दिवस		
14.	एज्युकेशन फेयर	अजमेर हाट	24.5.19 से 26.5.19	3	30	2.75
15.	हस्तशिल्प मेला	अजमेर	15.9.19 से 18.12.19	4	27	2.37
16.	दस्तकार हस्तशिल्प मेला	अजमेर	05.12.2019 से 14.12. 2019	10	28	4.60
17.	जिला उद्यम समागम	अजमेर	18.2.20 से 20.2.20	3	62	2.00
18.	जिला उद्यम समागम	चित्तौड़गढ़	17.2.20 से 18.2.20	2	40	डेमो
19.	जिला उद्यम समागम	बारां	20.2.20 से 21.2.20	2	40	3.00
20.	जिला उद्यम समागम	हनुमानगढ़	03.03.2020 से 04.03. 2020	2	42	50
21.	जिला उद्यम समागम	अलवर	26.2.20 से 27.2.20	2	53	3.00
22.	जिला उद्यम समागम	कोटा	17.2.20 से 18.2.20	2	50	00.50 (अनुमानित)
23.	जिला उद्यम समागम	दौसा	18.2.20 से 19.2.20	2	50	3.98
24.	उद्यम समागम	चुरू	2.3.20 से 3.3.20	2	44	02.45 (अनुमानित)
25.	उद्यम समागम	सवाईमाधोपुर	17.2.20 से 18.2.20	2	30	4.25
26.	उद्यम समागम	डूंगरपुर	3.3.20 से 4.3.20	2	40	3.00
27.	उद्यम समागम	भरतपुर	27.2.20 से 28.2.20	2	50	5.00
28.	उद्यम समागम	जैसलमेर	25.02.20 से 26.2.20	2	29	3.25
29.	क्राफ्ट बाजार (राष्ट्रीय हस्तशिल्प मेला)	राजसमन्द	17.12.19 से 22.12.19	6	60	50.00
30.	बृज उद्योग एवं हस्तशिल्प मेला 2020	भरतपुर	3.02.20 से 12.02.20	10	120	45.00
31.	झुन्झुनू-शेखावाटी हस्तशिल्प एवं पर्यटन मेला 2020	झुन्झुनू	3.01.20 से 12.01.20	10	230	200.25
32.	अजमेर उद्योग क्राफ्ट मेला 2019-20	अजमेर	24.01.20 से 02.02.20	10	40	5.79
	योग			256	15257	7056.52

(xii) औद्योगिक प्रोत्साहन शिविर

औद्योगिक विकास को बढ़ावा देने तथा उद्योग स्थापना से सम्बन्धित नियमों एवं प्रक्रियाओं की जानकारी देने हेतु जिला उद्योग केन्द्रों द्वारा जिला एवं पंचायत समिति के स्तर पर औद्योगिक प्रोत्साहन शिविरों का आयोजन किया जाता है। इन औद्योगिक शिविरों में उद्यमियों को उद्योग स्थापित करने से संबंधित मार्गदर्शन के साथ-साथ उद्योगों के एन्टरप्रन्योर मेमोरेण्डम, कच्चेमाल की उपलब्धता, मशीन सप्लायर्स, राज्य में उपलब्ध संसाधन, वित्तीय सुविधाओं, उद्योगों को देय सहायता/सुविधाओं आदि के बारे में जानकारी देने के साथ-साथ शिविरों में उपस्थित होने वाले उद्यमियों को विभिन्न प्रकार की जानकारी वाले पम्पलेट्स वितरित किये जाते हैं एवं वित्तीय संस्थाओं के ऋण आवेदन पत्र तैयार करने तथा स्वीकृतियाँ जारी कराने आदि कार्य भी शिविर स्थल पर ही सम्पन्न किये जाते हैं।

औद्योगिक प्रोत्साहन शिविरों का आयोजन

क्र०सं०	वर्ष	जिला स्तर		पंचायत समिति स्तर	
		लक्ष्य	प्रगति	लक्ष्य	प्रगति
1.	2017-18	34	94	248	352
2.	2018-19	35	62	248	254
3.	2019-20	35	46	248	255
4.	2020-21 (माह दिसम्बर, 2020 तक)	—	5	—	67

(xiii) विवाद एवं शिकायत निवारण तंत्र (DRM)

राज्य में नये निवेश को प्रोत्साहित करने एवं विद्यमान उद्यमों के सुचारु संचालन के लिए एक प्रभावी तंत्र जहाँ निवेशक एवं उद्यमी अपनी समस्याओं को स्वतंत्र रूप से प्रस्तुत कर सकें तथा राजकीय नियमों एवं योजनाओं के संबंध में अपने अमूल्य सुझाव भी दे सकें, इसी को ध्यान में रखते हुए राज्य में विवाद एवं शिकायत निवारण तंत्र की स्थापना राज्य सरकार के प्रशासनिक सुधार(ग्रुप-3) विभाग की आज्ञा क्रमांक प. 6(27)प्र.सु./अनु 3/2019 दिनांक 11.7.2019 के क्रम में की गई है। विवाद एवं शिकायत निवारण तंत्र का कार्यक्षेत्र निम्नानुसार है:-

1. राजस्थान राज्य में स्थित सूक्ष्म, लघु, मध्यम एवं वृहद स्तर की मैन्यूफैक्चरिंग एवं सेवा इकाइयों के संचालन में आने वाली कठिनाइयों का निवारण।
2. राजस्थान राज्य में नव स्थापित होने वाली सूक्ष्म, लघु, मध्यम एवं वृहद स्तर की मैन्यूफैक्चरिंग एवं सेवा इकाइयों में निवेश से सम्बन्धित कठिनाइयों का निवारण :- इसमें वे सभी मामले शामिल होंगे जिनका सम्बन्ध राज्य सरकार के किसी विभाग से अनुमति/अनापत्ति लेने से सम्बन्ध रखते हो।
3. न्यायिक एवं अर्द्धन्यायिक प्रकृति के प्रकरण तंत्र की परिधि से बाहर हैं।

विवाद एवं शिकायत निवारण तंत्र की संरचना द्वि-स्तरीय हैं। राज्य स्तर पर मुख्य सचिव की अध्यक्षता में एवं जिला स्तर पर जिला कलक्टर की अध्यक्षता में समिति का गठन किया गया है। जिला स्तर पर विवाद एवं शिकायत निवारण तंत्र की बैठकों का नियमित आयोजन किया जा रहा है। जिनमें निर्धारित कार्यक्षेत्र के अनुरूप निवेश प्रोत्साहन एवं उद्यमों के सुचारु संचालन सम्बन्धित विषयों पर समुचित कार्यवाही की जा रही है।

भाग— 3

उद्योग विभाग प्रमुख विशिष्ट योजनाएं

(1) सामान्य स्वरोजगार योजनाएँ—

(i) प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम (PMEGP)

परिचय :

सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्योग मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा वर्ष 2008-09 से उद्योग विभाग (DIC) द्वारा संचालित प्रधानमंत्री रोजगार योजना एवं राजस्थान खादी और ग्रामोद्योग बोर्ड (KVIB) व खादी तथा ग्रामोद्योग आयोग (KVIC) द्वारा संचालित ग्रामीण रोजगार सृजन कार्यक्रम को सम्मिलित करते हुये प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम नामक नवीन योजना वर्ष 2008-09 से प्रारम्भ की गई है। योजना की क्रियान्वयन एवं नोडल एजेंसी खादी और ग्रामोद्योग आयोग, मुम्बई है।

उद्देश्य :

योजना का उद्देश्य शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्रों में ग्रामोद्योग एवं औद्योगिक व सेवा क्षेत्र की गतिविधियों को बढ़ावा देकर नवीन परियोजनाओं की स्थापना करते हुए रोजगार के नये अवसर प्रदान करना है। योजनान्तर्गत आरक्षण का प्रावधान नहीं है, परन्तु योजना का उद्देश्य पिछड़े वर्ग को अधिक से अधिक लाभान्वित करना है।

योजना की पात्रता :

- आवेदक की आयु न्यूनतम 18 वर्ष से अधिक हो।
- कम से कम 8वीं पास (विनिर्माण क्षेत्र में रु. 10 लाख और सेवा क्षेत्र में रु. 5 लाख से अधिक की लागत वाली परियोजनाओं के लिए)।
- योजनान्तर्गत ऋण लेने हेतु व्यक्तिगत आवेदक के अतिरिक्त उत्पादन आधारित कॉर्पोरेटिव सोसायटीज, सोसायटी रजिस्ट्रेशन एक्ट 1860 में पंजीकृत संस्थान एवं स्वयं सहायता समूह भी पात्र है।
- आवेदक की पारिवारिक आय की अधिकतम सीमा संबंधित प्रावधान नहीं है।
- केवल विनिर्माण क्षेत्र अथवा सेवा क्षेत्र में नये स्थापित होने वाले उद्यम योजनान्तर्गत पात्र है।

पात्र गतिविधियाँ :-

- खादी और ग्रामोद्योग आयोग द्वारा जारी निषिद्ध सूची में उल्लेखित परियोजनाओं को छोड़कर सभी उद्योग।
- परियोजना की अधिकतम लागत विनिर्माण इकाई के लिए अधिकतम 25.00 लाख और सेवा इकाई के लिए रु. 10.00 लाख।

क्रियान्वयन अभिकरण :-

सम्पर्क को आसान बनाने के लिए प्रत्येक जिले में तीन अभिकरण कार्य कर रहे हैं :-

- खादी और ग्रामोद्योग आयोग (ग्रामीण क्षेत्र)
- राजस्थान खादी तथा ग्रामोद्योग बोर्ड (ग्रामीण क्षेत्र)
- जिला उद्योग केन्द्र (शहरी एवं ग्रामीण दोनों क्षेत्र)

बैंक :

समस्त सरकारी क्षेत्र के बैंक व ग्रामीण बैंक, राज्य के उद्योग सचिव की अध्यक्षता में गठित समिति द्वारा अनुमोदित आईसीआईसीआई बैंक, एयू बैंक, भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक (सिडबी)

परिचालन क्षेत्र :

खादी और ग्रामोद्योग आयोग अधिनियम 2006 के तहत यथाघोषित ग्रामीण क्षेत्र से आशय :-

- कोई ऐसा वर्गीकृत क्षेत्र जो राज्य/केन्द्र शासित प्रदेश के राजस्व अभिलेखों के अनुसार गाँव की परिभाषा के अन्तर्गत आता हो।
- कोई भी गाँव, नगर या कस्बा जिसकी जनसंख्या 20 हजार से अधिक न हो।

योजनान्तर्गत देय लाभ :

प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम के तहत लाभार्थी की श्रेणी	लाभार्थी का अंशदान (परियोजना लागत का)	मार्जिनमनी (सब्सिडी) (परियोजना लागत का)	
क्षेत्र (परियोजना/इकाई की अवस्थिति)		शहरी क्षेत्र	ग्रामीण क्षेत्र
सामान्य श्रेणी	10%	15%	25%
विशेष श्रेणी (अजा/अजजा/अपिव/अल्पसंख्यक/महिला/पूर्व सैनिक/शारीरिक दिव्यांग/सीमावर्ती क्षेत्र)	05%	25%	35%

ऋण की मात्रा :

- बैंक सामान्य श्रेणी के उद्यमी को परियोजना लागत की 90 प्रतिशत ऋण राशि तथा विशेष श्रेणी के लाभग्राहियों/संस्थाओं के मामले में 95 प्रतिशत ऋण राशि स्वीकृत कर भुगतान करेंगे।
- बैंक परियोजना की स्थापना के लिए सम्पूर्ण स्वीकृत राशि जारी करेंगे।
- परियोजना लागत में भूमि की कीमत शामिल नहीं की जाएगी।
- भारतीय रिजर्व बैंक के दिशा-निर्देशों के अधीन रु 10.00 लाख तक के प्रोजेक्ट्स पर कोलेटरल सिक्योरिटी (प्रतिभूति) का प्रावधान नहीं है।

आवेदन प्रक्रिया :

वित्तीय वर्ष 2017-18 से योजना को पूर्णतया ऑनलाईन कर दिया गया है। योजनान्तर्गत आवेदन करने हेतु <https://www.kviconline.gov.in> पर लॉगइन कर आवेदन किया जा सकता है।

मार्जिनमनी :

- वित्तीय बैंक द्वारा ऋण की प्रथम किश्त जारी किये जाने पर ऑनलाईन मार्जिनमनी क्लेम मय दस्तावेज प्रस्तुत करना होगा, तत्पश्चात् नियमानुसार मार्जिनमनी संबंधित बैंक को जारी की जा सकेगी।
- वित्तीय बैंक द्वारा मार्जिनमनी राशि प्राप्त होने के उपरान्त उक्त राशि को लाभार्थी के नाम से तीन वर्ष की टीडीआर में रखनी होगी।

- टीडीआर पर किसी प्रकार का ब्याज देय नहीं होगा और न ही उसकी समतुल्य राशि पर ब्याज प्रभारित किया जायेगा।
- मार्जिनमनी राशि का समायोजन इकाई के भौतिक सत्यापन उपरान्त ही किया जायेगा।

भौतिक सत्यापन :

- योजनान्तर्गत बैंकों द्वारा वित्त पोषित इकाइयों की वास्तविक स्थापना और कामकाज की स्थिति का 100 प्रतिशत भौतिक सत्यापन खादी और ग्रामोद्योग आयोग बाहरी अभिकरण से करायेगा।
- बाहरी अभिकरण से प्राप्त भौतिक सत्यापन रिपोर्ट के आधार पर नियमानुसार क्रियान्वयन एजेन्सी द्वारा मार्जिनमनी को उद्यमी के खाते में जमा करने के संबंध में संबंधित बैंक को समायोजन आदेश जारी किया जायेगा।
- समायोजन आदेश उपरान्त ही मार्जिनमनी राशि संबंधित लाभार्थी के पक्ष में समायोजन किया जायेगा।

अपात्र गतिविधियाँ :

- मांस से जुड़े उद्योग/रोजगार अथवा उसका प्रसंस्करण, डिब्बाबन्दी या मांसाहारी खाद्य पदार्थ आदि, कोई ऐसा होटल या ढाबा जहाँ शराब या मांसाहारी भोजन परोसा जाता हो।
- बीड़ी, पान, सिगार, सिगरेट आदि नशीली वस्तुओं का उत्पादन और बिक्री साथ ही कच्चे माल के रूप में तम्बाकू का प्रयोग, ताड़ी निकालना और बेचना।
- चाय, कॉफी रबर आदि के बागान सहित फसलों की खेती से जुड़े उद्योग/कार्य, रेशमपालन (ककून पालन) बागवानी, हार्वैस्टर सहित पुष्पोद्यनिकी, मत्स्य पालन, सूअर पालन, मुर्गी पालन जैसे पशुपालन कार्य।
- 20 माइक्रोन से कम मोटाई वाले पॉलिथीन की थैलियों का विनिर्माण और पुनः एकीकृत प्लास्टिक से बने थैले या कन्टेनर या कोई ऐसा उत्पाद जो पर्यावरण को नुकसान पहुँचा सकता है।
- कताई व बुनाई कार्यक्रम से संबंधित उद्योग।
- परिवहन।
- राज्य सरकार व केन्द्र सरकार द्वारा प्रतिबंधित गतिविधियाँ।
- **प्रगति :-**

क्र.सं.	वर्ष	लक्ष्य (इकाई संख्या)	ऋण वितरण (संख्या)	मार्जिन मनी (लाख रुपये)
1.	2017—18	990	1078	3165.00
2.	2018—19	1245	1609	4742.13
3.	2019—20	1362	2112	5149.19
4.	2020—21 (31 दिसम्बर 2020 तक)	1080	732	2054.60

(ii) भामाशाह रोजगार सृजन योजना (BRSY)

भामाशाह रोजगार सृजन योजना दिनांक 13.12.2015 से प्रारम्भ की गई थी। योजना की कालावधि 13 दिसम्बर, 2015 से 31 मार्च 2020 थी, जिसे बाद में संशोधित करके 13 दिसम्बर, 2015 से 20 जून 2019 कर दी गयी। योजना बन्द हो चुकी है।

योजनान्तर्गत बैंकों के माध्यम से अधिकतम 25 लाख रु. तक का ऋण 8 प्रतिशत ब्याज अनुदान लाभ के साथ उपलब्ध करवाये जाने का प्रावधान था। योजना वर्तमान में संचालन में नहीं है, किन्तु पूर्व में वितरित ऋणों पर ब्याज अनुदान पुनर्भरण दिया जा रहा है। वितरित ऋणों पर 5 वर्ष तक ब्याज अनुदान पुनर्भरण का प्रावधान है।

प्रगति :-

क्र. सं.	वर्ष	ऋण वितरण (इकाई संख्या)	बैंकों द्वारा ऋण वितरण (राशि करोड़ रु.)	ब्याज अनुदान (राशि लाख रु.)
1.	2017-18	10753	161.46	48.00
2.	2018-19	10025	166.40	133.7
3.	2019-20	-	-	279.69
4.	2020-21 (माह दिसम्बर 2020 तक)	-	-	143.81

(iii) मुख्यमंत्री स्वावलम्बन योजना

स्वयं का उद्यम स्थापित करने हेतु बैंकों के माध्यम से ऋण उपलब्ध कराये जाने के उद्देश्य से योजना प्रारम्भ की गई थी। योजनान्तर्गत बैंकों के माध्यम से अधिकतम 10 लाख रु. तक का ऋण 8 प्रतिशत ब्याज अनुदान लाभ के साथ उपलब्ध करवाये जाने का प्रावधान था। योजना वर्तमान में संचालन में नहीं है, किन्तु पूर्व में वितरित ऋणों पर ब्याज अनुदान का पुनर्भरण किया जा रहा है। वितरित ऋणों पर 5 वर्ष तक ब्याज अनुदान पुनर्भरण का प्रावधान है। वर्षवार प्रगति का विवरण निम्नानुसार है :-

क्र.सं.	वर्ष	ब्याज अनुदान पुनर्भरण (राशि लाख रु.)
1.	2017-18	320.00
2.	2018-19	168.05
3.	2019-20	69.38
4.	2020-21 (माह दिसम्बर 2020 तक)	7.60

(iv) मुख्यमंत्री लघु उद्योग प्रोत्साहन योजना (MLUPY)

(कियान्वयन अवधि दिनांक 17.12.2019 से 31.03.2024)

- **उद्देश्य** :- प्रदेश में उद्यमों की सरल स्थापना एवं राज्य के सभी वर्गों के व्यक्तियों को रोजगार के नये अवसर उपलब्ध कराने हेतु बैंकों के माध्यम से ब्याज अनुदान युक्त ऋण उपलब्ध कराये जाने के उद्देश्य से यह योजना प्रारम्भ की गई है।
- **ऋणदात्री संस्थान** :-योजना अन्तर्गत वित्तीय संस्थानों (राष्ट्रीयकृत वाणिज्यिक बैंक, भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा प्राधिकृत निजी क्षेत्र के अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक तथा अनुसूचित स्मॉल फाईनेंस बैंक, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, राजस्थान वित्त निगम एवं सिडबी) के माध्यम से विनिर्माण, सेवा एवं व्यापार आधारित उद्यम हेतु ऋण उपलब्ध करवाया जाएगा।
- **उद्यम के प्रकार** :- नये स्थापित होने वाले उद्यम के साथ-साथ पूर्व स्थापित उद्यम भी विस्तार/विविधीकरण/आधुनिकीकरण इत्यादि हेतु लाभान्वित हो सकेंगे।
- **आवेदक** :-योजना अन्तर्गत व्यक्तिगत आवेदक के साथ-साथ संस्थागत आवेदक (स्वयं सहायता समूह/सोसायटी/भागीदारी फर्म/एल.एल.पी.फर्म/कम्पनी) भी पात्र होंगे। योजनान्तर्गत उद्यम का स्थापना क्षेत्र राजस्थान राज्य होगा। व्यक्तिगत आवेदक की न्यूनतम आयु 18 वर्ष या इससे अधिक होना आवश्यक होगी।
- **ऋण की मात्रा** :-योजनान्तर्गत अधिकतम 10 करोड़ रु. तक का ऋण उपलब्ध करवाया जायेगा। व्यापार हेतु ऋण की अधिकतम सीमा 1 करोड़ रुपये रहेगी। ऋण का स्वरूप कम्पोजिट ऋण/सावधि एवं कार्यशील पूंजी (सी.सी.लिमिट सहित) होगा। भारतीय रिजर्व बैंक के दिशा-निर्देशानुसार 10 लाख रु. तक के ऋण पर सम्पार्श्विक प्रतिभूति की मांग नहीं की जायेगी।
- **ब्याज अनुदान** :-बैंकों द्वारा प्रदत्त ऋण पर ब्याज अनुदान के रूप में लाभार्थियों को प्रदान किया जायेगा, जो पाँच वर्ष तक नियमानुसार देय होगा :-

क.सं.	अधिकतम ऋण राशि	ब्याज अनुदान
1	25 लाख रु. तक	8%
2	25 लाख रु. से 05 करोड़ रु. तक	6%
3	05 करोड़ से 10 करोड़ रु. तक	5%

प्रक्रिया :- योजना में आवेदन ऑनलाईन आवेदन हेतु SSO.rajasthan.gov.in पर उपलब्ध सिटीजन एप में स्थित **MLUPY** के माध्यम प्रस्तुत करना होगा, जिसकी प्रक्रिया योजना क्रियान्वयन हेतु निर्धारित मार्गदर्शिका के अनुसार होगी। 10 लाख रु तक के ऋण आवेदन पत्र बिना साक्षात्कार के एवं इससे अधिक ऋण प्रकरणों को जिला स्तरीय टास्क फोर्स समिति द्वारा स्क्रीनिंग पश्चात् मय अभिशंषा के बैंकों को अग्रेषित किए जा सकेंगे।

● **अपात्र गतिविधियाँ :**

- मांस, मदिरा व मादक पदार्थों से बने उत्पादों का निर्माण व विक्रय।
- विस्फोटक पदार्थ।
- परिवहन वाहन, जिसकी ऑन-रोड कीमत 10 लाख रु. से अधिक हो।
- पुनः चक्रित न किये जा सकने वाले पॉलिथीन व पर्यावरण को नुकसान पहुंचाने वाले प्लास्टिक उत्पाद।
- भारत सरकार/राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर प्रतिबन्धित उत्पाद/गतिविधियाँ।
- कृषि एवं संबंधित गतिविधियाँ (पशुपालन, पक्षीपालन मत्स्यपालन सहित)।

● **प्रगति :-**

क्र. सं.	वर्ष	लक्ष्य (इकाई संख्या)	ऋण वितरण (इकाई संख्या)	बैंकों द्वारा ऋण वितरण (राशि करोड़ रु.)	ब्याज अनुदान (राशि करोड़ रु.)
1.	2019-20	3000	239	33.75	—
2.	2020-21 (माह दिसम्बर, 2020 तक)	10000	4068	685.57	1.17

(2) हस्तशिल्प एवं संबंधित विकास योजनाएं

(क) राज्य में हस्तशिल्प : वस्तुस्थिति व सम्भावना — विकास, सम्भावना व हस्तशिल्प उत्पादों का निर्यात

● **राज्य में हस्तशिल्प विकास**

राजस्थान के आर्थिक विकास में हस्तशिल्प अपना महत्वपूर्ण स्थान रखता है। राज्य का हस्तशिल्प विश्वविख्यात है। यह क्षेत्र स्थानीय लोगों को रोजगार ही नहीं प्रदान करता बल्कि इससे विदेशी मुद्रा भी राज्य को प्राप्त होती है। राजस्थान के हस्तशिल्पों में मुख्यतः धातु शिल्प, पीतल पर नक्काशी, बन्धेज (टाई एण्ड डाई), तारकशी, मिनीएचर पेन्टिंग, कशीदा कार्य, एल्युमिनियम टायज, वुडन कारविंग फर्नीचर, मार्बल की मूर्तियां, वुडन एण्ड मेटल काफ्ट,

कारपेट (गलीचा), ब्ल्यू आर्ट पॉटरी, टेराकोटा (मिट्टी के बर्तन), पेपरमेशी, मार्बल स्टोन कारविंग, लकड़ी/कागज/हाथी दांत पर नक्काशी, कोटा डोरिया, थेवा क्राफ्ट, डाईंग एण्ड प्रिंटिंग (हाथ ठप्पा छपाई) से सम्बन्धित हस्तशिल्प सम्मिलित है। राज्य में हस्तशिल्प विकास की विपुल सम्भावनाएँ हैं। राज्य के पृथक-पृथक जिलों में प्रारम्भ से ही विभिन्न हस्तशिल्पों का विकास हुआ है। विभिन्न सांस्कृतिक एवं लोक कलाओं के साथ इनमें क्षेत्रीय परिवर्तन हुए, जिसके कारण आज राजस्थान में क्षेत्र अनुसार अनेक हस्तशिल्प प्रचलित हैं। राज्य में विकसित अधिकांश हस्तशिल्प दैनिक कार्यों में उपयोगी हैं, इसलिए यहां के हस्तशिल्प का बाजार न केवल ड्राइंगरूम या होटलों की सजावट करता है वरन् दैनिक उपयोग भी सुनिश्चित करता है। इसलिए राजस्थान के हस्तशिल्प की सदैव मांग बनी रहती है। राज्य से हस्तशिल्प के निर्यात की भी विपुल सम्भावनाएँ हैं। हस्तशिल्प के निर्यात में राजस्थान में जोधपुर ने एल्यूमिनियम एवं आयरन हैण्डीक्रॉफ्ट्स, बाड़मेर ने वुडन कारविंग एवं जयपुर ने मार्बल की मूर्तियों व हस्तशिल्प उत्पादों (यथा कारपेट, प्रिन्टेड कपड़ा) के क्षेत्र में अपनी एक विशिष्ट पहचान स्थापित करली है।

● राज्य में हस्तशिल्प की सम्भावना

राज्य में हस्तशिल्प विकास की विपुल सम्भावनाएँ हैं। राज्य के पृथक-पृथक जिलों में प्रारम्भ से ही विभिन्न हस्तशिल्पों का विकास हुआ। विभिन्न सांस्कृतिक एवं लोक कलाओं के साथ इनमें क्षेत्रीय परिवर्तन हुए। जिसके कारण आज राजस्थान में क्षेत्र अनुसार अनेक हस्तशिल्प प्रचलित हैं। राज्य में विकसित अधिकांश हस्तशिल्प दैनिक कार्यों में उपयोगी हैं। इसलिए यहां के हस्तशिल्प का बाजार न केवल ड्राइंगरूम या होटलों की सजावट करता है वरन् दैनिक उपयोग भी सुनिश्चित करता है। इस कारण राजस्थान के हस्तशिल्पियों की सदैव मांग बनी रहती है। राज्य से हस्तशिल्प के निर्यात की भी विपुल सम्भावनाएँ हैं। हस्तशिल्प के निर्यात में जोधपुर ने एल्यूमिनियम एवं आयरन हैण्डीक्रॉफ्ट्स, बाड़मेर ने वुडन कारविंग एवं जयपुर ने मार्बल की मूर्तियों व हस्तशिल्प उत्पादों (यथा कारपेट, प्रिन्टेड कपड़ा) के क्षेत्र में अपनी एक विशिष्ट पहचान स्थापित की है।

● राज्य में हस्तशिल्प उत्पाद का निर्यात

राजस्थान से हस्तशिल्प उत्पादों के निर्यात में वृद्धि हेतु राज्य सरकार द्वारा निम्न योजनाओं पर कार्य किया जा रहा है:—

एयर कारगो काम्पलेक्स, जयपुर:-

जयपुर में जेम एण्ड ज्वेलरी, हैण्डिकाफ्ट जैसे कम वजन वाले आईटम्स को निर्यात के लिए एयर लिफ्टिंग की सुविधाएं उपलब्ध कराने के उद्देश्य से राजस्थान लघु उद्योग निगम लि. द्वारा एक एयर कारगो कॉम्पलेक्स संचालित किया जा रहा है जिसमें सभी प्रकार की आधारभूत सुविधाएं एक ही स्थान पर उपलब्ध हैं। यहां कस्टम का इन्स्टेण्ट क्लीयरेंस किया जाता है ताकि निर्यातकों को मुम्बई एवं दिल्ली स्थित अन्तर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट पर नहीं जाना पड़े।

इन्लैण्ड कन्टेनर डिपो:-

राजस्थान राज्य एक सूखा बन्दरगाह क्षेत्र है, यहां सूखा बन्दरगाह की सुविधा उपलब्ध कराने के उद्देश्य विभिन्न एजेंसियों के द्वारा इन्लैण्ड कन्टेनर डिपों संचालित किये जा रहे हैं। इस प्रकार के डिपों में समस्त प्रकार की आधारभूत सुविधाएं उपलब्ध होती हैं तथा कस्टम का इन्स्टेण्ट क्लीयरेंस किया जाता है ताकि निर्यातकों को कांडला, बुम्बई स्थित अन्तर्राष्ट्रीय बन्दरगाहों पर नहीं जाना पड़े। यह आईसीडी क्रमशः जयपुर, खाटूवास एवं जोधपुर में स्थित है।

हस्तशिल्पियों को निर्यात पुरस्कार:-

राज्य के निर्यातकों को प्रोत्साहन देने हेतु राजस्थान निर्यात पुरस्कार योजनान्तर्गत दो हस्तशिल्प निर्यातकों एवं दो कारपेट के निर्यातकों को पुरस्कृत किया जाता है।

(ख) हस्तशिल्प विकास योजनाएं

(i) हस्तशिल्पी (आर्टीजन) परिचय पत्र

विकास आयुक्त, हस्तशिल्प, भारत सरकार की इस योजना में राज्य में स्थित क्षेत्रीय कार्यालयों के माध्यम से हस्तशिल्पियों का परिचय पत्र जारी कर, उनका पंजीकरण किया जाता है। तदुपरान्त भारत सरकार के कार्यक्रमों, योजनाओं में उनकी भागीदारी सुनिश्चित करते हुए उन्हें लाभ प्रदान किया जाता है। राज्य में मार्च, 2016 से राज्य सरकार द्वारा संचालित आर्टीजन पंजीयन पोर्टल (www.sso.rajasthan.gov.in) के माध्यम से हस्तशिल्पियों का पंजीयन किया जा रहा है। वर्षवार विवरण निम्नानुसार है:-

क्र० सं०	वर्ष	लक्ष्य	विकास आयुक्त हस्तशिल्प भारत सरकार द्वारा जारी करवाये गये परिचय पत्र/ राज्य सरकार द्वारा जारी परिचय पत्र (SSO Portal)
1.	2017-18	49500	28015
2.	2018-19	25000	8743
3.	2019-20	19500	5346
4.	2020-21 (दिसम्बर 2020 तक)	9366	2728

(ii) शिल्पियों हेतु बाजार सहायता योजना

राज्य के कुशल शिल्पियों को राष्ट्रीय एवं स्थानीय हस्तशिल्प प्रदर्शनियों में भाग लेने पर दैनिक भत्ता, यात्रा भत्ता एवं स्टाल शुल्क में रियायत हेतु यह योजना राज्य सरकार द्वारा लागू की गई है। योजनान्तर्गत शिल्पी को द्वितीय श्रेणी का यात्री किराया एवं राज्य में प्रदर्शनी में भाग लेने पर 350 रुपये एवं राज्य से बाहर 450/- रु.प्रतिदिन दैनिक भत्ता देय है। स्टॉल शुल्क में 50 प्रतिशत रियायत अधिकतम 4,500/- रुपये प्रदान की जाती है।

लाभार्थियों का विवरण मदवार

क्र० सं०	वर्ष	सामान्य मद		अनु.जाति मद		अनु.जन जाति मद	
		शिल्पी संख्या	राशि (लाख रु.)	शिल्पी संख्या	राशि (लाख रु.)	शिल्पी संख्या	राशि (लाख रु.)
1.	2017-18	171	26.72	59	6.83	2	0.93
2.	2018-19	148	26.63	43	6.75	1	0.14
3.	2019-20	255	34.84	78	5.72	—	—
4.	2020-21 (माह दिसम्बर, 2020 तक)	235	31.93	127	9.35	—	—

(3) हाथकरघा (Handloom) विकास योजनाएं

(क) हाथकरघा उद्योग : वस्तुस्थिति व सम्भावना

- स्वतन्त्रता आन्दोलन के दौरान 7 अगस्त 1905 को स्वदेशी उत्पादों को बढ़ावा दिये जाने हेतु स्वदेशी आन्दोलन प्रारंभ किया गया था। भारत सरकार द्वारा 7 अगस्त, 2015 को प्रथम राष्ट्रीय हैण्डलूम दिवस मनाये जाने की घोषणा की गई जिसका मुख्य उद्देश्य भारतीय हाथकरघा उद्योग के महत्व को सामान्य जन तक पहुँचाना था। अब तक चैन्नई, बनारस एवं गुवाहाटी में राष्ट्रीय हैण्डलूम दिवस मनाया गया है तथा पॉचवां राष्ट्रीय हैण्डलूम दिवस दिनांक 7 अगस्त, 2019 को भुवनेश्वर में मनाया गया।
- हाथकरघा उद्योग एक असंगठित क्षेत्र है जो कृषि के बाद सबसे अधिक रोजगार प्रदान करने वाला क्षेत्र है। प्रदेश में हाथकरघा बुनकरों की आबादी में लगभग 85 प्रतिशत अनुसूचित जाति एवं शेष अल्प संख्यक मुस्लिम समुदाय के गरीब बुनकर हैं। उक्त दोनों ही वर्गों के बुनकर आर्थिक एवं सामाजिक दृष्टि से पिछड़े हुए हैं। आयुक्त उद्योग विभाग राज्य के बुनकरों, बुनकर समितियों, शीर्ष समितियों, निगमों, उद्यमियों, निर्यातकों,

रंगाई एवं छपाई के कामगारों के कल्याण के लिए चलाई जा रही विभिन्न योजनाओं का क्रियान्वयन प्रत्येक जिले में स्थापित जिला उद्योग केन्द्रों के माध्यम से करता है। राजस्थान में तृतीय हाथकरघा गणना 2017-18 के अनुसार 13409 बुनकर कार्यरत हैं।

- **प्रदेश के प्रमुख हाथकरघा उत्पाद:**— प्रदेश के प्रमुख हाथकरघा उत्पाद कोटा डोरिया साड़ी, पट्टू, खेस, रेजा, लठ्ठा, बरडी, कम्बल, लोई, शॉल, बगरू व सांगानेरी प्रिन्टेड चादरें, तोलिये, टेरीकॉट वस्त्र, गॉज, बैन्डेज, दरियां, जाजम आदि हैं। राज्य में हाथकरघा के प्रमुख क्लस्टर निम्नानुसार हैं।

प्रदेश के प्रमुख हाथकरघा उत्पाद क्लस्टर

- | | |
|--------------------------|--|
| 1. कोटा, झालावाड़, बूंदी | कोटा डोरिया साड़ी, रनिंग क्लॉथ |
| 2. चूरू | ऊनी शॉल, खेस |
| 3. अजमेर | खेस, रेजी, टावल, जाटीसाड़ी, गूजरी साड़ी |
| 4. पाली | खेस, टावल |
| 5. जैसलमेर | राजीव शॉल, लेडिज शॉल, बरडी, कम्बल, पट्टू |
| 6. दौसा | दरी, हैण्डलूम वस्त्र |
| 7. बीकानेर | ऊनी शॉल, लोई, कम्बल |
| 8. भरतपुर | स्वाफी, अंगोछे, चादर, दरी पट्टी |
| 9. भीलवाड़ा | दरी, फर्श, रेजा, टावल |
| 10. जयपुर | रनिंग क्लॉथ, खेस, टावल |
| 11. अलवर | ग्रे क्लॉथ, स्वाफी, फर्श, रेजा, पोछा कपड़ा |
| 12. सीकर | रजाई—गद्दा खोल, दरी पट्टी |
| 13. श्रीगंगानगर | लोई, शॉल, खेस, दरी |
| 14. जालौर | खेस, तौलिया, छोटी दरी |
| 15. जोधपुर | ऊनी पट्टू, कम्बल, दरी |
| 16. नागौर | जाटू साड़ी, शॉल, चादर, दरियां |
| 17. बाड़मेर | रेजा, चादर, कम्बल, पट्टू |

राज्य में हाथकरघा विकास से जुड़ी निम्न संस्थाएँ कार्यरत हैं:—

- **राजस्थान राज्य हाथकरघा विकास निगम लि., जयपुर:**— राजस्थान हाथकरघा विकास निगम की स्थापना कम्पनी अधिनियम-1956 के अन्तर्गत अप्रैल, 1984 में की गई थी। निगम के छः क्षेत्रीय कार्यालय यथा :— जयपुर, बीकानेर, जोधपुर, अजमेर, कोटा एवं उदयपुर में स्थित हैं इसके अतिरिक्त निगम की 16 विपणन इकाइयां स्थापित है ।
- **निगम का मुख्य उद्देश्य** बुनकरों को आधुनिक हाथकरघों पर बुनाई का प्रशिक्षण देना, हाथकरघों के आधुनिकीकरण के लिए बुनकरों को सहायता उपलब्ध करवाना, कच्चा माल, (यार्न) उपलब्ध कराना, तैयार माल का विपणन में सहायता देना, बुनाई व छपाई की आधुनिक डिजाइन तैयार करवा कर व्यावसायिक स्तर पर उत्पादन करवाना एवं हाथकरघा विकास के लिए अनुसंधान करना है।
- **राजस्थान राज्य बुनकर सहकारी संघ लि., जयपुर:**— राजस्थान में सहकारिता के क्षेत्र में हाथकरघा उद्योगों की प्रगति एवं प्राथमिक बुनकर सहकारी समितियों के सामाजिक एवं आर्थिक विकास के साथ-साथ बुनकरों की कठिनाइयों के निवारण हेतु राजस्थान राज्य बुनकर सहकारी संघ लि. का गठन 26 अगस्त 1957 को किया गया था। बुनकर संघ की वर्तमान में 501 प्राथमिक सहकारी समितियां सदस्य है। बुनकर संघ द्वारा राज्य में 16 एवं राज्य के बाहर नई दिल्ली में एक डिपों संचालित किये जा रहे हैं। जिसके द्वारा राज्य एवं राज्य के बाहर प्रदर्शनियों में भाग लेकर हाथकरघा कपड़े की बिक्री में सहयोग दिया जा रहा है। बुनकर संघ ने अपने गठन के पश्चात राज्य एवं केन्द्र सरकार के द्वारा प्रदान की गई हिस्सा पूँजी एवं सदस्य सहकारी समितियों द्वारा तैयार माल का विपणन कर परिसम्पत्तियां अर्जित की गई।
- **बुनकर सेवा केन्द्र:**— भारत सरकार की हाथकरघा से सम्बन्धित योजनाओं को राज्य सरकार तथा सहकारी संघों के साथ समन्वय स्थापित कर लागू करने हेतु भारत सरकार द्वारा जुलाई 1978 में बुनकर सेवा केन्द्र, जयपुर की स्थापना की है। जिसका मुख्य उद्देश्य डिजाइन, रंगाई/छपाई एवं बुनाई के नमूने बनाकर बुनाई तकनीक का विकास एवं सुधार करना एवं प्रदर्शनियों एवं सेमीनारों का समय-समय पर आयोजन करना, पारम्परिक वस्त्रों के नमूनों का परीक्षण करना एवं हाथकरघा वस्त्रों को बढ़ावा देना है।
- **बुनकरों के पंजीयन हेतु ऑन लाईन पोर्टल:**—राज्य सरकार द्वारा बुनकरों के पंजीयन/ बुनकर कार्ड के लिए ऑन लाईन वीवर रजिस्ट्रेशन पोर्टल स्थापित किया है।

- **हाथकरघा वस्त्रों के विपणन हेतु मेले व हाट बाजार:**— उद्यम प्रोत्साहन संस्थान, जयपुर द्वारा वर्ष पर्यन्त राज्य के पृथक-पृथक जिलों में राज्य/ जिला स्तरीय औद्योगिक मेलों का आयोजन किया जाता है।
- **स्पेशल/ नेशनल हैण्डलूम एक्सपो:**— विकास आयुक्त (हाथकरघा) वस्त्र मंत्रालय सरकार द्वारा वर्ष पर्यन्त देश के पृथक-पृथक राज्यों में एक्सपो आयोजित किये जाते हैं। जिनमें बुनकर सहकारी समितियां अपने उत्पाद का प्रदर्शन एवं बिक्री कर सकती है।
- **भारतीय हाथकरघा प्रौद्योगिकी संस्थान जोधपुर:**— राज्य में हाथकरघा का प्रशिक्षण (त्रिवर्षीय डिप्लोमा कोर्स) दिये जाने हेतु जोधपुर में भारतीय हाथकरघा प्रौद्योगिकी संस्थान कार्यरत है। संस्थान में राजस्थान के लिये 17 सीट आरक्षित है। संस्थान में प्रशिक्षण प्राप्त करने वाले छात्रों को भारत सरकार एवं राज्य सरकार द्वारा प्रतिमाह छात्रवृत्ति दिये जाने का प्रावधान है।
- **राज्य में हाथकरघा विकास हेतु सुझाव:**— राज्य में बुनकरों के समुचित विकास हेतु हाथकरघा निदेशालय के स्थापना की आवश्यकता है। हाथकरघा निदेशालय की स्थापना की मांग बुनकरों द्वारा काफी लम्बे समय से की जाती रही है। देश में जिन प्रदेशों में हाथकरघा निदेशालय स्थापित है वहां के बुनकरों की आर्थिक/सामाजिक स्थिति तुलनात्मक दृष्टि से काफी अच्छी है। देश में केरल, तमिलनाडू, आन्ध्रप्रदेश, पश्चिम बंगाल, मध्य प्रदेश कर्नाटक, उत्तर प्रदेश, उत्तराखण्ड राज्य में हाथकरघा निदेशालय कार्यरत है।
- **वर्तमान में जी एस टी एवं ई वे बिल प्रक्रिया लागू होने के कारण गरीब एवं कम पढ़े लिखे बुनकरों को अपना व्यवसाय जारी रखने में कठिनाई का सामना करना पड़ रहा है।**

(ख) हाथकरघा उद्योग से सम्बन्धित योजनाएं

राजस्थान में हाथकरघा उद्योग एक प्रमुख उद्योग है। राज्य में हाथकरघा के विकास हेतु कार्यालय आयुक्त, उद्योग नोडल विभाग है। हाथकरघा विकास हेतु हाथकरघा विकास निगम, राजस्थान राज्य बुनकर सहकारी संघ कार्यरत है।

विभाग द्वारा क्रियान्वित की जा रही निम्नांकित हाथकरघा विकास संबंधी मुख्य योजनाओं की प्रगति का विवरण निम्नानुसार है:—

(i) उत्पाद विविधीकरण योजना

योजनान्तर्गत राज्य के अलग-अलग जिलों में कार्यरत 25-25 बुनकरों के 2 दल प्रतिवर्ष भारत के अन्य राज्यों में हाथकरघा इकाइयों के डिजाइन एवं टेक्नीकल उत्पादों एवं उत्पादन क्षमता के अध्ययन हेतु राज्य सरकार के व्यय पर भेजा जाता है, जिससे राज्य के बुनकर अन्य राज्यों में उपयोग में ली जा रही नवीन तकनीकी, उत्पादों के विविधीकरण, डिजाइन विकास, हाथकरघा वस्त्रों के विपणन के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकें, जिसका विवरण निम्नानुसार है:-

क्र०सं०	वर्ष	बुनकरों की संख्या	बुनकरों से सम्बन्धित जि. उ.केन्द्र	यात्रा स्थल/राज्य का नाम
1.	2017-18	25 25	कोटा कोटा	मध्यप्रदेश पश्चिम बंगाल
2.	2018-19	25 25	राजसमन्द बूंदी	तमिलनाडु कर्नाटक
3.	2019-20	कोविड-19 महामारी के कारण आयुक्त, उद्योग द्वारा यात्रा स्थगित कर दी गई। आवंटित राशि को समर्पित कर दिया गया है।		
4.	2020-21			

(ii) बुनकर पुरस्कार योजना

राज्य सरकार द्वारा राज्य के कुशल बुनकरों/सहकारी समितियों को उनके द्वारा उत्पादित उत्कृष्ट उत्पादों एवं गतिविधियों को पहचान व सम्मान दिलाने के लिए जिला स्तर एवं राज्य स्तर पर नकद पुरस्कार दिये जाने की योजना 2005-06 से प्रारंभ की गई।

बुनकर पुरस्कार हेतु जिला स्तर एवं राज्य स्तर पर दी जाने वाली राशि को बढ़ा दिया गया है। नवीन दरें निम्नानुसार हैं :

जिला स्तर	राज्य स्तर
प्रथम — 5,100 /—रु.	21,000 /—रु.
द्वितीय — 3,100 /—रु.	11,000 /—रु.
तृतीय — 2,100 /—रु.	7,000 /—रु.
सांत्वना— 1,100 /—रु.	3,100 /—रु.

वर्षवार पुरस्कृत बुनकरो की संख्या व पुरस्कार राशि का विवरण निम्नानुसार है:-

क्र०सं०	वर्ष	बजट प्रावधान (इकाई संख्या)	पुरस्कृत बुनकरों की संख्या	पुरस्कार राशि (राशि लाख रु.)
1.	2017-18	3.00	70	2.22
2.	2018-19	3.00	80	2.78
3.	2019-20	3.00	92	2.65
4.	2020-21 (दिसम्बर 2020 तक)	3.00	85	2.50

(4) कपड़ा (Textile) उद्योग व उससे संबंधित योजनाएं

(क) कपड़ा उद्योग : वस्तुस्थिति व सम्भावना

राजस्थान का वस्त्र उद्योग सदियों पुराना उद्योग है। राजस्थान देश में अपनी पहचान कपास, ऊन, पॉलिस्टर विस्कोस यार्न, सिन्थेटिक शूटिंग, सर्टिंग तथा कपड़ा बुनाई छपाई, हस्तनिर्मित वस्त्र निर्माण तथा हैण्डीक्राफ्ट टैक्सटाईल के उत्पादन कार्य में रखता है। भीलवाड़ा, बांसवाड़ा तथा किशनगढ़ (अजमेर) सिन्थेटिक, पॉलिस्टर विस्कार्स, शूटिंग सर्टिंग में संपूर्ण भारत में नई छवि के रूप में विकसित हुआ है। पाली, बालोतरा (बाड़मेर), सांगानेर एवं बगरू (जयपुर) प्रोसेसिंग तथा रंगाई छपाई के लिए देश में ही नहीं अपितु संपूर्ण विश्व में अपनी पहचान बनाये हुए है। राजस्थान की कोटा डोरियां साड़ियां जो कोटा, बूंदी एवं बारां में हस्तनिर्मित हैं, वह भी विश्व विख्यात हैं।

राजस्थान का वस्त्र उद्योग ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार का प्रमुख साधन रहा है। पावरलूम क्षेत्र में 3000 से अधिक स्थापित इकाईयों के द्वारा 60 हजार लोगों को प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष रूप से रोजगार उपलब्ध कराया गया है।

जैसलमेर, बाड़मेर एवं बीकानेर में प्रचुर मात्रा में ऊन का उत्पादन होता है जो कि देश की 30 प्रतिशत ऊन की उपलब्धता को पूर्ण करता है। इसी तरह भीलवाड़ा, चित्तौड़, अजमेर, जोधपुर, बीकानेर, नागौर, गंगानगर तथा हनुमानगढ़ में कपास का उत्पादन प्रचुर मात्रा में होता है जिससे राज्य में 24 जिनिंग एवं प्रोसेसिंग यूनिट स्थापित है। इन उद्योगों के माध्यम से ही लगभग 2 लाख से अधिक भेड़ पालकों तथा किसानों को अप्रत्यक्ष रूप से रोजगार प्राप्त हो रहा है। जिससे उनकी आय में वृद्धि होती है।

राजस्थान में कपास के उत्पादन से कपड़ा रंगाई छपाई तक की श्रृंखला में लगभग 7-8 लाख व्यक्तियों को प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष रूप से रोजगार प्राप्त हो रहा है। टैक्सटाईल के एक्सपोर्ट के माध्यम से प्रदेश को आय का स्रोत प्राप्त होने के साथ-साथ रोजगार सृजन भी हो रहा है। टैक्सटाईल क्षेत्र में 7000 करोड़ रु. का प्रतिवर्ष एक्सपोर्ट किया जा रहा है।

(ख) कपड़ा उद्योग से सम्बन्धित योजनाएं

(i) एकीकृत प्रोसेसिंग विकास योजना

(Integrated Processing Development Scheme)

वस्त्र मंत्रालय भारत सरकार द्वारा टेक्सटाईल इकाईयों से होने वाले प्रदूषण को नियंत्रण करने के उद्देश्य से एकीकृत प्रोसेसिंग विकास योजना प्रारंभ की गई। योजनान्तर्गत

परियोजना लागत का 50 प्रतिशत (अधिकतम 75 करोड़ रुपये) केन्द्र सरकार द्वारा व 25 प्रतिशत राज्य सरकार द्वारा व 25 प्रतिशत एस.पी.वी. स्वयं के स्रोत तथा बैंक आदि से ऋण/सहायता प्राप्त कर वहन किया जाता है। राज्य में आई.पी.डी.एस. योजनान्तर्गत निम्नलिखित परियोजनाएं स्वीकृत की गई हैं :-

क्र. स.	S.P.V. का नाम	परियोजना लागत (करोड़ रुपये में)	प्रकार
1.	बालोतरा वॉटर पॉल्यूशन कंट्रोल एवं रिसर्च फाउण्डेशन ट्रस्ट, बालोतरा	115.13	अपग्रेडेशन
2.	जसोल वाटर पॉल्यूशन कंट्रोल एण्ड ट्रीटमेंट ट्रस्ट, जसोल	22.50	अपग्रेडेशन
3.	सांगानेर एनवायरॉ प्रोजेक्ट, डवलपमेंट, सांगानेर	159.00	ZLD (नया)
4.	पाली जल प्रदूषण नियंत्रण परिशोधन एवं अनुसंधान फाउण्डेशन, पाली	100.00	अपग्रेडेशन

उक्त S.P.V. में से सांगानेर प्रोजेक्ट पर कार्य चल रहा है जिसमें अब तक 123.59 करोड़ रुपये का व्यय हो चुका है। राज्य सरकार द्वारा परियोजना में सम्पूर्ण राज्यांश हिस्सा राशि 39.75 करोड़ रुपये उपलब्ध कराये गये हैं। शेष तीनों परियोजनाओं हेतु राज्यांश राशि 12.75 करोड़ रुपये अब तक जारी किये जा चुके हैं।

(ii) टेक्सटाईल पार्क योजना

भारत सरकार के वस्त्र मंत्रालय की प्रमुख योजना Scheme Of Integrated Textile Park (SITP) का संचालन राजस्थान में किया जा रहा है। योजनान्तर्गत Common Infrastructure, CETP, Captive Power Plants आदि की स्थापना हेतु परियोजना लागत का 40 प्रतिशत अथवा अधिकतम 40 करोड़ रुपये की सहायता दिये जाने का प्रावधान है। राज्य सरकार पार्कों को Handholding Support प्रदान करती है।

वर्तमान में राज्य में 4 टेक्सटाईल पार्क्स कार्यरत हैं, जिनकी स्थिति निम्नानुसार है :-

क्र. स.	टेक्सटाईल पार्क का नाम	स्वीकृति वर्ष	परियोजना लागत (करोड़ रु.)	वर्तमान स्थिति
1.	जयपुर इन्टीग्रेटेड टेक्सक्राफ्ट पार्क, बगरू, जयपुर	2008	60.15	पार्क विकसित प्रोजेक्ट पूर्ण
2.	जयपुर टेक्स विविंग पार्क, किशनगढ़, अजमेर	2005	96.81	पार्क विकसित
3.	किशनगढ़ हाईटैक टेक्स पार्क, किशनगढ़, अजमेर	2006	110.58	
4.	नेक्सजेन टेक्सटाईल पार्क, पाली	2007	101.40	पार्क विकसित

(5) चर्म उद्योग व उससे सम्बन्धित योजनाएं

(क) चर्म उद्योग : वस्तुस्थिति व सम्भावना

भारत के कुल कच्चे चमड़े का 13 प्रतिशत उत्पादन राजस्थान राज्य में होता है। राज्य में 57.73 मिलियन पशुधन है जबकि तमिलनाडु, कर्नाटक एवं आन्ध्रप्रदेश में यह संख्या आधी से भी कम है, जबकि लेदर प्रोडक्ट की अधिकांश फैक्ट्रियाँ इन्हीं राज्यों में हैं। राज्य में 20 लाख से अधिक चर्म दस्तकार हैं जो कि पैतृक रूप से चर्म फुटवियर (मोजरी/जूती), लैदर गुड्स (बैल्ट, केब, पर्स) का कार्य कर रहे हैं, परन्तु उनको आधुनिक उपकरणों/ मशीनों की जानकारी नहीं होने के कारण उनको अपने उत्पाद का उचित मूल्य प्राप्त नहीं होता है। राज्य के चर्म उत्पादों की देश-विदेश में अत्यधिक मांग होने के बावजूद चर्म दस्तकारों की आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं है व आधुनिक मांग के अनुरूप अपने उत्पाद तैयार नहीं कर पाते हैं।

राजस्थान में चर्म उद्योग की वस्तु-स्थिति एवं संभावनाएँ:-

राजस्थान में ग्रामीण व अर्द्ध-शहरी क्षेत्रों में चर्म शिल्प परम्परागत रूप से आजीविका व स्व-रोजगार का मुख्य स्रोत रहा है। वर्तमान में मुख्यतः भीनमाल (जालौर), बाड़मेर, जोधपुर, जैसलमेर, जयपुर, अलवर, चित्तौड़गढ़ आदि जिलों में बहुतायत मात्रा में चर्म हस्तशिल्पी कार्यरत हैं।

संभावनाएँ:-

कच्चे माल (चमड़ा) की उपलब्धता:-

राज्य में 57.73 मि. पशुधन उपलब्ध होने से चर्म उद्योग के लिए पर्याप्त कच्चे माल की उपलब्धता है। राज्य में भारत का 13 प्रतिशत कच्चे चमड़े का उत्पादन होता है। किन्तु राज्य में चर्म शोधन इकाइयों की कमी होने से राज्य के चर्म शिल्पियों को राज्य से बाहर से कच्चा माल क्रय करना पड़ता है।

श्रम की उपलब्धता:-

राज्य में 20 लाख से अधिक कुशल व अर्द्धकुशल चर्म दस्तकार हैं। जिन्हें आधुनिक डिजाइन एक तकनीकी प्रशिक्षण प्रदान करने की आवश्यकता है।

चर्म उत्पाद की मांग में वृद्धि:-

राज्य के भीतर, राष्ट्रीय एवं अन्तर्राष्ट्रीय बाजारों में चर्म शिल्प उत्पादों यथा, लैदरगुड्स बैग, मौजड़ी जूतियाँ, बैल्ट, डायरीकवर, पर्स व लैदर फर्नीचर, डेकोरेविट आइटम आदि की मांग निरन्तर बढ़ती जा रही है।

निर्यात संवर्द्धन:-

चर्म शिल्प उत्पादों के निर्यात से राज्य व देश को विदेशी मुद्रा अर्जित की संभावना है।

रोजगार सृजन:-

चर्म शिल्प के एकीकृत विकास से राज्य में व्यापक रोजगार सृजन की संभावना है।

मानपुरा माचेडी चर्म औद्योगिक क्षेत्र:- राज्य सरकार द्वारा चर्म उद्योग के विकास के लिए मानपुरा माचेडी (जयपुर) में चर्म औद्योगिक क्षेत्र विकसित किया गया है। इस क्षेत्र में 8 लेदर की इकाइयाँ स्थापित हुई हैं।

(ख) चर्म उद्योग से सम्बन्धित योजनाएं

(i) चर्म प्रशिक्षण

राज्य सरकार द्वारा चर्म उद्योग को बढ़ावा देने, दस्तकारों के उत्पादन एवं गुणवत्ता में सुधार, नई डिजाइन के उत्पाद तैयार कराने एवं स्वयं का रोजगार शुरू करने के उद्देश्य से वर्ष 1990 में चर्म प्रशिक्षण योजना को प्रारम्भ किया गया। योजना के अन्तर्गत चर्म रंगाई, नागरा जूती, लेदर गुड्स एवं लेदर टॉयज बनाने के नवीनतम तकनीक से प्रशिक्षण जिला उद्योग केन्द्रों के माध्यम से दिलाया जाता है। यह प्रशिक्षण 2 माह का होता है। प्रशिक्षण के अन्तर्गत 15 प्रशिक्षणार्थियों का बैच चर्म रंगाई एवं नागरा जूती हेतु तथा 20 प्रशिक्षणार्थियों का बैच लेदर गुड्स व लेदर टॉयज हेतु निर्धारित है। योजनान्तर्गत वित्तीय वर्ष 2020-21 में 12.82 लाख रुपये का (आर.ई. प्रस्तावित) बजट प्रावधान है।

लाभान्वित वर्ग:- अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति क्षेत्र, अन्य पिछड़ा वर्ग एवं सामान्य वर्ग के 18 से 35 वर्ष उम्र के व्यक्ति लाभान्वित होंगे। चयन समिति को उम्र में 10 वर्ष तक की छूट देने का अधिकार है।

योग्यता:- प्रशिक्षणार्थियों को साक्षर होना आवश्यक है। 8 वीं पास एवं इससे अधिक पढ़े लिखे प्रशिक्षणार्थियों को वरियता दी जावेगी।

स्टाई फंड:- प्रशिक्षणार्थियों को प्रशिक्षण के दौरान 500 रुपये प्रति माह स्टाई फंड दिया जाता है।

टूल किट्स:- प्रशिक्षणार्थियों को प्रशिक्षण के उपरान्त स्वयं का रोजगार स्थापित कराने के उद्देश्य से 1000 रुपये तक के टूल किट्स उपलब्ध कराये जाते हैं।

आवेदन:- आवेदक को प्रशिक्षण हेतु सादे कागज पर अपना पूर्ण विवरण अंकित करते हुए संबंधित महाप्रबंधक, जिला उद्योग केन्द्र को प्रस्तुत करना होगा।

चर्म प्रशिक्षण का वर्षवार विवरण निम्नानुसार है:-

क्र. सं.	वर्ष	भौतिक लक्ष्य (संख्या)	उपलब्धि (संख्या)	आवंटित बजट (राशि लाख रु)	व्यय (राशि लाख रु)
1	2017-18	195	195	10.00	9.54
2	2018-19	195	195	10.00	9.24
3	2019-20	195	195	10.00	8.75
4	2020-21 (दिसम्बर 2020 तक)	375	125	12.82	3.37

(ii) राजस्थान चर्म शिल्प विकास एवं आधुनिकीकरण योजना, 2012

राज. चर्म शिल्प विकास एवं आधुनिकरण योजना:- चर्म दस्तकारों को चर्म उद्योग से संबंधित आधुनिक औजार शु-लास्ट (फर्मे) एवं मशीन आदि उपलब्ध करवाने पर चर्म दस्तकार बाजार में प्रचलित फैशन एवं मांग के अनुरूप उत्पाद तैयार कर, गुणवत्ता में सुधार लाने के साथ-साथ आय में भी बढ़ोतरी हो सके इस हेतु योजनान्तर्गत चर्म दस्तकारों द्वारा बैंक से लिये गये ऋण का अधिकतम राशि 30000/-रुपये की सहायता राज्य सरकार द्वारा उपलब्ध करवाये जाने का प्रावधान था।

चर्म दस्तकारों को आधुनिक औजार, शु-लॉस्ट (फर्मे) एवं उत्पाद से संबंधित मशीनें क्रय करने हेतु राज्य सरकार द्वारा वर्ष 2017-18 से 2019-20 तक 168 चर्म दस्तकारों को राशि 23.94 लाख रुपये की सहायता उपलब्ध करवाई गई है।

वर्षवार प्रगति निम्नानुसार है:-

क्र.सं.	वर्ष	भौतिक लक्ष्य (संख्या)	उपलब्धि (संख्या)	आवंटित बजट (राशि लाखों में)	व्यय (राशि लाखों में)
1	2017-18	100	64	10.00	8.44
2	2018-19	100	61	10.00	9.12
3	2019-20	102	43	10.00	6.38
	योग	302	168	30.00	23.94

नोट:- यह योजना 31 मार्च, 2020 से समाप्त हो गई है।

(6) नमक उद्योग व उससे सम्बन्धित योजनाएं

(क) लवण उद्योग : वस्तुस्थिति व सम्भावना— लवण क्षेत्रों में आधारभूत सुविधाओं का विवरण, लवण क्षेत्रों में सर्वेक्षण एवं सीमांकन

राजस्थान भूमिगत जल से लवण निर्माण में सर्वोच्च स्थान रखता है। देश में उत्पादित नमक का लगभग 12 प्रतिशत हिस्सा राज्य में उत्पादित किया जाता है। यह उद्योग राज्य के रेगिस्तानी इलाकों में स्थित है, जो अकाल के समय में भी लोगों को रोजगार उपलब्ध कराता है। राज्य के खुले लवण क्षेत्रों में निजी इकाइयों को राज्य सरकार के उद्योग विभाग के माध्यम से लवण भूमि का आवंटन किया जाता है, जबकि आरक्षित लवण क्षेत्रों में राजकीय/केन्द्रीय उपक्रम विभागों द्वारा नमक उत्पादन का कार्य करवाया जाता है। इसके अतिरिक्त लवण क्षेत्रों की परिधि में खातेदारों (कृषकों) जिनकी भूमि लवणीय हो गयी है, खातेदार (कृषक) द्वारा खातेदारी भूमि को कृषि से अकृषि भूमि में राजस्व विभाग के माध्यम से रूपान्तरित करवाकर लवण निर्माण का कार्य किया जाता है।

राजस्थान राज्य में खुले लवण क्षेत्र जोधपुर, नागौर, जैसलमेर, चूरू, सीकर व बाड़मेर जिलों में घोषित हैं। वर्तमान में राज्य के विभिन्न लवण क्षेत्रों में 648 इकाइयों को 10833 एकड़ भूमि आवंटित है, जिनसे लगभग 15.00 लाख से 17.00 लाख रुपये राजस्व आय प्रतिवर्ष प्राप्त होती है।

निजी खातेदारी द्वारा राजस्थान कृषि से अकृषि भूमि रूपान्तरण नियम-1961 के अन्तर्गत जिला कलक्टर को 10 एकड़ तक रूपान्तरण की शक्तियां प्रदत्त थी। वर्ष 1992 से पूर्व विभिन्न जिला कलक्टरों द्वारा 650 इकाइयों की 4600 एकड़ भूमि को रूपान्तरित किया गया था। इन इकाइयों के संबंध में लीज निष्पादन, नवीनीकरण, हस्तान्तरण की कार्यवाही उद्योग विभाग द्वारा ही सम्पादित की जाती है।

वर्ष 1992 के बाद कृषि से अकृषि लवण भूमि ग्रामीण क्षेत्र में भूमि संपरिवर्तन नियम 1992 एवं 2007 के तहत कृषि भूमि का लवण भूमि में संपरिवर्तन राजस्व विभाग द्वारा किया जा रहा है एवं इनकी वास्तविक सूचना राजस्व विभाग के पास उपलब्ध है।

लवण क्षेत्रों में आधारभूत सुविधाओं का विवरण

लवण क्षेत्रों में आधारभूत सुविधाओं को विकसित करने के तहत लवण क्षेत्रों में सड़क बनाने, पीने के लिए स्वच्छ जल, बांध निर्माण, विद्युतीकरण आदि के कार्य राज्य सरकार की

एजेन्सीज यथा सार्वजनिक निर्माण विभाग, जनस्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग, सिंचाई विभाग एवं विद्युत विभाग के माध्यम से करवाये जाते हैं।

लवण क्षेत्रों में आधारभूत सुविधाओं को विकसित किये जाने हेतु महाप्रबन्धकों द्वारा स्थानीय नमक उत्पादकों/संघों के प्रतिनिधियों से चर्चा कर, आवश्यकतानुसार प्रस्ताव प्राप्त कर प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति हेतु मुख्यालय को उपलब्ध कराई जाती है, प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति प्रशासनिक विभाग द्वारा जारी की जाती हैं।

वर्ष 2016–2017

क्र.स.	सड़क निर्माण का कार्य का नाम	आवंटित राशि (लाख रु.)	व्यय राशि (लाख रु.)
1.	आउ से खाखडकी जिला सीमा तक 6.00 कि.मी. सड़क निर्माण	79.08	76.52
2	चौधरी ऑटो से नमक एरिया बाईपास पर सड़क निर्माण हेतु	52.76	46.89
3	नांवा जाबदीनगर सड़क से पुराने रेल्वे क्वार्टर साल्ट एरिया जाबदीनगर को जोड़ने के लिए 3.50 कि.मी. सड़क निर्माण	70.00	68.54
4	बापरिण लवण क्षेत्र में प्लॉट सं. 80, 87, 111, 139, 174 व 195 के मध्य 1.30 कि.मी. सड़क निर्माण	38.00	0.00
योग रु.		239.84	191.95

वर्ष 2017–18

क्र. स.	सड़क निर्माण का कार्य का नाम	आवंटित राशि (लाख रु.)	व्यय राशि (लाख रु.)
1	बापरिण लवण क्षेत्र में प्लॉट सं. 80, 87, 111, 139, 174 व 195 के मध्य 1.30 किलोमीटर सड़क निर्माण (जोधपुर)	38.00	66.24
2	बापरिण भू. सं. 225 और 226 के मध्य से 291 और 292 तक सड़क निर्माण (जोधपुर)	34.00	
3	बापरिण लवण क्षेत्र में भू. सं. 254 और 255 के मध्यम से लवण भूखण्ड सं. 148 और 149 तक सड़क निर्माण (जोधपुर)	35.00	23.22
4	नांवा शहर में सी.सी. रोड़ (रेल्वे साईडिंग सी-22 (प्लांट एरिया) से निधी धर्मकांटा तक तक कुल 1.2 किलोमीटर) सड़क निर्माण (नागौर)	93.00	80.99
योग रु.		200.00	170.45

वर्ष 2018-19 एवं 2019-20

क.सं.	योजना का नाम	सा.नि.विभाग से प्राप्त अनुमानों के अनुमानित लागत (लाख रुपये में)	चालू वित्तीय वर्ष में व्यय किये/स्वीकृत की जाने वाली राशि (लाख रु.में)	व्यय राशि
1	मलार रिण लवण क्षेत्र में बी.टी. सड़क का निर्माण – प्लॉट सं. 99-87 के मध्य से भू.स. 96 के पश्चिमी किनारे से भू.स. 126 के दक्षिण किराने तक एवं भू. सं. 126-123 से भू.स. 530 बापरिण तक। (जोधपुर)	70.98	53.00	वर्ष 2018-19 में सड़को की प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति दिनांक 28.06.2018 को जारी की गई। कार्य पूर्ण हो गया है, वित्त विभाग द्वारा लिमिट जारी नहीं करने के कारण व्यय नहीं हो पाया। वर्ष 2019-20 में पुनः प्रावधान कराया गया है। दिनांक 25.01. 2020 तक 7881750 रु. की राशि व्यय हो चुकी है।
2	बाप रिण लवण क्षेत्र में बी.टी. सड़क का निर्माण – प्लॉट नं. 39-60 से 42-57 के मध्य 900 मीटर बी.टी. रोड़ तक सड़क निर्माण (जोधपुर)	34.53	26.00	
3	कुचामन लवण क्षेत्र में बी. टी. सड़क का निर्माण – मुख्य सड़क से दक्षिणी दिशा की ओर दानाराम नाई के भूखण्ड तक वाया नन्दलाल किशनलाल मोर एवं रिद्धकरण दुग्गड के लवण भूखण्ड (नागौर)	29.19	21.00	
योग रु.		134.70	100.00	

वर्ष 2020-21 के लिए नागौर जिले के जाब्दीनगर लवण क्षेत्र में नावां-गुढ़ा साल्ट रोड 7/500 (तेजाजी टेम्पल से मेहताबसिंह खारड़ा तक सी.सी. रोड़ के निर्माण हेतु राशि 3037000 रु. का कार्यादेश अधिशासी अभियंता कुचामन सिटी डिविजन, सार्वजनिक निर्माण विभाग द्वारा जारी किया गया है।)

लवण क्षेत्रों में सर्वेक्षण एवं सीमांकन

राज्य में अनेक क्षेत्रों में भूमि की क्षारीयता बढ़ जाने के कारण स्थानीय लोगों/जनप्रतिनिधियों के माध्यम से प्राप्त प्रस्ताव पर राज्य सरकार स्तर पर निर्णय उपरान्त लवण उत्पादन की संभावनाओं हेतु सर्वेक्षण कराया जाता है। सर्वेक्षण रिपोर्ट के आधार क्षेत्र को लवण क्षेत्र घोषित कराया जाता हैं एवं लवण भूमि के उत्पादन योग्य नहीं रहने पर अलवण क्षेत्र घोषित कराने की कार्यवाही की जाती हैं। घोषित लवण क्षेत्रों (आरक्षित व खुला क्षेत्र) के सीमांकन एवं प्लॉटिंग का कार्य करवाया जाता है।

वित्तीय वर्ष 2020-21 में प्रावधित राशि 2 लाख रुपये में से सर्वेक्षण एवं सीमांकन का कार्य कराने हेतु महाप्रबन्धक जि.उ.केन्द्र नागौर को ब्राईन की उपलब्धता एवं घनत्व की जानकारी कुचामन लवण क्षेत्र हेतु रु. 1.50 लाख एवं महाप्रबन्धक जि.उ.के. बाड़मेर को 0.50 लाख रु. सेड़वा तहसील के लवण क्षेत्रों में पत्थरगढ़ी हेतु उपलब्ध कराए गए हैं।

(ख) लवण उद्योग से सम्बन्धित योजनाएं

(i) लवण श्रमिक कल्याण सहायता योजना

लवण श्रमिक कल्याण सहायता योजना वर्ष 2009 में प्रारम्भ की गई। लवण क्षेत्रों में कार्यरत लवण श्रमिक कल्याण योजनान्तर्गत लाभार्थी होंगे। योजनान्तर्गत लवण श्रमिकों की पहचान कर उन्हें पहचान पत्र जारी करना एवं पहचान पत्र के आधार उन्हें बीमा का लाभ प्रदान करना एवं गमबूट्स, गौगल्स एवं साईकिल (लवण श्रमिक द्वारा 300/-रुपये के स्वयं के अंशदान पर) सहभागिता के आधार पर उपलब्ध कराई जाती थी। राज्य सरकार द्वारा योजना उपादेयता नहीं होने के कारण गजट नोटिफिकेशन दिनांक 14.06.2018 से योजना संशोधन करते हुए पहचान पत्र, गमबूट्स, गौगल्स एवं साईकिल उपलब्ध करवाये जाने की योजना को समाप्त कर दिया गया एवं लवण श्रमिकों का पीएमजेजेबीवाई/पीएमएसबीवाई योजना के अन्तर्गत बीमित करने का प्रावधान को भारतीय जीवन बीमा निगम द्वारा केन्द्र सरकार द्वारा लिए गए निर्णयानुसार 01.06.2019 के पश्चात नवीनीकरण नहीं किया गया है। अतः योजना नियमानुसार समाप्त हो चुकी है।

वर्ष	संशोधित बजट (लाख रु.)	व्यय राशि (लाख रु.)	लाभान्वित श्रमिकों की संख्या				
			पहचान पत्र	बीमा	गमबूट्स	गौगल्स	साईकिल
2014—2015	38.00	35.68	91	15559	648	616	525
2015—2016	40.00	39.14	222	15267	510	495	645
2016—2017	26.00	25.69	302	15275	560	545	200
2017—18	25.00	19.14	173	—	672	547	95
2018—19	25.00	3.54	—	1958	—	—	—
2019—20	5.00	2.49	—	1454	—	—	—

(7) निर्यात (Export)

राज्य सरकार ने निर्यात की पहचान आर्थिक विकास को प्रेरित करने वाले क्षेत्रों में से एक के रूप में की है। राज्य से निर्यात का महत्व न केवल देश के राजस्व के लिए विदेशी मुद्रा अर्जित करने में निहित है, बल्कि राज्य को अप्रत्यक्ष लाभ पहुँचाने में भी है जैसे—उत्पादन हेतु बाजारों के विस्तार के अवसर, उत्पाद की गुणवत्ता में सुधार एवं अनुवर्ती तकनीक संचालन, संयंत्रों में तकनीकी उन्नयन, मशीनरी और विनिर्माण प्रक्रिया, वृहद् रोजगार के अवसर आदि। निर्यात प्रोत्साहन के लिए राज्य की प्रतिबद्धता का आंकलन नीति आयोग द्वारा जारी निर्यात तैयारी सूचकांक (EPI) रिपोर्ट 2020 द्वारा स्पष्टता से किया जा सकता है। रिपोर्ट के अनुसार राजस्थान 62.59 के स्कोर के साथ लैण्डलॉक राज्यों की श्रेणी में देश में प्रथम एवं ऑवरऑल चौथे स्थान पर रहा है।

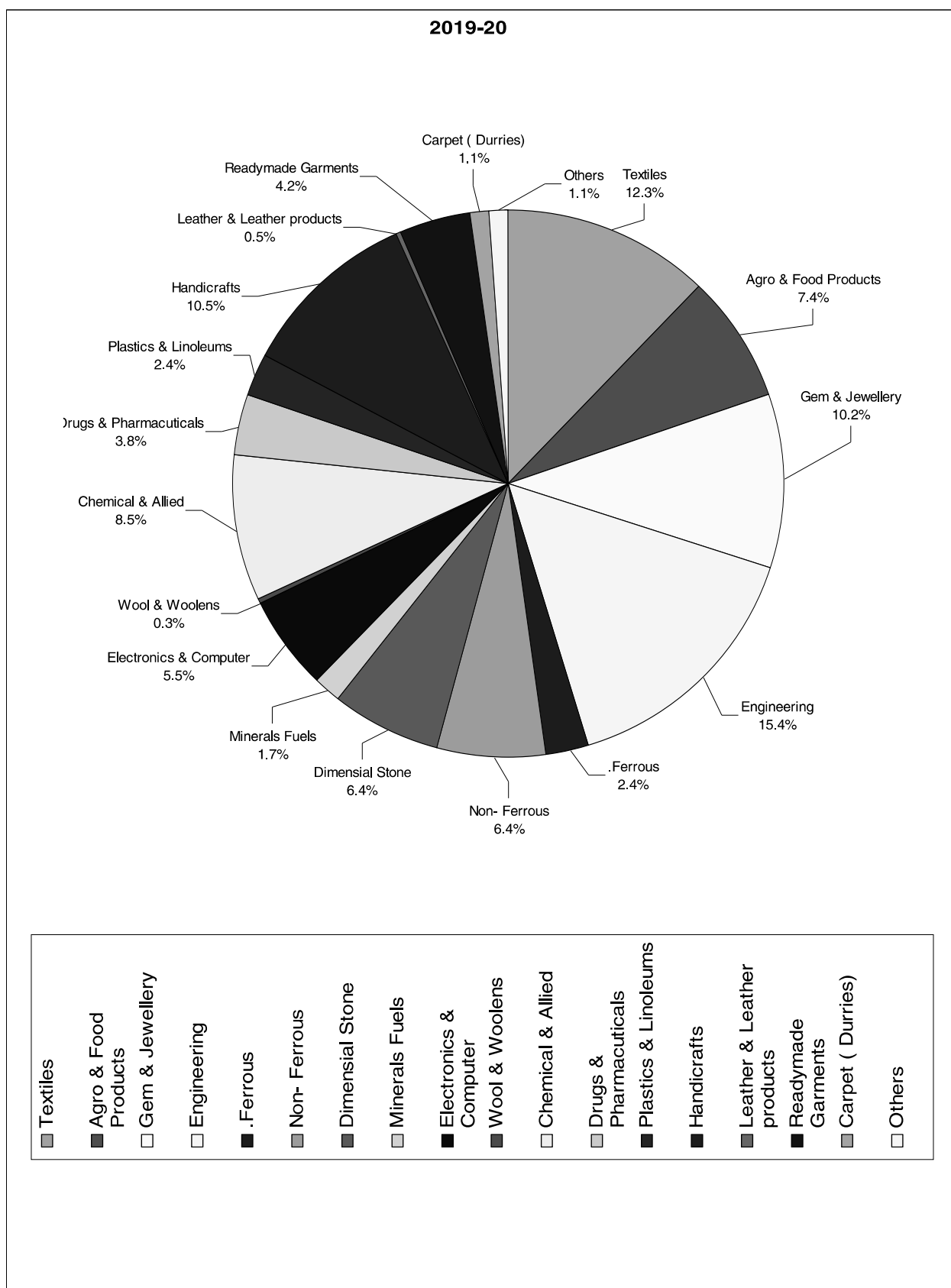
(क) वस्तुस्थिति— राज्य से किये जा रहे निर्यात, सेक्टर वाईज निर्यात (2019–20)

• राज्य से किये जा रहे निर्यात

राज्य निर्यात के क्षेत्र में मजबूती से आगे बढ़ रहा है। वर्ष 2004–05 में राज्य से 8002.03 करोड़ रुपये के मूल्य की वस्तुओं का निर्यात किया गया था, जोकि बढ़कर वर्ष 2017–18 में 46476.92 करोड़ रुपये, वर्ष 2018–19 में 51178.41 करोड़ रुपये हो गया है। वर्ष 2019–20 में राज्य से निर्यात का आँकड़ा 49946.09 करोड़ रुपये का रहा है। राज्य से टेक्सटाईल्स, एग्रो, जैम्स एण्ड ज्वैलरी, इंजीनियरिंग, मेटल, डायमेशनल स्टोन्स, केमीकल्स, हैण्डिक्राफ्ट्स, रेडीमेड गारमेंट्स इत्यादि वस्तुओं का निर्यात प्रमुख से किया जा रहा है। राज्य से निर्यात होने वाली शीर्ष पाँच वस्तुओं के अन्तर्गत राज्य से होने वाले निर्यात का 50 प्रतिशत से अधिक भाग आता है। राज्य से किए गए निर्यातों का विवरण निम्न तालिका में दर्शाया गया है।

S. NO.	Product	YEAR					(Rs in crore)
		2015-16	2016-17	2017-18	2018-19	2019-20	
1.	Textiles	4812.36	5256.61	5667.30	6750.11	6165.79	
2.	Agro & Food Products	3093.67	3720.43	4204.84	4525.87	3708.96	
3.	Gem & Jewellery	5344.84	5695.33	5264.3	5737.55	5109.60	
4.	Engineering	4754.48	5629.20	7350.17	7632.99	7674.76	
5.	<u>Metal</u>						
	1.Ferrous	753.70	745.06	935.07	970.59	1216.60	
	2.Non- Ferrous	1023.61	3129.20	4065.19	3343.21	3182.29	
6.	Dimensional Stones Marble, Granites, & articals of Stone Mica etc	2904.17	3102.51	3172.40	3354.58	3208.81	
7.	Mineral fuels, Mineral oils & Products, Bituminous Substances, Mineral waxes, Ores, Slags & Ash	9.66	13.40	138.96	168.96	871.39	
8.	Electronics & Computer Software	2305.02	2439.73	2531.42	2833.24	2729.70	
9.	Wool & Woolens	78.36	62.93	91.73	139.11	130.74	
10.	Chemical & Allied	4144.56	3404.74	4231.55	5901.94	4260.30	
11.	Drugs & Pharmaceuticals	398.21	469.28	604.64	1027.35	1899.69	
12.	Plastics & Linoleums	636.18	701.94	922.87	896.85	1178.65	
13.	Handicrafts	3342.65	3831.36	3701.55	4825.42	5219.48	
14.	Leather & Leather products	230.02	266.66	296.89	356.85	226.25	
15.	Readymade Garments	1579.36	1660.61	1831.51	2078.28	2073.20	
16.	Carpet (Durries)	568.92	626.84	1095.32	625.67	563.08	
17.	Others	67.70	20.28	371.13	9.84	526.81	
	Total	36047.47	40776.11	46476.92	51178.41	49946.10	

- सेक्टर वाईज निर्यात (2019-20)



(ख) निर्यात से सम्बन्धित योजनाएं

राज्य निर्यात के व्यापक विस्तार के लिए निरन्तर विभिन्न प्रोत्साहन पहलों को प्रारम्भ करने में प्रयासरत है, जो कि निम्नानुसार दिए गए हैं:—

(i) अनुमोदित अन्तर्राष्ट्रीय विदेशी व्यापार मेलों/प्रदर्शनियों में भाग लेने पर चुकाए गए ग्राउण्ड रेन्ट/सहभागिता शुल्क पर पुनर्भरण योजना

यह योजना 2012—13 से लागू की गयी है। योजनान्तर्गत विदेशों में आयोजित होने वाले अनुमोदित व्यापार मेलों में भाग लेने वाली इकाईयों को उनके द्वारा चुकाये गये ग्राउण्ड रेन्ट पर ग्राउण्ड रेन्ट का 30 प्रतिशत अथवा अधिकतम 1.00 लाख रुपये की दर से पुनर्भरण कराया जाता है ताकि इकाई अधिकाधिक संख्या में इन विदेशी मेलों में भाग लेकर बाजारों की खोज कर सके। वर्ष 2018—19 में 11 निर्यातकों को 9,67,700 रुपये एवं वर्ष 2019—20 में 7 निर्यातकों को 6,83,400 रुपये का पुनर्भरण किया गया था। वर्ष 2020—21 में योजनान्तर्गत 3 निर्यातकों को 3.00 लाख रुपये का पुनर्भरण किया जा चुका है। राज्य सरकार द्वारा योजना की अवधि 2 वर्ष बढ़ाकर 31 मार्च, 2022 कर दी गई है।

(ii) निर्यात प्रोत्साहन, प्रक्रिया एवं दस्तावेजीकरण पर प्रशिक्षण कार्यक्रम

यह योजना वर्ष 2012 से लागू की गयी थी। राज्य सरकार द्वारा योजना की अवधि 3 वर्ष बढ़ाकर 31 मार्च, 2023 कर दी गयी है। ऐसे उद्यमी जोकि निर्यात के क्षेत्र में प्रवेश के इच्छुक हैं, उन उद्यमियों को निर्यात प्रक्रिया एवं दस्तावेजों तथा विश्व के बाजारों की जानकारी देने के उद्देश्य से यह योजना लागू की गयी है ताकि वे अपना स्वयं का निर्यात व्यवसाय प्रारंभ कर सकें। योजनान्तर्गत 2 दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित कराये जाते हैं। वित्तीय वर्ष 2019—20 में 7 स्थानों अर्थात् बाड़मेर, जैसलमेर, चित्तौड़गढ़, सवाईमाधोपुर, बीकानेर, श्रीगंगानगर तथा भीलवाड़ा में कार्यक्रम आयोजित कराये जा चुके हैं। चालू वित्तीय वर्ष 2020—21 में प्रशिक्षण कार्यक्रमों हेतु राज्य से 7 जिलों (अजमेर, झुन्झुनूँ, जालौर, टोंक, धौलपुर, बारों एवं प्रतापगढ़) का चयन किया गया है।

(iii) राज्य स्तरीय निर्यात पुरस्कार योजना

राज्य के निर्यात को प्रोत्साहन करने एवं निर्यातकों के मनोबल बढ़ाने के उद्देश्य से राजस्थान निर्यात पुरस्कार योजना क्रियान्वित की जा रही है। वर्ष 1994 की औद्योगिक नीति में निर्यात पुरस्कार योजना लागू की गई, जिसके अन्तर्गत प्रतिवर्ष 19 वर्गों में 35 उत्कृष्ट निर्यातकों को पुरस्कार का प्रावधान था। वर्ष 2019—20 में इस योजना में संशोधन किया गया। वर्तमान में योजनान्तर्गत 15 श्रेणियों में 32 निर्यातकों एवं 1 नवीन श्रेणी (लाइफटाईम अचीवमेन्ट एक्सपोर्ट रत्न अवार्ड) में प्रतिवर्ष राज्य के कुल 33 उत्कृष्ट निर्यातकों को सम्मानित किया जाता है। यह योजना वर्ष 2019 में पुनः अग्रिम 05 वर्षों के लिए (31 मार्च, 2024 तक) लागू कर दी गई है। वर्ष 2019 में एमएसएमई कॉन्क्लेव पर दिनांक 19.12.2019 को आयोजित कार्यक्रम में राज्य के 31 उत्कृष्ट निर्यातकों को पुरस्कृत किया गया था। योजनान्तर्गत वर्ष 2020 में उत्कृष्ट निर्यातकों को पुरस्कृत किये जाने हेतु आवेदन प्राप्त कर लिये गये हैं।

राज्य निर्यात पुरस्कार योजना 2019

(औद्योगिक नीति, 1994 के अनुक्रम में लागू राज्य स्तरीय निर्यात पुरस्कार योजना के स्थान पर)

1. प्रस्तावना

राज्य सरकार द्वारा विकसित की गयी आधारभूत सुविधाओं तथा नीतियों के साथ-साथ राज्य के सूक्ष्म, लघु, मध्यम एवं वृहद, व्यापारिक/निर्यातक इकाइयों एवं सेवा क्षेत्र से निर्यात को प्रोत्साहित करने एवं निर्यातकों का मनोबल बढ़ाने के उद्देश्य से राज्य में निर्यात पुरस्कार योजना लागू किये जाने की आवश्यकता है। इसके लिए औद्योगिक नीति, 1994 के अनुक्रम में लागू राज्य स्तरीय निर्यात पुरस्कार योजना के स्थान पर नवीन राज्य स्तरीय निर्यात पुरस्कार योजना लागू की जा रही है।

2. उद्देश्य

राज्य में विभिन्न क्षेत्रों के अन्तर्गत निर्यात को प्रोत्साहित करने हेतु राज्य स्तरीय निर्यात पुरस्कार योजना

3. योजना की अवधि

राज्य निर्यात पुरस्कार योजना 1 अप्रैल, 2019 से 31 मार्च, 2024 तक लागू रहेगी, जिसे समीक्षा कर आगे बढ़ाया जा सकेगा।

4. पुरस्कार एवं उसकी श्रेणियां—

निर्यात पुरस्कार निम्नलिखित वस्तुओं अथवा वस्तु समूहों के लिए इन वस्तुओं/वस्तु समूहों के निर्माता/व्यापारी/निर्यातकों को पृथक-पृथक प्रदान किया जायेगा:—

क्र०सं०	वस्तु/वस्तु समूह	कुल चयनित किये जाने वाले निर्यातकों की संख्या		
		On the basis of Highest Export Turnover in Particular Category	On the basis of Best Growth in exports in preceding 3 years	Total
1.	कृषि आधारित, खाद्य प्रसंस्करण एवं जैविक खाद्य उत्पाद	1	1	2
2.	गलीचा, दरी एवं ऊन आधारित	1	1	2
3.	स्वर्ण/रजत/प्लेटिनम /कृत्रिम आभूषण	1	1	2
4.	मूल्यवान एवं अर्ध मूल्यवान पत्थर	1	1	2
5.	हस्तशिल्प	1	1	2

6.	खनिज आधारित उत्पाद	1	1	2
7.	वस्त्र	1	1	2
8.	सिले-सिलाये वस्त्र	1	1	2
9.	इलेक्ट्रॉनिक्स एवं कम्प्यूटर हार्डवेयर	1	1	2
10.	अभियांत्रिकी	1	1	2
11.	रसायन, दवाईयां एवं संबद्ध उत्पाद	1	1	2
12.	कम्प्यूटर सॉफ्टवेयर/केपीओ/ बीपीओ/ पर्यटन/स्वास्थ्य एवं अन्य सेवायें (सॉफ्टवेयर व सेवा क्षेत्र की श्रेणी)	1	1	2
13.	महिला उद्यमी(निर्यातक) इकाई	1	1	2
14.	विदेशी सैलानियों को काउंटर बिक्री	1	1	2
15.	विविध (चर्म, मेटल एवं अन्य उत्पाद, जोकि उपरोक्त वर्गों में शामिल नहीं हो)	2	2	4
Total		16	16	32

उक्त के अतिरिक्त प्रति वर्ष एक इकाई को Life Time Achievement Export Ratna Award से सम्मानित किया जाएगा। इस प्रकार Life Time Achievement Export Ratna Award सहित प्रति वर्ष चयनित इकाईयों की कुल संख्या 33 होगी।

इनके लिए प्रावधान निम्नानुसार होंगे—

- I. एक बार पुरस्कृत इकाई आगामी 2 वर्षों के लिए इस योजना में पुरस्कार हेतु पात्र नहीं होगी।
- II. जीवनपर्यन्त निर्यात रत्न पुरस्कार (Lifetime Achievement Export Ratna Award) अथवा राजस्थान उद्योग रत्न पुरस्कार एक बार प्राप्त करने वाली औद्योगिक इकाई भविष्य में इस योजनान्तर्गत किसी भी वर्ग में पुरस्कार हेतु पात्र नहीं होगी।
- III. चयनित इकाईयों को पुरस्कार स्वरूप प्रमाण-पत्र एवं स्मृति चिन्ह प्रदान किये जाएंगे।
- IV. जीवनपर्यन्त निर्यात रत्न पुरस्कार (Lifetime Achievement Export Ratna Award) के लिए प्रावधान निम्नानुसार होंगे—

राज्य से निर्यात संवर्द्धन में अपनी सहभागिता एवं राज्य के औद्योगिक विकास में अपना अत्यधिक महत्वपूर्ण सहयोग प्रदान करने वाली औद्योगिक निर्यातक इकाईयों को विशेष रूप से सम्मानित किये जाने के लिए नई पुरस्कार श्रेणी— जीवनपर्यन्त निर्यात रत्न पुरस्कार (Lifetime Achievement Export Ratna Award) का गठन कर पुरस्कार प्रदान किया जायेगा, जिसके लिए प्रत्येक वर्ष में निम्नलिखित शर्तें पूर्ण करने वाली केवल एक निर्यातक औद्योगिक इकाई पात्र होगी :—

1. निर्यातक औद्योगिक इकाई विगत 15 वर्षों से निरन्तर उत्पादनरत् हो।
2. इकाई द्वारा विगत 12 वर्षों से निरन्तर निर्यात किया जा रहा हो।
3. इकाई के निर्यात में विगत 3 वर्षों से निरन्तर वृद्धि दर्ज हो रही हो।
4. इकाई द्वारा विगत 5 वर्षों में निरन्तर 500 अथवा अधिक व्यक्तियों को प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष रूप से रोजगार उपलब्ध कराया गया हो।
5. निर्यातक औद्योगिक इकाई अन्तर्राष्ट्रीय, राष्ट्रीय, राज्य स्तर पर शासकीय/अर्द्धशासकीय विभागों/संस्थाओं या भारत सरकार की निर्यात संवर्द्धन परिषदों/बोर्ड/ प्राधिकरण से कम से कम 2 निर्यात पुरस्कार प्राप्त हों।
6. निर्यातक औद्योगिक इकाई ने विगत तीन वर्षों में सीएसआर के तहत कुल 10 करोड़ रुपये अथवा अधिक का व्यय/योगदान प्रदान किया हुआ हो।
7. निर्यातक औद्योगिक इकाई ने विगत 3 वर्षों में कम से कम प्रतिवर्ष 100 करोड़ रुपये का निर्यात किया हो।

जीवनपर्यन्त निर्यात रत्न पुरस्कार (Lifetime Achievement Export Ratna Award) के लिए एक वर्ष में एक से अधिक पात्र इकाइयां होने पर जिस इकाई की उत्पादन तिथि सबसे पुरानी होगी, वही पुरस्कार हेतु पात्र होगी।

5. योजना में पात्रता की शर्तें

राज्य निर्यात पुरस्कार योजना राजस्थान में कार्यरत औद्योगिक/व्यापारिक/निर्यातक इकाइयों के लिए लागू की गयी है। इस योजना में निम्नलिखित शर्तें पूर्ण करने वाले निर्यातक लाभान्वित किये जाने हेतु पात्र होंगे :-

1. इस योजना के लागू होने से पूर्व विगत 2 वर्षों में निर्यात प्रोत्साहन एवं पुरस्कार योजना में लाभान्वित हो चुकी इकाई वित्तीय वर्ष 2019-2020 में इस योजना के तहत पुरस्कार प्राप्त करने हेतु पात्र नहीं होगी।
2. इस योजना में पुरस्कार प्राप्त करने वाली इकाई आगामी 2 वित्तीय वर्ष तक इस योजनान्तर्गत पुनः पुरस्कार हेतु पात्र नहीं होगी।
3. इकाई/इकाई के भागीदार, स्वामी, निदेशकों के विरुद्ध कोई आपराधिक प्रकरण विचाराधीन है/ अन्य प्रकरण में शास्ति होने पर इकाई को पात्र नहीं माना जायेगा। इकाई को इस आशय का शपथ पत्र प्रस्तुत करना होगा।
4. पुरस्कार निर्धारण वर्ष में 10 करोड़ रु० से कम मूल्य का निर्यात करने वाली इकाई योजना में अपात्र होगी।
5. काउन्टर सेल टू टूरिस्ट वर्ग में ऐसी इकाइयाँ लाभान्वित हो सकेगी जोकि पुरस्कार निर्धारण वर्ष में 5 करोड़ रुपये से अधिक की विदेश मुद्रा का व्यापार करती हो।
6. पुरस्कार चयन हेतु मापदंड- पुरस्कार चयन हेतु मापदंड निम्नानुसार निर्धारित किया जायेगा:-

S.No.	Sub-Category	Methodology				
1.	Highest Export	प्राप्त आवेदनों की स्कूटनी कर संबंधित केटेगरी में संबंधित वर्ष (अवार्ड वर्ष) में अधिकतम निर्यात करने वाली इकाई का समिति द्वारा चयन किया जाएगा।				
2.	Best Growth	इसके लिए प्राप्त आवेदनों में से गत तीन वर्षों में से उनके निर्यात को ध्यान में रखते हुए निम्नलिखित सूत्र के अनुसार गणना करते हुए संबंधित केटेगरी में अधिकतम अंक प्राप्त करने वाली इकाई/आवेदक का चयन किया जायेगा—				
		क. स.	मानदण्ड बिन्दु	कुल अंक	अंकों का वितरण का आधार	अधिकतम अंक
		1.	निर्यात पुरस्कार वर्ष में पिछले वर्ष के मुकाबले वृद्धि पर।	50	25% तक वृद्धि होने पर	10 अंक
					25 %से अधिक व 50%तक वृद्धि होने पर	20 अंक
					50 %से अधिक व 75%तक वृद्धि होने पर	30 अंक
					75 %से अधिक व 100 % तक वृद्धि होने पर	40 अंक
					100 %से अधिक वृद्धि होने पर	50 अंक
		2.	निर्यात पुरस्कार से पिछले वर्ष में उससे पहले के वर्ष के मुकाबले वृद्धि पर	50	25% तक वृद्धि होने पर	10 अंक
					25 %से अधिक व 50%तक वृद्धि होने पर	20 अंक
					50 %से अधिक व 75%तक वृद्धि होने पर	30 अंक
					75 %से अधिक व 100 % तक वृद्धि होने पर	40 अंक
					100 %से अधिक वृद्धि होने पर	50 अंक
		कुल अंक		100		
3.	Lifetime Achievement Award	कमेटी को इकाई द्वारा प्रस्तुत आंकड़ों के विश्लेषण के उपरान्त इस वर्ग में सर्वसम्मति से एक इकाई के चयन का अधिकार होगा।				

6. निर्यात पुरस्कार निर्धारण समिति

राज्य निर्यात पुरस्कार योजना में प्राप्त आवेदन पत्रों में से पुरस्कार हेतु पात्र इकाईयों के चयन हेतु निम्नानुसार समिति का गठन किया जायेगा : –

1.	अतिरिक्त/प्रमुख/शासन सचिव, उद्योग	अध्यक्ष
2.	आयुक्त, उद्योग	सदस्य
3.	सीएमडी/एमडी, रीको	सदस्य
4.	सीएमडी/एमडी, राज. लघु उद्योग निगम	सदस्य
5.	संयुक्त महानिदेशक, विदेश व्यापार, जयपुर	सदस्य
6.	क्षेत्रीय निदेशक/प्रबन्धक, जेम एंड ज्वेलरी एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल	सदस्य
7.	क्षेत्रीय प्रबन्धक, ईपीसी फॉर हैण्डिक्राफ्ट	सदस्य
8.	क्षेत्रीय निदेशक/प्रबन्धक एपरल एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल	सदस्य
9.	अध्यक्ष, फेडरेशन ऑफ राजस्थान एक्सपोर्टर्स	सदस्य
10.	अध्यक्ष, फेडरेशन ऑफ राजस्थान हैण्डिक्राफ्ट एक्सपोर्टर्स	सदस्य
11.	अध्यक्ष, कन्फेडरेशन ऑफ इण्डियन इण्डस्ट्री	सदस्य
12.	अध्यक्ष, राजस्थान चेम्बर ऑफ कामर्स एण्ड इण्ड0, जयपुर	सदस्य
13.	अध्यक्ष, फेडरेशन ऑफ चेम्बर ऑफ कामर्स एण्ड0, जयपुर	सदस्य
14.	अतिरिक्त निदेशक, उद्योग (वरिष्ठतम)	सदस्य सचिव

नोट:-

1. राजस्थान निर्यात प्रोत्साहन परिषद (राजस्थान एक्सपोर्ट प्रमोशन काउन्सिल) के गठन की स्थिति में उन्हें भी इसमें सम्मिलित किया जायेगा और उनके सुझावों के अनुरूप वांछित संशोधन किया जा सकेगा।

2. औद्योगिक संगठनों के अध्यक्ष या उनके प्रतिनिधि ही बैठक में भाग लेने के लिए पात्र होंगे।

7. समिति का कार्य क्षेत्र

समिति प्राप्त आवेदन पत्रों की जांच कर पात्रता के आधार पर पुरस्कार हेतु निर्यातक इकाईयों का चयन करेगी। समिति के पास यह अधिकार होगा कि यदि किसी वस्तु अथवा वस्तु समूह हेतु प्राप्त आवेदन पत्र, उस वर्ग में निर्धारित पुरस्कार संख्या से अधिक है और अन्य किसी वर्ग में आवेदन ही प्राप्त नहीं हुआ है तो अधिक आवेदन प्राप्त होने वाले वर्ग में पुरस्कारों की संख्या बढ़ा सकेगी, जो प्रतिवर्ष कुल 33 अवार्ड से अधिक नहीं होगी।

8. आवेदन पत्र आमंत्रण एवं पुरस्कार समयावधि

उपरोक्त पुरस्कार के लिए सर्वप्रथम राज्य के प्रमुख समाचार पत्रों में विज्ञापित जारी कर अथवा विज्ञापन प्रसारित कर, आवेदन-पत्र आमंत्रित किये जायेंगे, जिसकी प्रक्रिया ऑनलाइन होगी। विज्ञापन जारी होने की सूचना संयुक्त महानिदेशक, विदेश व्यापार कार्यालय, निर्यात संवर्द्धन परिषदों, निर्यातक एसोसियेशन्स को भी प्रेषित की जाएगी। आवेदक निर्यातक इकाई

अपना आवेदन पत्र ऑनलाइन संबंधित जिला उद्योग केन्द्रों अथवा कार्यालय आयुक्त, उद्योग विभाग, राजस्थान, जयपुर में प्रस्तुत करेगी।

चूंकि इकाईयों द्वारा अपने वार्षिक प्रतिवेदन भारत सरकार के आयकर विभाग/कंपनी रजिस्ट्रार विवरणी प्रतिवर्ष माह सितम्बर/अक्टूबर तक भरने का प्रावधान है, इसलिए इस योजना में लाभान्वित किये जाने के लिए प्रतिवर्ष आवेदन पत्र वित्तीय वर्ष समाप्त होने के उपरांत माह नवम्बर या दिसम्बर में आमन्त्रित किये जायेंगे एवं माह मार्च तक सभी चयनित इकाईयों को राज्य स्तरीय समारोह में पुरस्कृत/सम्मानित किया जायेगा। पुरस्कार की तिथि राज्य सरकार द्वारा निर्धारित की जाएगी।

9. योजना का प्रशासनिक विभाग

राज्य सरकार का उद्योग (गुप-1) विभाग योजना का प्रशासनिक विभाग होगा एवं योजना में संशोधन एवं मार्गदर्शन देने के लिए अधिकृत होगा।

राजस्थान निर्यात पुरस्कार योजना 2019 के अन्तर्गत राज्य के श्रेष्ठ निर्यातकों को 16 श्रेणियों में सर्वाधिक टर्नओवर एवं सर्वाधिक ग्रोथ के आधार पर माननीय मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत द्वारा दिनांक 19.12.2019 को 31 पुरस्कार एमएसएमई कॉनक्लेव समारोह में दिये गये। योजनान्तर्गत राज्य में प्रति वर्ष 1 सर्वश्रेष्ठ निर्यातक को “Lifetime Achievement Export Ratna Award” से भी पुरस्कृत किया जाने का प्रावधान है। परन्तु वित्तीय वर्ष 2019-20 में सम्बन्धित मापदण्ड अनुसार कोई भी निर्यातक योग्य नहीं होने के कारण किसी को भी पुरस्कृत नहीं किया गया।

(IV) राजस्थान निर्यात संवर्द्धन परिषद् (REPC)

राज्य में निर्यात प्रोत्साहन हेतु कम्पनी अधिनियम, 2013 के अनुच्छेद-8 के अन्तर्गत राज्य में निर्यात सम्बन्धी नियमन, संरक्षण एवं प्रोत्साहन के लिए राजस्थान निर्यात संवर्द्धन परिषद् का गठन दिनांक 08.11.2019 को किया गया है।

(V) राजस्थान निर्यात संवर्द्धन समन्वय परिषद् (REPC)

राज्य में निर्यात के संवर्द्धन हेतु व्यवस्थित प्रयास करने, विभिन्न उद्यमों के निर्यात के संबंध में आवश्यक व्यवस्था अपनाने, निर्यात के क्षेत्र में आ रही बाधाओं को दूर करने, विभिन्न औद्योगिक संगठनों एवं उनके प्रतिनिधियों से समन्वय स्थापित करने, निर्यात संवर्द्धन हेतु आवश्यक सुझाव प्रदान करने व समुचित आधारभूत सुविधाओं का सृजन एवं विकास करने के लिए के लिए राजस्थान निर्यात संवर्द्धन समन्वय परिषद् (REPC) का गठन दिनांक 25.10.2019 को किया गया है।

(VI) जिला स्तरीय निर्यात संवर्द्धन परिषद् (DLEPC)

राज्य सरकार जिला स्तर पर भी निर्यात को व्यापक रूप से प्रोत्साहित करने में प्रयासरत् है। इस उद्देश्य से राज्य के समस्त जिलों द्वारा संबंधित जिला कलक्टर की

अध्यक्षता में जिला स्तरीय निर्यात संवर्द्धन परिषद् का गठन किया गया है। इन परिषदों का मुख्य उद्देश्य जिला स्तर पर निर्यात संभाव्यता के उत्पादों का चयन कर उनके निर्यात प्रोत्साहन हेतु एक प्रभावी कार्ययोजना बनाकर जिले के निर्यात में वृद्धि करना है।

(VII) एक जिला एक उत्पाद योजना (ODOP SCHEME)

केन्द्र सरकार द्वारा घोषित एक जिला एक उत्पाद (One District One Product) योजना का राज्य में सफलतापूर्वक क्रियान्वयन किया जा रहा है। इस योजनान्तर्गत देश के विभिन्न जिलों की निर्यात संभाव्यता की समीक्षा कर निर्यात योग्य उत्पादों के चयन के उपरांत उनके निर्यात में आ रही समस्याओं का निराकरण करने के लिये जिला निर्यात संवर्द्धन समितियों का गठन एवं जिला निर्यात कार्य योजना का निर्माण किया गया है। साथ ही यह योजना स्थानीय स्तर पर रोजगार एवं आय के स्रोत उपलब्ध कराने पर भी केन्द्रित है।

केन्द्र सरकार द्वारा योजना के प्रथम चरण के लिए राज्य से जयपुर की ब्लू पॉटरी एवं नागौर जिले के मकराना के मार्बल का चुनाव किया गया है।

(8) अल्पसंख्यक कल्याण योजना (15 सूत्रीय कार्यक्रम)

प्रधानमंत्री के 15 सूत्रीय कार्यक्रम के अन्तर्गत अल्पसंख्यक कल्याण की विभिन्न योजनाओं अल्पसंख्यक समुदाय के व्यक्तियों को लाभान्वित कराया जाता है। इस कल्याणकारी योजना के तहत विभागीय योजनायें यथा प्रधानमंत्री रोजगार योजना, मुख्यमंत्री लघु उद्योग प्रोत्साहन योजना में ऋण स्वीकृत करना, हाथकरघा, बुनकरों का बीमा, आर्टिजन्स को परिचय पत्र जारी करना एवं हस्तशिल्पियों को ब्याज अनुदान योजना आदि में लाभान्वित किया गया। वर्षवार विवरण निम्नानुसार है:-

क्र०सं०	वर्ष	विभागीय योजनाओं में अल्पसंख्यक लाभार्थियों की संख्या
1.	2017—18	6494
2.	2018—19	5876
3.	2019—20	5732
4.	2020—21 (माह दिसम्बर, 2020 तक)	1138

(9) उद्योग विभाग से संबंधित अन्य प्रमुख संस्थान व कार्य

(i) राष्ट्रीय फैशन तकनीकी संस्थान (NIFT)

राज्य में फैशन तकनीकी से संबंधित उद्योगों के सर्वांगीण विकास हेतु राष्ट्रीय फैशन तकनीकी संस्थान की जोधपुर में वर्ष 2010 में स्थापना की घोषणा की गयी थी। इस हेतु राज्य सरकार द्वारा ग्राम करवड में 50 एकड़ भूमि का निःशुल्क आवंटन कर राज्य सरकार द्वारा भवन एवं प्रारंभिक तीन वर्षों के Deficit Funding के रूप में अब तक 62.47 करोड़ रुपये की राशि का बजट उपलब्ध करा दिया गया है।

वर्तमान में NIFT में कुल 6 कोर्स संचालित है, जिसमें कुल 750 विद्यार्थी अध्ययनरत है। निफ्ट में प्रति कोर्स हेतु राजस्थान के 6 विद्यार्थियों के लिए 6 सीटें आरक्षित हैं। वर्तमान में राजस्थान के कुल 36 विद्यार्थी अध्ययनरत है।

(ii) सिरेमिक परीक्षण प्रयोगशाला, बीकानेर

सिरेमिक सेन्टर की स्थापना के लिए वर्ष 2005-06 के बजट भाषण में घोषणा की गई थी, और इस हेतु 451.40 लाख रुपये का बजट प्रावधान किया गया था। सिरेमिक एण्ड इलेक्ट्रिकल विकास समिति, बीकानेर की स्थापना के लिए प्रोजेक्ट रिपोर्ट सेन्ट्रल ग्लास एण्ड सिरेमिक रिसर्च इन्स्टीट्यूट (सीजीसीआरआई) खुर्जा से तैयार कराई गई थी। समिति की मूल प्रोजेक्ट लागत 451.40 लाख रुपये थी, जो कि संशोधित कर 710.78 लाख रुपये कर दी गई। सेन्टर के लिए टैक्नीकल एज्यूकेशन विभाग द्वारा 11,514 वर्ग मीटर जमीन उपलब्ध कराई गई है। जिला कलक्टर, बीकानेर की अध्यक्षता में एक सोसायटी का पंजीयन कराया गया है। प्रयोगशाला हेतु भवन के प्रथम एवं द्वितीय चरण का निर्माण का कार्य पूर्ण हो गया है। सेन्टर को सुचारु रूप से चलाने के लिए इंजीनियरिंग कॉलेज, बीकानेर सोसायटी के साथ दिनांक 11.11.2009 को एक एम.ओ.यू. एक वर्ष के लिए किया गया था, जिसे नवम्बर, 2010 में एक वर्ष के लिए और बढ़ाया गया था तत्पश्चात् नवम्बर, 2011 से दो वर्ष की अवधि में बढ़ाया जाता रहा है, जो निरन्तर कार्यरत है। सिरेमिक सेन्टर में मूल प्रोजेक्ट की लागत में से 322.27 लाख रुपये की राशि के आवश्यक संयंत्र आदि क्रय किये जा चुके हैं। सिरेमिक सेन्टर में परीक्षण/गुणवत्ता की जाँच के पश्चात मशीनें स्थापित करके टेस्टिंग का कार्य शुरू कर दिया गया है।

- सिरेमिक उद्योगों को क्लस्टर्स के रूप में स्थापित करने एवं पूरे उत्तर भारत में इस क्षेत्र में क्रांतिकारी औद्योगिक उपलब्धियों के लिए वर्ष 2005-06 में राज्य सरकार द्वारा सिरेमिक सेन्टर, बीकानेर के रूप में स्थापित किये जाने के लिए घोषणा की गई।

सिरेमिक सेंटर की स्थापनार्थ राज्य सरकार द्वारा अनुमोदित राशि रुपये 710.78 लाख स्वीकृत/आवंटन हुए हैं। सिरेमिक सेन्टर बीकानेर का विज्ञान और प्रौद्योगिक मंत्रालय, वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान विभाग (DSIR) , नई दिल्ली से पंजीकरण हो चुका है। परियोजना रिपोर्ट राशि 710.78 लाख रुपये राज्य सरकार द्वारा वर्ष 2008-09 में अनुमोदित की गई। राजस्थान संस्था रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1958 के अन्तर्गत 14 अक्टूबर 2008 को "सिरेमिक एवं इलेक्ट्रीकल विकास समिति" का पंजीयन हो चुका है। सिरेमिक लेबोरेट्री द्वारा सिरेमिक टेस्टिंग का कार्य शुभारम्भ माननीय मुख्यमंत्री अशोक गहलोत द्वारा कर, दिनांक 13.05.2010 से प्रारम्भ कर दिया गया था।

- लैब के लिए लैब भवन एवं प्रशासनिक भवन बनकर पूर्ण रूपेण तैयार हो गया है। इस पर अब तक (कुल निर्माण 20277 वर्ग फीट क्षेत्र) राशि 187.73 लाख रुपये व्यय हो चुका है।
- आवश्यकता के अनुसार अब तक राशि 322.27 लाख रुपये के उपकरण क्रय कर विभिन्न लैब में स्थापित हो चुके हैं। इसके अतिरिक्त सभी लैबों की आवश्यकतानुसार फर्नीचर एवं फिक्चर भी क्रय कर स्थापित कर दिया गया है।
- CEVSB के सदस्यों एवं उद्योग संघों के सदस्यों के साथ विचार-विमर्श कर रीजनेबल टेस्टिंग्स चार्ज/फीस निर्धारित की गई है।
- सेंटर में सिरेमिक इलेक्ट्रिकल, कैमिकल, मिनरल एवं फिजिकल विश्लेषण से संबंधित विभिन्न प्रकार के परीक्षण का कार्य चल रहा है।
- राष्ट्रीय स्तर की परीक्षण प्रयोगशाला के रूप में सिरेमिक सेंटर की इलेक्ट्रीकल लैब को राष्ट्रीय परीक्षण और अंशशोधन प्रयोगशाला प्रत्यायन बोर्ड (NABL) भारत सरकार द्वारा मान्यता दिनांक 22.09.2016 को प्राप्त हो चुकी है। पुनः 2019 में NABL भारत सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त किया गया है।
 - जिसमें विद्युत धारा प्रसारण उपकरणों एवं एसेसरीज के अन्तर्गत विभिन्न प्रकार के इंसुलेटर एवं उनसे संबंधित उपकरणों एवं एसेसरीज मुख्यतः इंसुलेटर, पोर्सलीन इंसुलेटर में प्रयुक्त खनिज विशेषतः सिरेमिक की गुणवत्ता एवं उच्च स्तरीय ताप ग्राह्यता एवं गैल्वेनाईजिंग टेस्ट दिनांक 22.09.2016 से प्रारम्भ कर दिये गये है।
 - साथ ही माह दिसम्बर 2016 से यांत्रिक टेस्ट भी प्रारम्भ कर दिये गये हैं।
- CERDC को राष्ट्रीय स्तर पर एक लक्ष्य प्रतिष्ठित संस्थान बनाने हेतु CSIR-CGCRI से MOU किया जाना निश्चित हुआ है जिसके लिए प्रस्ताव माननीय उद्योग मंत्री महोदय के अनुमोदन के पश्चात् CGCRI को प्रेषित किया गया है।

(iii) सेन्ट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ प्लास्टिक्स इंजीनियरिंग एण्ड टेक्नोलॉजी (सिपेट-CIPET)

रसायन एवं पेट्रोरसायन विभाग, रसायन एवं उर्वरक मंत्रालय भारत सरकार के अन्तर्गत ISO 9001:2015, ISO/IEC:17025 & 17020 प्रमाणित एक राष्ट्रीय संस्थान है, जो कि प्लास्टिक्स एवं उससे संबंधित उद्योगों के विकास हेतु कौशल विकास, प्रौद्योगिकी सहायता, शैक्षणिक एवं अनुसंधान के लिए समर्पित है।

सेन्ट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ प्लास्टिक्स इंजीनियरिंग एण्ड टेक्नोलॉजी (सिपेट) जयपुर की स्थापना वर्ष 2006 में भारत सरकार एवं राजस्थान सरकार द्वारा कुल 20.50 करोड़ रुपये की परियोजना लागत से 50:50 व्यय साझेदारी के आधार पर की गयी। सिपेट जयपुर केन्द्र सीतापुरा औद्योगिक क्षेत्र में 22 एकड़ भूमि में स्थित है एवं संस्थान प्लास्टिक की वस्तुएं, मोल्ड डिजाईन, कैड-कैम सी.ए.ई., मोल्ड बनाना, प्रोसेसिंग, परीक्षण व गुणवत्ता नियंत्रण आदि विभागों के लिए आधुनिक संसाधनों के साथ सुसज्जित है और यह प्लास्टिक्स एवं संबंधित इकाइयों और छात्रों के विकास के लिए कटिबद्ध है।

(iv) ब्रह्मगुप्त अनुसंधान एवं विकास केन्द्र, जोधपुर

- माननीय मुख्यमंत्री महोदय द्वारा 29 मार्च 2007 को विधानसभा में हैण्डीक्राफ्ट एवं ग्वारगम के लिए जोधपुर में एक R&D Cum Skill Upgradation Institute की स्थापना के लिए राज्य की ओर से निःशुल्क उपयुक्त भूमि और एक बेसिक भवन उपलब्ध कराने की घोषणा की गयी थी, जिसका संचालन स्थानीय उद्योग संस्थानों के माध्यम से अथवा निजी सहभागिता से किया जाना था।
- दिनांक 27.12.2007 को रीको द्वारा बाउण्ड्रीवॉल के निर्माण हेतु अल्पकालीन टेण्डर आमंत्रित किये गये। रीको को दिनांक 17.1.2007 को बाउण्ड्रीवॉल के निर्माण के लिये 25.40 लाख रुपये बजट राशि का भुगतान जारी किया गया।
- उपरोक्त घोषणा की पालना में रीको द्वारा दिनांक 08.08.2007 को बोरानाडा, जोधपुर में 5 एकड़ भूमि का आवंटन किया गया। परियोजना का नाम प्रसिद्ध गणितज्ञ ब्रह्मगुप्त के नाम को अनुमोदित किया गया। परियोजना का शिलान्यास माननीय मुख्यमंत्री राजस्थान, सरकार द्वारा दिनांक 14.08.2007 को किया गया।
- चूंकि घोषणा के अनुसार इन्स्टीट्यूट का संचालन औद्योगिक संस्थानों अथवा निजी सहभागिता से किया जाना था। अतः उक्त केन्द्र की स्थापना एवं संचालन हेतु ब्रह्मगुप्त अनुसंधान एवं विकास समिति का गठन किया गया।
- घोषणा की मूल भावना के अनुसार राज्य सरकार द्वारा इसके लिए भूमि का आवंटन कर दिया गया है। तथा इस भूमि पर राशि 24.15 लाख रुपये की लागत से बाउण्ड्रीवॉल का निर्माण करा दिया गया है।

आवंटित भूमि के संबंध में अवगत करवाते हुए ग्वारगम के अनुसंधान, जाँच एवं प्रमाणीकरण हेतु राज्य में एक राष्ट्रीय स्तर की संस्था का केन्द्र खोलने हेतु श्री पीयूष गोयल, रेल तथा वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री, भारत सरकार को दिनांक 17.01.2020 को पत्र प्रेषित कर दिया गया है। इसी परिसर में हस्तशिल्प के विकास केन्द्र की स्थापना हेतु EPCH से प्रोजेक्ट रिपोर्ट प्राप्त कर, इसे महाप्रबंधक, जिला उद्योग केन्द्र जोधपुर को दिनांक 04.03.2020 को भिजवाया जा चुका है। उक्त केन्द्र के लिए आवंटित भूमि का समुचित उपयोग करते हुए, इसके प्रस्ताव को तैयार करवाने हेतु महाप्रबंधक, जिला उद्योग केन्द्र जोधपुर को दिनांक 16.09.2020 को पत्र प्रेषित किया जा चुका है। उक्त प्रस्ताव प्राप्त होते ही अग्रिम कार्यवाही प्रारम्भ की जायेगी।

(v) एस्पायर योजना –Scheme For Promoting Innovation, Rural Industry And Entrepreneurship (ASPIRE)

एम.एस.एम.ई. मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा उद्यमिता एवं नवाचार को बढ़ावा देने हेतु दिनांक 18/03/2015 को Scheme For Promoting Innovation, Rural Industry And Entrepreneurship(ASPIRE) योजना प्रारम्भ की गई। योजनान्तर्गत सम्पूर्ण देश में 80 आजीविका व्यापार प्रोत्साहन केन्द्र (लाइवलीहुड बिजनेस इन्क्यूबेशन सेंटर) स्थापित किए जाने हैं। जिनके माध्यम से 1 लाख 4 हजार लाभार्थियों (इन्क्यूबेट्स) को प्रशिक्षित किया जावेगा। इसी के साथ 30 (10 नये और 20 कार्यरत) तकनीकी व्यापार प्रोत्साहन (टेक्नोलॉजी बिजनेस इन्क्यूबेशन) केन्द्र स्थापित और सशक्त किये जायेंगे।

योजनान्तर्गत राज्य में भारत सरकार द्वारा 8 लाइवलीहुड बिजनेस इन्क्यूबेशन सेंटर, जिला जयपुर, कोटा, बीकानेर, अलवर, जोधपुर, उदयपुर, अजमेर, झालावाड़, में स्वीकृत किये गये हैं। इसके तहत राजकीय अभियांत्रिकी महाविद्यालय, झालावाड़, अजमेर, बीकानेर, राजस्थान तकनीकी विश्वविद्यालय, कोटा, आईटीआई, खोनागोरियान, जयपुर, आईटीआई, रामगढ़, अलवर, प्रोडक्शन सेन्टर, उदयपुर एवं एफडीडीआई, जोधपुर को एलबीआईज स्वीकृत किये गये थे। जिसके तहत प्रत्येक सेन्टर की स्थापना हेतु अधिकतम 1.00 करोड़ रुपये भारत सरकार द्वारा उपलब्ध कराये जायेंगे। स्वीकृत सेन्टरों की प्रगति निम्नानुसार है:—

1. कोटा, झालावाड़, अजमेर एवं बीकानेर जिलों को भारत सरकार से प्रथम किश्त की राशि जारी कर दी गयी है। जिसके तहत भवन चिन्हित कर, यंत्र—संयंत्र खरीदने की निविदा प्रक्रियाधीन है।
3. उदयपुर, अलवर एवं जयपुर, को भारत सरकार द्वारा प्रथम किश्त की राशि जारी किया जाना प्रक्रियाधीन है।

योजनान्तर्गत राज्य पर वित्तीय भार नहीं है, शत प्रतिशत राशि भारत सरकार द्वारा उपलब्ध करायी जाती है।

(10) उद्योग विभाग से संबंधित अन्य कार्य एवं संस्थान

(i) जिला उद्योग केन्द्रों में नये निर्माण/नवीनीकरण के कार्य

सामान्य प्रशासन शाखा में जिला उद्योग केन्द्रों में नये निर्माण/नवीनीकरण के कार्यों हेतु प्रावधित राशि सार्वजनिक निर्माण विभाग द्वारा व्यय की जाती है, जिसका विवरण निम्नानुसार प्रेषित है:—

क्र. सं.	वर्ष	जिला उद्योग केन्द्र का नाम	राशि (लाख रु.में)	व्यय राशि (लाख रु.में)	विशेष विवरण
1.	2017-18	जिला उद्योग केन्द्र, प्रतापगढ़ एवं फलौदी के कार्यालय भवन निर्माण तथा जोधपुर कार्यालय भवन का नवीनीकरण का कार्य।	118.00	62.04	—
2.	2018-19	जिला उद्योग केन्द्र, प्रतापगढ़ एवं फलौदी के कार्यालय भवनों का निर्माण कार्य पूर्ण कराये जाने हेतु।	137.79	89.94	—
3.	2019-20	जिला उद्योग केन्द्र, प्रतापगढ़ एवं फलौदी के कार्यालय भवनों का निर्माण कार्य पूर्ण कराने एवं चुरु के कार्यालय भवन नवीनीकरण के कार्य हेतु।	77.17	32.50	संशोधित आय व्यय अनुमान वर्ष 2019-20 में जिला उद्योग केन्द्र, चुरु के भवन नवीनीकरण हेतु प्रावधित राशि 40.00 लाख में से 5.00 लाख रु. का ही बजट प्रावधान रखा जाने एवं कोविड-2019 के कारण राशि व्यय नहीं हुई।
4.	2020-21	जिला उद्योग केन्द्र, चुरु के कार्यालय भवन नवीनीकरण कार्य एवं जिला उद्योग केन्द्र, अलवर एवं उदयपुर के निर्माण कार्यों के बकाया भुगतान हेतु।	40.00	30.00	(दिनांक 31.12.2019 तक)

(ii) ऋण/ब्याज वसूली

ऋण/ब्याज की वसूली/अपलेखन के आवंटित लक्ष्य व उसके विरुद्ध उपलब्धि का विवरण

(राशि लाख रुपये में)

क्र. सं.	जिला उद्योग केन्द्र	वर्ष 2017-18		वर्ष 2018-19		वर्ष 2019-20		वर्ष 2020-21 (30.11.2020 तक)	
		लक्ष्य	उपलब्धि	लक्ष्य	उपलब्धि	लक्ष्य	उपलब्धि	लक्ष्य	उपलब्धि
1.	अजमेर	3.08	00.00	3.11	00.00	3.73	00.00	4.47	00.00
2.	अलवर	6.91	00.07	6.94	00.26	8.33	00.00	9.99	0.08
3.	बांसवाड़ा	5.43	00.00	5.26	00.00	6.31	00.05	7.57	00.00
4.	बारां	00.00	00.00	0.00	00.00	0.00	00.00	00.00	00.00
5.	बाड़मेर	02.31	00.00	2.34	00.00	2.80	00.00	3.36	00.00
6.	भरतपुर	02.58	00.00	2.61	00.00	3.13	00.02	3.76	00.00
7.	भीलवाड़ा	10.42	00.00	10.45	00.00	12.54	00.00	15.04	00.00
8.	भिवाड़ी	00.00	00.00	0.00	00.00	0.59	00.00	0.40	00.00
9.	बीकानेर	00.48	00.00	0.51	00.00	0.61	00.00	0.73	00.00
10.	बून्दी	00.38	00.00	0.41	00.00	0.49	00.00	0.59	00.00
11.	चित्तौड़गढ़	01.05	00.02	1.08	00.04	1.29	00.00	1.55	00.00
12.	चुरू	04.31	00.00	4.35	00.21	5.22	00.22	6.26	0.24
13.	दौसा	00.43	00.00	0.46	00.00	0.56	00.00	0.67	00.00
14.	धौलपुर	00.81	00.00	0.84	00.00	1.01	00.00	1.21	00.00
15.	डूंगरपुर	00.70	00.00	0.73	00.00	0.88	00.00	1.06	00.00
16.	हनुमानगढ़	00.00	00.00	0.00	00.00	0.00	00.00	00.00	00.00
17.	जयपुर(ग्रा.)	03.65	00.08	3.68	00.00	4.42	00.00	5.30	00.00
18.	जयपुर (श.)	36.60	00.00	36.63	00.00	43.95	00.00	52.74	00.00
19.	जैसलमेर	00.06	00.00	0.00	00.00	0.00	00.00	00.00	00.00
20.	जालौर	00.11	00.00	0.00	00.00	0.00	00.00	00.00	00.00
21.	झालावाड़	01.40	00.00	1.43	00.00	1.71	00.00	2.05	00.00
22.	झुंझुनू	04.85	00.00	4.88	00.00	5.85	00.00	7.02	00.00
23.	जोधपुर	09.32	00.00	9.36	00.00	11.23	00.00	13.47	00.00
24.	करौली	02.18	00.00	2.21	00.00	2.65	00.00	3.18	00.00
25.	कोटा	03.87	00.00	3.98	00.00	4.77	00.53	5.73	00.01
26.	नागौर	06.66	00.00	6.69	00.00	8.03	00.00	9.64	00.00
27.	पाली	00.66	00.00	0.69	00.00	0.83	00.00	1.00	00.00
28.	राजसमन्द	00.00	00.00	0.00	00.00	0.00	00.00	00.00	00.00
29.	स.माधोपुर	01.03	00.00	1.06	00.00	1.27	00.00	1.52	00.00
30.	सीकर	06.35	00.00	6.38	00.00	7.65	00.00	9.18	00.00
31.	सिरोही	01.09	00.00	1.12	00.00	1.34	00.00	1.61	00.00
32.	श्रीगंगानगर	01.14	00.00	1.17	00.00	1.41	00.00	1.69	00.00
33.	टोंक	01.97	00.02	2.01	00.00	2.41	00.00	2.89	00.00
34.	उदयपुर	03.10	00.00	3.13	00.00	3.76	00.08	4.51	00.01
35.	प्रतापगढ़	01.09	00.00	1.12	00.00	1.34	00.00	1.61	00.00
36.	फलोदी	00.00	00.00	0.00	00.00	0.00	00.00	00.00	00.00
	योग	124.02	00.19	124.63	00.51	150.11	00.90	179.80	00.34

भाग-4

परिशिष्ट

परिशिष्ट -1

कार्यालय आयुक्त, उद्योग एवं जिला उद्योग केन्द्रों में विभिन्न सेवाओं के स्वीकृत पद
वर्ष 2020-21 (दिसम्बर, 2020)

क्र.सं.	नाम पद	मुख्यालय	जिला उद्योग केन्द्र
1.	भारतीय प्रशासनिक सेवा	1	0
2.	राजस्थान उद्योग सेवा (राजपत्रित)	21	101
3.	राजस्थान लेखा सेवा (राजपत्रित)	5	0
4.	राजस्थान सांख्यिकी सेवा (राजपत्रित)	1	0
5.	राजस्थान विधि सेवा (राजपत्रित)	2	0
6.	राजस्थान उद्योग अधीनस्थ सेवा (राजपत्रित)	6	78
7.	राजस्थान उद्योग अधीनस्थ सेवा	11	130
8.	राजस्थान अधीनस्थ लेखा सेवा	15	36
9.	राजस्थान अधीनस्थ सांख्यिकी सेवा	4	0
10.	राजस्थान कम्प्यूटर सेवा (राजपत्रित)	1	0
11.	राजस्थान कम्प्यूटर अधीनस्थ सेवा	4	31
12.	मंत्रालयिक सेवा (राजपत्रित)	12	14
13.	मंत्रालयिक सेवा (अराजपत्रित)	109	304
	अन्य सेवा		
1.	वाहन चालक	3	3
2.	जमादार	2	0
3.	चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी	32	153
4.	सफाईकर्ता	2	0
	योग:-	231	850

उद्योग विभाग में स्वीकृत/कार्यरत/रिक्त पदों का विवरण
वर्ष 2020-21 (दिसम्बर, 2020)

क्र. सं.	पद	कुल स्वीकृत	कुल कार्यरत	रिक्त	विशेष विवरण
1	आयुक्त	1	1	0	
2	अतिरिक्त निदेशक	4	3	1	1 पद नवसृजित 2020-21 की पदोन्नति से भरा जावेगा
3	संयुक्त निदेशक	17	14	03	1 पद सी.एस.आर. का है।
4	उप निदेशक	41	19	22	
5	सहायक निदेशक	60	32	28	19 पद आरपीएससी के माध्यम से सीधी भर्ती से भरे जाने हैं। जिसमें 19 पदों की अर्थना भिजवायी जा चुकी है।
6	जिला उद्योग अधिकारी	83	28	55	8 पद सीधी भर्ती यथांश के हैं जिसकी अर्थना भेजी जा चुकी है। शेष पद डीपीसी से भरे जाने हैं लेकिन कोई अनुभवधारक कार्मिक उपलब्ध नहीं होने के कारण पद रिक्त है।
7	आर्थिक अन्वेषक	13	8	5	
8	उद्योग प्रसार अधिकारी	94	53	41	
9	हाथकर्घा निरीक्षक	9	06	03	
10	उद्योग निरीक्षक	19	11	08	
11	वित्तीय सलाहकार	1	1	0	
12	लेखाधिकारी	2	1	1	
13	सहायक लेखाधिकारी I	2	1	1	
14	सहायक लेखाधिकारी II	41	21	20	निदेशक कोष एवं लेखा द्वारा पदस्थापन किया जाता है।
15	कनिष्ठ लेखाकार	10	9	1	निदेशक कोष एवं लेखा द्वारा पदस्थापन किया जाता है।
16	उप निदेशक (सांख्यिकी)	1	1	0	—
17	सहायक सांख्यिकी अधिकारी	2	2	0	1 पद अस्थाई क्रमोन्नत कर सांख्यिकी अधिकारी का पदस्थापन
18	संगणक	2	1	1	—

19	उप विधिपरामर्शी	1	1	0	—
20	वरिष्ठ विधि अधिकारी	1	1	0	—
21	एनालिस्ट कम प्रोग्रामर	1	1	0	—
22	सहायक प्रोग्रामर	2	2	0	—
23	सूचना सहायक	33	28	05	DOIT से पदस्थापन किया जाता है।
24	लवण अधीक्षक	1	0	1	पदोन्नति से भरा जायेगा।
25	लवण निरीक्षक	6	04	02	
26	वाहन चालक	6	2	04	विभागीय स्तर पर सीधी भर्ती द्वारा भरा जाना है।
27	अतिरिक्त निजी सचिव	2	1	01	
28	निजी सहायक	12	11	01	एसटी का कोई अभ्यर्थी उपलब्ध नहीं होने के कारण रिक्त है।
29	आशुलिपिक	32	01	31	21 रिक्त पदों पर भर्ती हेतु अर्थना प्रशासनिक सुधार विभाग को भिजवाई जा चुकी है।
30	संस्थापन अधिकारी	01	0	01	
31	प्रशासनिक अधिकारी	04	1	03	
32	अतिरिक्त प्रशासनिक अधिकारी	19	17	2	
33	सहायक प्रशासनिक अधिकारी	62	53	09	
34	वरिष्ठ सहायक	122	99	23	
35	कनिष्ठ सहायक	185	124	61	
36	जमादार	02	01	01	
37	चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी	185	55	130	विभागीय स्तर पर सीधी भर्ती द्वारा भरा जाना है। एन.ओ.सी हेतु कार्यवाही प्रक्रिया में है।
38	सफाईकर्ता	2	2	0	
	योग	1081	615	466	

बजट 2017-18

(राशि लाख रु.)

क्र.सं.	बजट मद	आय-व्ययक अनुमान	संशोधित प्रावधान	व्यय
1	योजनाओं से संबंधित	23974.84	23163.15	22658.15
2	योजनाओं के अतिरिक्त	4632.21	4452.29	4226.21
4	केन्द्रीय सहायता	2500.06	211.93	102.96

बजट 2018-19

(राशि लाख रु.)

क्र.सं.	बजट मद	आय-व्ययक अनुमान	संशोधित प्रावधान	व्यय
1	योजनाओं से संबंधित	24972.34	19553.38	19166.43
2	योजनाओं के अतिरिक्त	5497.29	5420.00	4910.72
4	केन्द्रीय सहायता	0.03	0.00	0.00

बजट 2019-20

(राशि लाख रु.)

क्र.सं.	बजट मद	आय-व्ययक अनुमान	संशोधित प्रावधान	व्यय
1	योजनाओं से संबंधित	15197.92	15284.38	13314.38
2	योजनाओं के अतिरिक्त	19255.17	18609.36	18029.68
4	केन्द्रीय सहायता	0.03	0.00	0.00

बजट 2020-21

(राशि लाख रु.)

क्र.सं.	बजट मद	आय-व्ययक अनुमान	संशोधित प्रावधान	व्यय (31.12.2020 तक)
1	योजनाओं से संबंधित	21132.45	—	16258.50
2	योजनाओं के अतिरिक्त	7129.72	—	4874.12
4	केन्द्रीय सहायता	0.02	—	0.00

विभागीय योजनाओं की प्रगति

वर्ष 2017-18, 2018-19, 2019-20, एवं 2020-21 (दिसम्बर, 2020 तक)

क्र. सं.	योजना / कार्यक्रम	इकाई	2017-18		2018-19		2019-20		2020-21 (दिसम्बर, 2020 तक)	
			लक्ष्य	प्रगति	लक्ष्य	प्रगति	लक्ष्य	प्रगति	लक्ष्य	प्रगति
1.	एम.एस.एम.ई / मेमोरेण्डम	संख्या	-	102515	-	104584	-	146472	-	*29185
2.	नियोजन	संख्या	-	439289	-	465445	-	617245	-	*169395
3.	विनियोजन	करोड़ रुपये	-	10917.08	-	11589.64	-	16011.71	-	*6058.44
4.	औद्योगिक प्रोत्साहन शिविर									
	(अ) जिला स्तर पर	संख्या	34	94	35	62	35	46	-	5
	(ब) पंचायत समिति स्तर पर	संख्या	248	352	248	254	248	255	-	67
5.	चर्म प्रशिक्षण	संख्या	195	195	195	195	195	195	375	125
6.	आर्टिजन परिचय पत्र	संख्या	49500	28015	25000	8743	19500	5346	9366	2728
7.	प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम (ऋण वितरण)	संख्या	990	1078	1245	1609	1362	2112	1080	732
8.	भामाशाह रोजगार सृजन योजना (ऋण वितरण)	संख्या	11000	10753	11000	10025	-	-	-	-
9.	मुख्यमंत्री लघु उद्योग प्रोत्साहन योजना (ऋण वितरण)	संख्या	-	-	-	-	3000	239	10000	4068
10.	राजस्थान निवेश प्रोत्साहन योजना-2019 (जारी छूट प्रमाण पत्र)	संख्या	-	-	-	-	-	516	-	2273

नोट : * एम.एस.एम.ई / मेमोरेण्डम की प्रगति 30 जून 2020 तक ही है।

परिशिष्ट-4

प्रमुख कार्यक्रमों में जिला उद्योग केन्द्र वार लक्ष्य एवं उपलब्धियां वर्ष 2017-18

क.सं.	जिला उद्योग केन्द्र	MSME उद्योग आधार पंजीयन (UAM)			प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम		भामाशाह रोजगार सृजन योजना		औद्योगिक प्रोत्साहन शिविर		चर्म प्रशिक्षण		राजस्थान निवेश प्रोत्साहन योजना 2014 (RIPS)		
		पंजीकृत इकाई संख्या	नियोजन संख्या	विनियोजन लाख रु.											
		उपलब्धि	उपलब्धि	उपलब्धि	लक्ष्य	उपलब्धि	लक्ष्य	उपलब्धि	लक्ष्य	उपलब्धि	लक्ष्य	उपलब्धि	प्राप्त प्रस्ताव	जारी प्रमाण पत्र	प्राप्त निवेश (करोड़ रु.)
1.	अजमेर	4052	18596	71857.00	30	53	550	560	9	9	0	0	182	83	224.05
2.	अलवर	2150	9658	26928.00	15	21	350	356	9	15	0	0	36	32	3523.82
3.	बांसवाड़ा	649	2212	5749.00	30	18	300	312	9	16	20	20	7	4	0.55
4.	बारां	298	1753	1795.00	30	39	210	218	8	9	0	0	9	6	3.31
5.	बाड़मेर	1858	9048	26754.00	30	58	350	35	9	10	20	15	12	8	11.50
6.	भरतपुर	1290	6433	14138.00	30	12	350	357	10	11	15	15	4	4	9.99
7.	भीलवाड़ा	4646	21205	70284.00	30	25	360	367	12	17	0	0	22	16	31.94
8.	भिवाड़ी	1608	18598	62996.00	15	5	250	237	7	12	0	0	196	26	108.57
9.	बीकानेर	2901	13318	33178.00	30	38	400	276	7	10	0	0	24	24	11.15
10.	बून्दी	571	2329	8835.00	30	19	200	223	6	21	0	0	6	6	30.31
11.	चित्तौड़गढ़	1329	6565	19622.00	30	46	300	311	12	13	0	0	16	16	16.56
12.	चुरू	1649	6589	12101.00	30	29	200	209	7	7	0	0	10	9	1.19
13.	दौसा	1332	5980	11693.00	30	37	210	141	6	6	0	0	2	2	0.00
14.	धौलपुर	975	4955	10704.00	30	12	170	171	5	10	20	20	17	15	26.84
15.	झुंझुनू	824	3918	6423.00	30	14	170	173	6	12	0	0	1	1	0.00
16.	हनुमानगढ़	5490	12492	30321.00	30	31	265	365	8	9	0	0	9	7	5.51
17.	जयपुर (ग्रामीण)	9259	41951	100748.00	15	31	500	607	13	30	20	20	91	81	389.19
18.	जयपुर (शहर)	13948	63822	103455.00	15	36	700	713	1	14	0	0	76	69	229.46
19.	जैसलमेर	342	1612	5851.00	30	17	100	99	4	7	0	0	5	5	7.77
20.	जालौर	1067	4510	19331.00	30	21	340	435	9	12	0	0	44	29	23.70
21.	झालावाड़	700	5339	5896.00	30	23	250	228	7	13	0	0	5	5	1.64
22.	झुंझुनू	2345	9792	18207.00	30	43	350	191	9	12	15	15	1	1	5.61
23.	जोधपुर	8446	40088	99229.00	18	53	550	549	7	7	0	0	104	100	153.60
24.	करौली	1255	5054	9015.00	30	40	200	206	6	12	20	20	0	0	0.00
25.	कोटा	6797	19412	40934.00	30	38	400	481	6	14	0	0	15	14	43.66
26.	नागौर	2928	13464	33051.00	30	28	300	312	12	21	15	15	13	13	9.52
27.	पाली	2192	10260	31222.00	30	18	175	177	11	11	0	0	19	15	22.82
28.	फलौदी	326	1375	3261.00	12	9	200	200	4	7	15	20	1	1	0.05
29.	प्रतापगढ़	217	1245	2422.00	30	17	210	192	6	7	0	0	0	0	0.00
30.	राजसमन्द	2029	9243	34469.00	30	16	200	207	8	8	0	0	45	36	33.00
31.	सवाईमाधोपुर	1942	5852	14017.00	30	57	450	492	6	7	15	15	2	2	15.99
32.	सीकर	3583	13211	30914.00	30	34	200	209	9	14	0	0	21	13	3545.51
33.	सिरोही	1031	4148	15380.00	30	28	260	161	6	12	20	20	12	10	62.54
34.	श्रीगंगानगर	6485	18600	34496.00	30	21	200	194	9	25	0	0	10	7	12.90
35.	टोंक	1355	4092	9029.00	30	47	200	209	7	7	0	0	6	5	0.00
36.	उदयपुर	4646	22570	67403.00	30	44	580	580	12	19	0	0	26	26	206.32
	योग	102515	439289	1091708.00	990	1078	11000	10753	282	446	195	195	1049	691	8768.56

प्रमुख कार्यक्रमों में जिला उद्योग केन्द्र वार लक्ष्य एवं उपलब्धियां वर्ष 2018-19

क्र.सं.	जिला उद्योग केन्द्र	MSME उद्योग आधार पंजीयन (UAM)			प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम		भामाशाह रोजगार सृजन योजना		औद्योगिक प्रोत्साहन शिविर		चर्म प्रशिक्षण		राजस्थान निवेश प्रोत्साहन योजना 2014 (RIPS)		
		पंजीकृत इकाई संख्या	नियोजन संख्या	विनियोजन लाख रु.									प्राप्त प्रस्ताव	जारी प्रमाण पत्र	प्राप्त निवेश (करोड़ रु.)
		उपलब्धि	उपलब्धि	उपलब्धि	लक्ष्य	उपलब्धि	लक्ष्य	उपलब्धि	लक्ष्य	उपलब्धि	लक्ष्य	उपलब्धि			
1.	अजमेर	4949	21692	84987.00	44	52	550	554	9	10	0	0	186	162	407.80
2.	अलवर	2991	12971	32938.00	29	27	350	301	9	9	0	0	35	32	76.29
3.	बांसवाड़ा	1302	4532	9026.00	30	54	300	180	9	7	20	20	1	1	0.53
4.	बारां	799	3915	4875.00	44	53	210	197	8	4	0	0	11	10	5.92
5.	बाड़मेर	1894	10446	29633.00	40	48	350	99	9	10	20	20	17	11	8.47
6.	भरतपुर	1711	6889	20524.00	30	40	350	352	10	10	0	0	4	4	13.38
7.	भीलवाड़ा	5137	22649	69598.00	44	41	360	362	12	12	15	15	30	26	27.33
8.	भिवाड़ी	1616	17198	63551.00	15	13	250	208	7	13	0	0	388	385	1022.22
9.	बीकानेर	4713	22064	59779.00	30	70	400	264	7	7	0	0	13	8	21.06
10.	बून्दी	818	3044	9799.00	30	32	200	212	6	17	0	0	9	9	37.69
11.	चित्तौड़गढ़	1603	8426	16932.00	44	43	300	305	12	13	0	0	23	21	35.67
12.	चुरू	1415	6134	13666.00	40	87	200	167	7	7	0	0	12	11	6.11
13.	दौसा	2213	7866	12447.00	40	59	210	220	6	6	0	0	5	5	2.26
14.	धौलपुर	534	2534	6056.00	44	22	170	159	5	5	0	0	11	11	19.58
15.	झुंझपुर	791	2991	6583.60	30	36	170	161	6	8	0	0	0	0	0.00
16.	हनुमानगढ़	1929	8504	16051.00	30	44	265	223	8	8	0	0	11	9	13.22
17.	जयपुर (ग्रामीण)	10844	44640	75109.00	30	58	500	450	13	14	20	20	140	130	378.91
18.	जयपुर (शहर)	13543	62538	119398.00	17	60	700	739	1	2	0	0	135	129	269.65
19.	जैसलमेर	589	2756	6688.00	40	18	100	56	4	4	0	0	4	4	5.62
20.	जालौर	1030	4518	12573.00	30	16	340	325	9	10	0	0	24	24	32.11
21.	झालावाड़	576	3109	5678.00	30	60	250	250	7	9	0	0	7	7	6.83
22.	झुंझुनू	2503	9472	22848.00	40	61	350	224	9	10	15	15	4	4	3.92
23.	जोधपुर	9686	47522	132526.00	30	110	550	442	7	7	20	20	104	104	252.25
24.	करौली	1311	4803	10476.00	44	55	200	202	6	6	0	0	0	0	0.00
25.	कोटा	5746	22429	43874.00	40	68	400	490	6	9	15	15	26	26	64.86
26.	नागौर	4002	16711	38718.00	44	27	300	321	12	13	0	0	40	35	34.58
27.	पाली	2594	10219	31025.00	30	26	175	176	11	11	20	20	34	33	9.41
28.	फलौदी	557	2164	6339.00	14	10	200	169	5	6	0	0	7	7	6.66
29.	प्रतापगढ़	396	1931	4166.00	30	29	210	126	6	6	0	0	0	0	0.00
30.	राजसमन्द	1247	6017	23309.00	30	24	200	202	8	9	0	0	43	38	35.25
31.	सवाईमाधोपुर	1539	5507	10885.00	30	61	450	503	6	6	15	15	0	0	0.00
32.	सीकर	3069	12883	30154.00	44	23	200	143	9	10	0	0	20	20	69.49
33.	सिरोही	1012	4282	14880.00	44	41	260	240	6	9	20	20	55	33	58.86
34.	श्रीगंगानगर	3775	12411	26842	30	48	200	209	9	9	15	15	6	3	7.27
35.	टाँक	1150	4046.00	7545.00	40	42	200	200	7	7	0	0	8	8	41.17
36.	उदयपुर	5000	25632	79485.00	44	51	580	594	12	13	0	0	13	13	95.53
	योग	104584	465445	1158963.6	1245	1609	11000	10025	283	316	195	195	1426	1323	3069.90

नोट:- RIPS-2014 में मुख्यालय स्तर पर 168 प्राप्त प्रस्तावों में 157 छूट प्रमाण पत्र जारी किये गये, जिनमे 36568.62 करोड़ रुपये के निवेश प्रस्ताव प्राप्त हुए।

प्रमुख कार्यक्रमों में जिला उद्योग केन्द्र वार लक्ष्य एवं उपलब्धियां वर्ष 2019-20

क्र.सं.	जिला उद्योग केन्द्र	MSME उद्योग आधार पंजीयन (UAM)			प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम		औद्योगिक प्रोत्साहन शिविर		चर्म प्रशिक्षण		राजस्थान निवेश प्रोत्साहन योजना 2014 (RIPS)			राजस्थान निवेश प्रोत्साहन योजना (RIPS) -2019		मुख्यमंत्री लघु उद्योग प्रोत्साहन योजना (MLUPY)	
		पंजीकृत इकाई संख्या	नियोजन संख्या	विनियोजन लाख रु.													
		उपलब्धि	उपलब्धि	उपलब्धि	लक्ष्य	उपलब्धि	लक्ष्य	उपलब्धि	लक्ष्य	उपलब्धि	प्राप्त प्रस्ताव	जारी प्रमाण पत्र	प्राप्त निवेश (करोड़ रु.)	पात्रता प्रमाण पत्र जारी	कुल निवेश (करोड़ रु. में)	लक्ष्य	उपलब्धि
1.	अजमेर	8462	36641	131280.00	50	53	9	9	0	0	53	44	101.07	54	159.41	110	14
2.	अलवर	4784	20062	51467.00	35	42	9	10	0	0	26	20	49.72	3	9.95	110	22
3.	बांसवाड़ा	1838	7551	15424.00	40	37	9	8	20	20	0	0	0	0	0	80	0
4.	बारंग	1177	3844	9755.00	38	61	8	6	0	0	3	3	0.9	5	4.49	50	0
5.	बाड़मेर	2977	16163	43278.00	30	47	9	10	15	15	12	6	5.33	25	37.17	90	0
6.	भरतपुर	1974	10475	19939.00	38	62	10	10	0	0	4	4	20.20	0	0	100	7
7.	भीलवाड़ा	7602	30868	100565.00	48	46	12	12	0	0	21	10	13.58	22	55.13	100	0
8.	भिवानी	1945	19934	52962.00	15	32	7	6	0	0	235	195	557.34	113	478.89	50	41
9.	बीकानेर	6599	29024	76708.00	38	77	7	7	0	0	11	5	11.18	4	14.52	110	24
10.	बूंदी	1494	6113	11342.00	38	59	6	6	20	20	13	12	10.33	6	10.96	50	0
11.	चित्तौड़गढ़	3760	13287	28925.00	48	51	12	11	0	0	7	5	5.31	0	0	70	1
12.	चुरू	2820	11570	27570.00	34	83	7	5	0	0	9	8	7.96	11	5.10	90	2
13.	दौसा	4763	15400	25020.00	50	68	6	6	0	0	2	1	1.16	2	2.90	70	0
14.	धौलपुर	823	3376	8432.00	38	47	5	5	0	0	7	2	3.65	4	2.96	50	0
15.	झुंझपुर	1232	3937	8296.00	38	35	6	7	0	0	0	0	0	0	0	60	0
16.	हनुमानगढ़	3297	11700	36681.00	34	57	8	4	15	15	17	7	33.50	5	5.49	80	0
17.	जयपुर (ग्रामीण)	14101	52068	128558.00	30	70	13	15	20	20	117	111	270.44	73	251.65	150	3
18.	जयपुर (शहर)	10976	54943	104441.00	30	62	1	11	0	0	84	76	238.49	59	176.58	150	0
19.	जैसलमेर	932	4592	12856.00	30	22	4	4	0	0	0	0	0	0	0	30	0
20.	जालौर	1614	7358	20721.00	38	42	9	9	15	15	15	11	12.31	17	33.79	80	0
21.	झालावाड़	1334	6820	9998.00	38	113	7	11	0	0	4	4	30.11	2	19.93	60	0
22.	झुंझुनू	1706	6947	17222.00	34	108	9	10	20	20	20	20	21.68	0	0	90	67
23.	जोधपुर	12204	65172	172223.00	24	88	7	9	20	20	60	48	116.00	25	364.08	120	0
24.	करौली	1669	5375	9566.00	46	72	6	8	0	0	0	0	0	2	15.22	60	1
25.	कोटा	7265	24826	66744.00	54	66	6	10	0	0	0	0	0	2	4.40	100	0
26.	नागौर	8532	21805	55630.00	34	36	12	9	0	0	29	13	19.58	0	0	150	0
27.	पाली	4720	18852	72318.00	38	44	11	11	15	15	18	16	39.18	5	16.08	90	0
28.	फलौदी	668	3245	8537.00	14	10	5	6	0	0	4	0	0	0	0	40	0
29.	प्रतापगढ़	1473	3378	8273.00	46	62	6	4	0	0	0	0	0	0	0	40	0
30.	राजसमन्द	1864	7609	27574.00	44	25	8	8	0	0	19	7	5.03	5	17.77	50	4
31.	सवाईमाधोपुर	2153	7596	14891.00	44	131	6	5	0	0	0	0	0	2	1.18	80	4
32.	सीकर	5539	20093	51912.00	30	43	9	13	0	0	26	12	15.33	15	47.24	100	9
33.	सिरोही	1689	7488	19022.00	54	48	6	2	20	20	58	39	42.55	6	4.50	50	2
34.	श्रीगंगानगर	4984	20754	54476.00	34	77	9	9	15	15	14	5	8.39	2	5.13	100	17
35.	टाँक	844	3129	5792.00	42	55	7	13	0	0	10	8	13.77	6	49.17	60	3
36.	उदयपुर	6658	35250	92773.00	46	81	12	12	0	0	20	15	29.53	8	29.63	130	18
	योग	146472	617245	1601171.00	1362	2112	283	301	195	195	918	707	1683.62	483	1823.32	3000	239

नोट:- RIPS-2014 में मुख्यालय स्तर पर 118 प्राप्त प्रस्तावों में 219 छूट प्रमाण पत्र जारी किये गये, जिनमें 21649.93 करोड़ रुपये के निवेश प्रस्ताव प्राप्त हुए।
RIPS-2019 में मुख्यालय स्तर पर 33 छूट प्रमाण पत्र जारी किये गये, जिनमें 10999.58 करोड़ रुपये के निवेश प्रस्ताव प्राप्त हुए।

प्रमुख कार्यक्रमों में जिला उद्योग केन्द्र वार लक्ष्य एवं उपलब्धियां वर्ष 2020-21 (माह दिसम्बर, 2020 तक)

क्र.सं.	जिला उद्योग केन्द्र	MSME उद्योग आधार पंजीयन (UAM)			प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम		औद्योगिक प्रोत्साहन शिविर		चर्म प्रशिक्षण		राजस्थान निवेश प्रोत्साहन योजना 2014 (RIPS)			राजस्थान निवेश प्रोत्साहन योजना (RIPS) -2019		मुख्यमंत्री लघु उद्योग प्रोत्साहन योजना (MLUPY)	
		पंजीकृत इकाई संख्या	नियोजन संख्या	विनियोजन लाख रु.													
		उपलब्धि	उपलब्धि	उपलब्धि	लक्ष्य	उपलब्धि	लक्ष्य	उपलब्धि	लक्ष्य	उपलब्धि	प्राप्त प्रस्ताव	जारी प्रमाण पत्र	प्राप्त निवेश (करोड़ रु.)	पात्रता प्रमाण पत्र जारी	कुल निवेश (करोड़ रु. में)	लक्ष्य	उपलब्धि
1.	अजमेर	1819	9023	65999.00	32	21	-	1	0	0	18	4	4.07	270	702.20	400	155
2.	अलवर	1752	5818	24176.00	22	20	-	5	0	0	4	2	5.26	34	110.81	370	205
3.	बांसवाड़ा	265	915	2200.00	32	18	-	0	20	0	2	0	0	0	0.00	260	123
4.	बारंग	336	1808	4634.00	30	17	-	5	15	0	0	0	0	5	6.82	170	1
5.	बाड़मेर	883	3721	23949.00	30	17	-	0	15	0	2	0	0	167	233.83	350	0
6.	भरतपुर	748	2568	12785.00	34	18	-	6	15	0	0	0	0	23	73.00	370	112
7.	भीलवाड़ा	1488	6815	35215.00	36	18	-	8	20	0	0	0	0	65	163.16	370	206
8.	भिवाड़ी	414	5662	10138.00	10	8	-	6	0	0	14	6	0	297	942.01	160	27
9.	बीकानेर	1523	8019	27597.00	30	11	-	1	15	0	0	0	27.25	53	122.65	360	50
10.	बून्दी	236	1592	7180.00	30	20	-	0	0	0	0	0	0	14	14.74	170	102
11.	चित्तौड़गढ़	675	3762	16209.00	36	20	-	10	20	20	17	9	0	10	34.17	250	110
12.	चुरू	734	3206	10202.00	30	28	-	3	0	0	2	1	15.98	28	43.29	290	28
13.	दौसा	595	2674	5271.00	32	42	-	4	15	15	0	0	1.62	6	24.59	250	108
14.	धौलपुर	164	628	1521.00	30	4	-	1	0	0	0	0	0	11	29.22	180	15
15.	डूंगरपुर	213	600	1657.00	30	11	-	0	20	0	0	0	0	0	0.00	200	114
16.	हनुमानगढ़	605	2270	7763.00	30	18	-	0	20	0	7	0	0	9	31.73	250	6
17.	जयपुर (ग्रामीण)	2376	14666	42383.00	26	15	-	0	20	0	18	4	13.81	435	962.93	490	203
18.	जयपुर (शहर)	2035	12052	29895.00	24	6	-	0	0	0	5	2	7.43	108	331.15	490	149
19.	जैसलमेर	217	3128	5947.00	30	9	-	2	0	0	0	0	0	31	26.38	100	33
20.	जालौर	221	1198	4460.00	30	11	-	0	20	20	0	0	0	33	26.81	250	47
21.	झालावाड़	512	2980	50691.00	30	40	-	0	0	0	0	0	0	14	21.28	200	37
22.	झुंझुनू	753	4265	11639.00	30	49	-	4	20	20	0	0	0	8	24.81	310	291
23.	जोधपुर	2661	28069	56014.00	32	42	-	0	20	0	0	0	0	153	2011.86	390	202
24.	करौली	242	807	2220.00	30	29	-	4	0	0	0	0	0	9	6.00	210	95
25.	कोटा	1054	7173	23408.00	42	17	-	0	0	0	0	0	0	27	82.21	300	51
26.	नागौर	1088	6108	20475.00	30	16	-	0	0	0	2	1	0.15	0	0.00	380	262
27.	पाली	795	5977	14713.00	30	15	-	5	20	20	2	2	1.39	23	52.28	290	209
28.	फलोदी	258	1601	3047.00	12	6	-	1	0	0	0	0	0	4	7.21	140	70
29.	प्रतापगढ़	186	926	1997.00	30	8	-	0	20	0	0	0	0	0	0.00	130	23
30.	राजसमन्द	293	1332	6064.00	30	12	-	2	15	0	3	3	4.34	55	100.93	160	114
31.	सवाईमाधोपुर	205	1076	3728.00	34	47	-	4	15	15	0	0	0	8	5.06	200	87
32.	सीकर	1167	4778	18514.00	30	21	-	0	20	0	2	0	0	53	97.97	380	313
33.	सिरोही	266	1490	3580.00	36	20	-	0	15	15	3	2	4.08	70	106.19	160	66
34.	श्रीगंगानगर	852	3102	10151.00	30	33	-	0	15	0	3	2	2.83	15	50.56	300	224
35.	टाँक	107	553	1656.00	34	24	-	0	0	0	2	0	0	36	104.17	280	37
36.	उदयपुर	1447	9033	38766.00	36	21	-	0	0	0	3	3	7.06	64	373.72	440	193
	योग	29185	169395	605844.00	1080	732	-	72	375	125	109	41	95.27	2138	6923.74	10000	4068

नोट:- RIPS-2014 में मुख्यालय स्तर पर 21 प्राप्त प्रस्तावों में 4 छूट प्रमाण पत्र जारी किये गये, जिनमें 437.36 करोड़ रुपये के निवेश प्रस्ताव प्राप्त हुए।
RIPS-2019 में मुख्यालय स्तर पर 135 छूट प्रमाण पत्र जारी किये गये, जिनमें 49314.51 करोड़ रुपये के निवेश प्रस्ताव प्राप्त हुए।

**Number of Entrepreneurs Memorandum Part II (EM-II) / Udyog Aadhar filed during 2007-08 To 2019-20 by
Nature of Industry (Sector)**

SI No.	NIC 2004	Description	No. of EM.IInd / Udyog Aadhar													Total
			2007-08	2008-09	2009-10	2010-11	2011-12	2012-13	2013-14	2014-15	2015-16	2016-17	2017-18	2018-19	2019-20	
1	01	AGRICULTURE, HUNTING AND RELATED SERVICE ACTIVITIES	173	111	168	112	96	204	257	143	463	1417	1267	1424	1522	7357
2	02	FORESTRY, LOGGING AND RELATED SERVICE ACTIVITIES	237	204	140	188	185	119	60	49	89	1143	53	41	89	2597
3	05	FISHING, AQUACULTURE AND SERVICE ACTIVITIES INCIDENTAL TO FISHING	0	0	0	0	0	6	13	0	4	55	58	38	61	235
4	10	MINING OF COAL AND LIGNITE; EXTRACTION OF PEAT	6	1	23	41	8	2	5	3	9	78	17	20	14	227
5	11	EXTRACTION OF CRUDE PETROLEUM AND NATURAL GAS; SERVICE ACTIVITIES INCIDENTAL TO OIL AND GAS EXTRACTION, EXCLUDING SURVEYING	1	1	1	6	1	2	3	0	5	21	76	86	103	306
6	12	MINING OF URANIUM AND THORIUM ORES	1	0	1	1	0	1	18	2	69	9	5	1	31	139
7	13	MINING OF METAL ORES	6	7	65	33	110	20	64	6	121	128	131	235	492	1418
8	14	OTHER MINING AND QUARRYING	240	323	264	389	355	375	233	1203	779	1527	2258	2163	2820	12929
9	15	MFG OF FOOD PRODUCTS AND BEVERAGES	701	583	635	746	707	731	701	875	3267	7941	12667	14511	17896	61961
10	16	MFG OF TOBACCO PRODUCTS	9	20	9	11	9	4	24	3	21	39	107	182	123	561
11	17	MFG OF TEXTILES	2018	2061	2309	2171	1487	1396	1491	1588	2574	5950	4847	4223	5422	37537
12	18	MFG OF WEARING APPAREL; DRESSING AND DYEING OF FUR	632	1255	1045	1188	935	1294	1741	819	968	1688	2771	3465	5694	23495
13	19	MFG OF LEATHER & LEATHER PRODUCT	1170	1072	949	712	537	993	511	438	440	1328	686	947	1318	11101
14	20	MFG OF WOOD AND WOOD PRODUCTS	563	657	628	651	628	539	527	366	954	1474	1393	1524	2035	11939
15	21	MFG OF PAPER AND PAPER PRODUCTS	171	119	89	128	205	190	213	369	657	813	817	935	1127	5833
16	22	PUBLISHING, PRINTING & REPRODUCTION OF RECORDED MEDIA	117	118	125	120	141	107	142	266	450	800	1036	1118	1607	6147
17	23	MFG OF COKE & REFINED PETROLEUM PRODUCTS AND	10	10	6	7	3	13	40	16	82	129	155	120	138	729

SI No.	NIC 2004	Description	No. of EM.IInd / Udyog Aadhar													
			2007-08	2008-09	2009-10	2010-11	2011-12	2012-13	2013-14	2014-15	2015-16	2016-17	2017-18	2018-19	2019-20	Total
		NUCLEAR FUEL														
18	24	MFG OF CHEMICALS AND CHEMICAL PRODUCTS	384	281	267	291	346	273	335	232	565	967	1265	1312	2593	9111
19	25	MFG OF RUBBER AND PLASTICS PRODUCTS	286	219	209	262	290	226	268	331	698	1055	1054	1070	1222	7190
20	26	MFG OF OTHER NONOMETALLIC MINERAL PRODUCTS	1884	1999	1912	2094	1829	1870	1503	1179	2373	4392	3398	3228	2565	30226
21	27	MFG OF BASIC METALS	414	360	281	239	312	219	225	266	506	1107	1187	1431	1601	8148
22	28	MFG OF FABRICATED METAL PRODUCTS	863	667	721	744	939	754	770	826	919	2467	1495	1391	1967	14523
23	29	MFG OF MACHINERY AND EQUIPMENT N.E.C.	239	392	436	505	187	184	299	318	668	4811	2949	2622	2414	16024
24	30	MFG OF OFFICE, ACCOUNTING & COMPUTING MACHINERY	6	11	7	12	15	9	35	50	90	200	195	375	1006	2011
25	31	MFG OF ELECTRICAL MACHINERY AND APPARATUS N.E.C.	164	205	143	174	139	148	239	347	517	978	742	964	1488	6248
26	32	MFG. OF RADIO, TELEVISION AND COMMUNICATION EQUIPMENT AND APPARATUS	59	77	39	49	38	19	54	45	286	252	366	307	291	1882
27	33	MFG OF MEDICAL, PRECISION AND OPTICAL INSTRUMENTS, WATCHES AND CLOCKS.	35	25	20	22	14	13	43	62	71	184	159	237	294	1179
28	34	MFG OF MOTOR VEHICLES, TRAILERS AND SEMITRAILERS.	22	17	11	13	15	20	33	81	116	268	581	840	575	2592
29	35	MFG OF OTHER TRANSPORT EQUIPMENT	20	24	46	17	21	16	36	20	47	489	630	762	821	2949
30	36	MFG OF FURNITURE; MANUFACTURING N.E.C.	917	1027	972	835	1026	943	1069	999	2236	2477	2705	3338	3737	22281
31	37	RECYCLING	18	18	20	13	16	4	5	35	29	47	1	39	28	273
32	40	ELECTRICITY, GAS, STEAM AND HOT WATER SUPPLY	2	32	27	2	1	2	15	28	100	152	211	228	268	1068
33	41	COLLECTION, PURIFICATION AND DISTRIBUTION OF WATER	4	4	15	2	7	1	13	8	140	480	266	286	257	1483
34	45	CONSTRUCTION	157	200	283	204	225	171	414	628	696	2053	2416	3099	4154	14700
35	50	REPAIR & MAINTENANCE OF MOTER VEHICLE, RETAIL SALE OF AUTOMOTIVE FUEL	198	202	267	279	341	310	453	609	719	6767	1470	1132	1812	14559

SI No.	NIC 2004	Description	No. of EM.IIInd / Udyog Aadhar													
			2007-08	2008-09	2009-10	2010-11	2011-12	2012-13	2013-14	2014-15	2015-16	2016-17	2017-18	2018-19	2019-20	Total
36	51	WHOLESALE OF TRADE AND COMMISSION TRADE	7	7	6	54	23	63	217	285	988	8936	3101	417	927	15031
37	52	REPAIR & MAINTENANCE OF PERSONAL& HOUSEHOLD GOODS, RETAIL TRADE	205	293	216	241	379	255	662	636	3214	3397	3238	2972	3984	19692
38	55	HOTELS AND RESTAURANTS	17	26	34	34	84	102	175	208	421	639	744	829	1794	5107
39	60	LAND TRANSPORT; TRANSPORT VIA PIPELINES	1	0	0	9	10	99	124	247	443	1318	1473	1412	2696	7832
40	61	WATER TRANSPORT	1	0	1	2	8	2	6	18	62	275	257	228	220	1080
41	62	AIR TRANSPORT	0	0	0	0	0	0	17	26	2	15	82	93	61	296
42	63	SUPPORTING & AUXILIARY TRANSPORT & TRAVEL AGENTS ACTIVITIES	31	28	25	37	91	46	143	222	312	642	1164	1417	2059	6217
43	64	POST AND TELECOMMUNICATIONS	27	21	86	18	13	22	101	83	234	1031	1374	1309	1492	5811
44	65	FINANCIAL INTERMEDIATION, EXCEPT INSURANCE & PENSION FUNDING	5	4	8	0	3	80	76	189	444	929	913	1320	1383	5354
45	66	INSURANCE AND PENSION FUNDING, EXCEPT COMPULSORY SOCIAL SECURITY	0	0	1	2	0	4	7	29	62	183	179	341	291	1099
46	67	ACTIVITIES AUXILIARY TO FINANCIAL INTERMEDIATION	26	22	21	34	68	2	16	31	162	722	300	307	555	2266
47	70	REAL ESTATE ACTIVITIES	0	1	0	1	0	65	116	241	575	1043	912	1073	1239	5266
48	71	RENTING OF MACHINERY & EQUIPMENT WITHOUT OPERATOR & OF PERSONAL & HOUSEHOLD GOODS	10	9	7	11	4	18	32	77	156	400	489	975	1364	3552
49	72	COMPUTER AND RELATED ACTIVITIES	184	196	250	269	369	500	796	772	1321	3486	3998	3823	5477	21441
50	73	RESEARCH AND DEVELOPMENT	1	2	0	3	1	89	22	10	40	1283	661	791	338	3241
51	74	OTHER BUSINESS ACTIVITIES	326	454	430	462	403	459	525	491	3284	7296	6191	5324	13105	38750
52	75	PUBLIC ADMINISTRATION AND DEFENCE; COMPULSORY SOCIAL SECURITY	2	0	0	0	1	6	6	49	126	121	273	347	188	1119
53	80	EDUCATION	10	6	7	18	34	113	329	540	965	2432	2952	2710	2706	12822

SI No.	NIC 2004	Description	No. of EM.IInd / Udyog Aadhar													Total
			2007-08	2008-09	2009-10	2010-11	2011-12	2012-13	2013-14	2014-15	2015-16	2016-17	2017-18	2018-19	2019-20	
54	85	HEALTH AND SOCIAL WORK	3	9	15	8	12	46	76	121	335	1107	1431	1893	2981	8037
55	90	SEWAGE AND REFUSE DISPOSAL, SANITATION AND SIMILAR ACTIVITIES	0	0	0	1	1	0	0	2	74	30	70	96	206	480
56	91	ACTIVITIES OF MEMBERSHIP ORGANIZATION N.E.C.	3	10	15	0	0	1	4	1	39	93	217	217	226	826
57	92	RECREATIONAL, CULTURAL AND SPORTING ACTIVITIES	1	1	0	5	4	24	61	65	147	242	369	458	351	1728
58	93	OTHER SERVICE ACTIVITIES	1100	1187	1317	1286	1764	2085	2087	1956	2705	8562	20687	20307	31958	97001
59	95	ACTIVITIES OF PRIVATE HOUSEHOLDS AS EMPLOYERS OF DOMESTIC STAFF	7	6	5	26	33	9	72	14	66	349	230	259	214	1290
60	96	UNDIFFERENTIATED GOODS PRODUCING ACTIVITIES OF PRIVATE HOUSEHOLDS FOR OWN USE	8	12	17	18	34	1	27	37	285	469	1480	1670	2017	6075
61	97	UNDIFFERENTIATED SERVICE & PRODUCING ACTIVITIES OF PRIVATE HOUSEHOLDS FOR OWN USE	44	30	31	53	43	59	52	95	118	499	190	232	978	2424
62	99	EXTRA TERRITORIAL ORGANIZATION AND BODIES.	94	70	52	41	128	35	0	0	31	155	106	70	77	859
		TOTAL	13840	14696	14677	14894	14678	15363	17601	18655	38339	99340	102515	104584	146472	615654

Large Scale Industries - (Running)					(Tentative Data)
Up to 31.3.2020					
S.NO.	Name of D.I.C.	Running Units(Nos.)	Fix.Investment (Rs. in Crore)	Employment (Nos.)	Closed
1.	Ajmer	14	1521.70	1570	0
2	Alwar	21	1773.59	10429	0
3	Banswara	7	1541.99	7701	0
4	Baran	4	25002.23	2808	0
5	Barmer	1	7007.34	1154	1
6	Bharatpur	2	30.83	851	3
7	Bhilwara	72	8623.29	44506	1
8	Bhiwadi	113	15353.67	51594	1
9	Bikaner	2	488.29	2029	1
10	Bundi	6	551.62	1154	3
11	Chittorgarh	13	15137.33	15345	1
12	Churu	1	23.99	64	0
13	Dausa	0	0.00	0	0
14	Dholpur	2	72.43	658	0
15	Dungarpur	3	214.06	623	0
16	Hanumangarh	2	76.50	196	0
17	Jaipur(Rural)	31	4104.23	12391	1
18	Jaipur(Urban)	24	635.84	8537	0
19	Jaisalmer	0	0.00	0	0
20	Jalore	1	15.39	45	0
21	Jhalawar	2	1179.01	6911	0
22	Jhunjhunu	1	708.88	965	0
23	Jodhpur	38	28193.54	6098	6
24	Karoli	1	60	33	0
25	Kota	19	10742.97	8105	0
26	Nagaur	3	0.00	321	0
27	Pali	8	5654.66	6760	0
28	Phalodi	0	0.00	0	0
29	Pratapgarh	0	0.00	0	0
30	Rajsamand	7	3595.09	7264	0
31	S.Madhampur	0	0.00	0	0
32	Sikar	6	675.02	2424	0
33	Sirohi	7	5592.28	4978	1
34	Sriganganagar	9	7339.68	3261	1
35	Tonk	4	289.80	811	0
36	Udaipur	28	2336.53	11987	2
	G.Total	452	148541.78	221573	22

Medium Scale Industries - (Running)					(Tentative Data)
Up to 31.3.2020					
S.N.	Name of District	Running Units(Nos.)	Fix.Investment (Rs. in Crore)	Employment (Nos.)	Closed
1	Ajmer	7	50.88	127	0
2	Alwar	4	32.01	460	0
3	Banswara	0	0.00	0	0
4	Baran	4	170.58	234	0
5	Barmer	3	11.49	224	0
6	Bharatpur	1	6.67	14	0
7	Bhilwara	34	228.44	2506	0
8	Bhiwadi	48	666.02	3199	0
9	Bikaner	2	11.56	103	2
10	Bundi	3	19.42	234	0
11	Chittorgarh	5	43.21	288	0
12	Churu	1	5.10	70	0
13	Dausa	0	0.00	0	0
14	Dholpur	10	61.18	329	1
15	Dungarpur	0	0.00	0	0
16	Hanumangarh	1	4.00	9	0
17	Jaipur(Rural)	19	157.20	2137	1
18	Jaipur(Urban)	5	23.15	1654	0
19	Jaisalmer	1	3.00	51	0
20	Jalore	3	17.61	106	0
21	Jhalawar	2	13.85	300	0
22	Jhunjhunu	0	0.00	0	0
23	Jodhpur	7	59.71	630	1
24	Karoli	1	8.1	119	0
25	Kota	14	53.61	2502	0
26	Nagaur	0	0.00	0	1
27	Pali	9	55.23	1734	0
28	Phalodi	0	0.00	0	0
29	Pratapgarh	0	0.00	0	0
30	Rajsamand	2	6.75	128	0
31	S.Madhampur	25	83.70	670	0
32	Sikar	4	66.91	434	0
33	Sirohi	2	15.39	46	1
34	Sriganganagar	2	5.80	43	0
35	Tonk	2	32.71	133	1
36	Udaipur	14	105.14	987	4
	G.Total	235	2018.42	19471	12

Government of Rajasthan
Office of Commissioner, Industries & Secretary, CSR, Rajasthan
Udyog Bhawan, Tilak Marg, Jaipur-302005

परिशिष्ट-10

OFFICER'S OF HEADQUARTER

EPABX No. 2227727-29,31,33-34; 2227630

S.No.	NAME	Desig.	Email Address
1.	Smt. Archana Singh	CI	indraj@rajasthan.gov.in
2.	Shri Avindra Laddha	AD	indrajfo7@rajasthan.gov.in
3.	Shri Sanjeev Saxena	AD	indrajfo8@rajasthan.gov.in
4.	Shri R.K. Ameriya	AD	indrajfo2@rajasthan.gov.in
5.	Shri Y.N. Mathur	JD	indrajfo3@rajasthan.gov.in
6.	Shri S.S. Shah	JD	indrajfo10@rajasthan.gov.in
7.	Shri Yogendra Gurnani	JD	purseplanind@rajasthan.gov.in
8.	Shri C.B. Naval	JD	indrajfo11@rajasthan.gov.in
9.	Shri P.R. Sharma	JD	indrajfo16@rajasthan.gov.in
10.	Shri P.N. Sharma	JD	indrajfo14@rajasthan.gov.in
11.	Shri Sanjay Mamgain	JD	indrajfo1@rajasthan.gov.in
12.	Smt. Aarti Baghotia	FA	indrajfo4@rajasthan.gov.in
13.	Shri Rajeev Garg	DD	rajeevgarg.ind@rajasthan.gov.in
14.	Shri Chiranjil Lal	DD	indrajfo13@rajasthan.gov.in
15.	Shri Dharmendra Poonia	DD	indrajfo12@rajasthan.gov.in
16.	Smt. Nidhi Sharma	DD	indrajfo9@rajasthan.gov.in
17.	Shri Balendra Singh	DD	csrrajasthan@rajasthan.gov.in
18.	Shri Mahendra Kumar	DLR	indrajfo15@rajasthan.gov.in
19.	Shri Mohan Lal Sharma	DD (Statistics)	purseplanind@rajasthan.gov.in
20.	Smt. Vaishali Pathak	SLO	indrajfo15@rajasthan.gov.in
21.	Shri Manoj Bansal	ACP	acp.ci.ind@rajasthan.gov.in
22.	Smt. Shalini Sharma	AO	indrajfo4@rajasthan.gov.in
23.	Shri Sitaram Dukya	AAO-I	indrajfo4@rajasthan.gov.in
24.	Shri Badri Prasad Meena	Statistical Officer	purseplanind@rajasthan.gov.in
25.	Shri Geet Goswami	ADI	-
26.	Smt. Savita Kejriwal	ADI	savitakejriwal.ind@rajasthan.gov.in
27.	Shri Rajendra Kr. Gupta	ADI	rgupta.ind@rajasthan.gov.in
28.	Shri Anil Kumar Jain	ADI	aniljain.ind@rajasthan.gov.in
29.	Smt. Anju Gupta	ADI	anjugupta.ind@rajasthan.gov.in
30.	Shri Rajesh Kr. Saxena	DIO	-
31.	Smt. Vandana Varma	DIO	vandanavarma.ind@rajasthan.gov.in

Office of the Commissioner of Industries, Rajasthan

Udyog Bhawan : Tilak Marg : Jaipur : 302005

Email: indraj@rajasthan.gov.in

EPABX No. 2227727-29, 31, 33-34; 2227630

Fax No. 2227516; 5106748

GENERAL MANAGERS OF THE DICs

S. N.	District	Name of General Managers	Post	STD Code	Tel.		Mobile
					(O)	(R)	
1.	Ajmer	Shri Sitaram	JD	0145	2970791	2641335	94140-43901
2.	Alwar	Shri Meghram Meena	DD	0144	2700268	2700641	94142-50241
3.	Banswara	Smt. Manju Mali	ADI	02962	242798	242758	90018-35901
4.	Baran	Shri Tarachand Jain	ADI	07453	237067	230538	94132-13816
5.	Barmer	Shri Sangram ram Devasi	DIO	02982	220320	220619	94135-21219
6.	Bharatpur	Shri Babulal Meena	JD	05644	222422	222524	94143-64625
7.	Bhilwara	Shri Vipul Jani	JD	01482	240906	220177	94137-50330
8.	Bhiwadi	Dr. Ranjana Yadav	DD	01493	225393	223949	97729-71693
9.	Bikaner	Smt. Manju Nain	DD	0151	2200325	2201916	94140-83505
10.	Bundi	Shri C.M.Gupta (Addl.Charge)	DD	0747	2456813	2457701	94144-16212
11.	Chittorgarh	Shri Rahul Dev Singh	ADI	01472	256073	244622	99820-13376
12.	Churu	Shri Yogesh Kumar Sharma	DIO	01562	250936	250423	94147-77059
13.	Dausa	Smt. Shilpa Gokharu	DD	01427	224430	224250	94145-91294
14.	Dholpur	Shri Krishna Avatar Sharma	ADI	05642	220866	220766	81144-26869
15.	Dungarpur	Shri Hitesh Kumar Joshi	DD	02964	232375	230375	94134-54808
16.	Hanumangarh	Smt. Akashdeep Siddhu	ADI	01552	260114	261906	94616-77969
17.	Jaipur (Urban)	Shri Dungarsi Das Meena	JD	0141	2227943	2784843	97991-57449
18.	Jaipur (Rural)	Shri Subhash Chandra Sharma	DD	0141	2227289	2712336	99281-57032
19.	Jaisalmer	Shri Harish Kumar Vyas	ADI	02992	252273	252559	94137-84535
20.	Jalore	Shri Bhanu Pratap Singh	DIO	02973	222381	232503	97849-88457
21.	Jhalawar	Shri Rajesh Kumar Tyagi	ADI	07432	231196	-	94135-54700
22.	Jhunjhunu	Shri NanuRam Gahnolia	ADI	01592	250013	230761	94145-41261
23.	Jodhpur	Shri Shankar Lal Paliwal	JD	0291	2431937	2636256	81070-99201
24.	Karauli	Shri Kamlesh Kumar Meena	DD	07464	215405	215396	98879-28290
25.	Kota	Shri Rajendra Kumar Sethia	JD	0744	2363129	2423270	94145-09906
26.	Nagaur	Shri Sushil Kumar Chabra	DD	01582	240871	240860	99832-84485
27.	Pali	Shri S.R. Ali	DD	02932	230213	222562	98293-00511
28.	Phalodi	Smt. Anjula Asdeo	ADI	02925	222065	222064	95889-56772
29.	Pratapgarh	Shri Bhagwan Das	DIO	01478	220074	220075	98283-43998
30.	Rajsamand	Shri Sahiram	ADI	02952	221382	221380	99294-32929
31.	Sawai Madhopur	Shri Chandra Mohan Gupta	DD	07462	220481	221963	94144-16212
32.	Sikar	Shri Dharmendra Kumar Sharma	DD	01572	245434	250879	97835-03777
33.	Sirohi	Shri Bhanu Pratap Singh(Add.Ch)	DIO	02972	222375	232508	97849-88457
34.	Sri Ganganagar	Shri Harish Mittal	ADI	0154	2440164	2476165	94623-32132
35.	Tonk	Shri Shailendra Sharma	ADI	01432	247328	247353	84323-77746
36.	Udaipur	Shri Vipul Jani (Addl.Charge)	JD	0294	2490941	2460381	94137-50330
Sub-Centres							
1.	Abu Road	Vacant		02974	226086	...	
2.	Balotra	Vacant		02988	222006	...	
3.	Beawar	Vacant		01462	250121	...	
4.	Falna	Vacant		02938	233406	...	
5.	Kishangarh	Vacant		01463	250685	...	
6.	Makrana	Vacant		01588	241410	...	
7.	Neemrana	Vacant		01494		...	
8.	Sujangarh	Vacant		01568	220134		

DISTRICT INDUSTRIES CENTRE (DICs)

<i>S. N.</i>	<i>District</i>	<i>Address</i>	<i>Email</i>
1.	Ajmer	General Manager District Industries Centre Near RPSC Building, Jaipur Road Ajmer-305001	dicajmer@rajasthan.gov.in
2.	Alwar	General Manager District Industries Centre Moti Dungri Road Near Bhawani Tope Circle Alwar-301001	dicalwar@rajasthan.gov.in
3.	Banswara	General Manager District Industries Centre Opp. Nehru Yuva Kendra, Ambedkar Circle, Dialab Road Banswara-327001	dicbanswara@rajasthan.gov.in
4.	Baran	General Manager District Industries Centre Collectrate Parisar, Kota Road Baran-325205	dicbaran@rajasthan.gov.in
5.	Barmer	General Manager District Industries Centre Krishi Mandi Road Near Punjab National Bank, Industrial Area Barmer-344001	dicbarmer@rajasthan.gov.in
6.	Bharatpur	General Manager District Industries Centre Kendriya Vidhyalaya Ke Paas, RIICO Road Bharatpur-321001	dicbharatpur@rajasthan.gov.in
7.	Bhilwara	General Manager District Industries Centre Near Pansal Choraha, Pur Road Bhilwara-311001	dicbhilwara@rajasthan.gov.in
8.	Bhiwadi	General Manager District Industries Centre RIICO Chowk Bhiwadi-301019	dicbhiwadi@rajasthan.gov.in
9.	Bikaner	General Manager District Industries Centre Chopra Katla, Rani Bazar Bikaner-334001	dicbikaner@rajasthan.gov.in
10.	Bundi	General Manager District Industries Centre ,P-9, Nainva Road Bundi-323001	dicbundi@rajasthan.gov.in

S. N.	District	Address	Email
11.	Chittorgarh	General Manager District Industries Centre Industrial Area, Chanderia Chittorgarh	dicchittorgarh@rajasthan.gov.in
12.	Churu	General Manager District Industries Centre Near Churu Collectorate Churu-331001	dicchuru@rajasthan.gov.in
13.	Dausa	General Manager District Industries Centre Collectorate Crossing, Bypass Dausa-303303	dicdausa@rajasthan.gov.in
14.	Dholpur	General Manager District Industries Centre Opp. S.P. Office New Collectorate Dholpur-328001	dicdholpur@rajasthan.gov.in
15.	Dungarpur	General Manager District Industries Centre RIICO Industrial Area Dungarpur-314001	dicdungarpur@rajasthan.gov.in
16.	Hanumangarh	General Manager District Industries Centre Near Old Collectorate, Hanumangarh Junction-335512	dichanumangarh@rajasthan.gov.in
17.	Jaipur (Urban)	General Manager District Industries Centre, Jaipur (Urban) Udyog Bhawan, Tilak Marg, C-Scheme Jaipur-302005	dicjprurban@rajasthan.gov.in
18.	Jaipur (Rural)	General Manager District Industries Centre, Jaipur (Rural) Udyog Bhawan, Tilak Marg, C-Scheme Jaipur-302005	dicjprural@rajasthan.gov.in
19.	Jaisalmer	General Manager District Industries Centre Near Hotel Dhola Maru, Jethwai Road Jaisalmer-345001	dicjaisalmer@rajasthan.gov.in
20.	Jalore	General Manager District Industries Centre Industrial Area Ist Phase, Bagora Road Jalore-343001	dicjalore@rajasthan.gov.in
21.	Jhalawar	General Manager District Industries Centre Kota Road Jhalawar-326001	dicjhalawar@rajasthan.gov.in

<i>S. N.</i>	<i>District</i>	<i>Address</i>	<i>Email</i>
22.	Jhunjhunu	General Manager District Industries Centre RIICO Industrial Area Jhunjhunu-333001	dicjhunjhunu@rajasthan.gov.in
23.	Jodhpur	General Manager District Industries Centre Udhyog Bhawan, New Power House Road Industrial Estate Jodhpur-342003	dicjodhpur@rajasthan.gov.in
24.	Karauli	General Manager District Industries Centre RIICO IndustrialArea, Gadka Ki Chowki Karauli	dickarauli@rajasthan.gov.in
25.	Kota	General Manager District Industries Centre D.C.M. Road, Industrial Estate,Kota-324007	dickota@rajasthan.gov.in
26.	Nagaur	General Manager District Industries Centre Industrial Area, Basni Road Nagaur-341001	dicnagaur@rajasthan.gov.in
27.	Pali	General Manager District Industries Centre Industrial Area, Mandia Road Pali-306401	dicpali@rajasthan.gov.in
28.	Phalodi	General Manager District Industries Centre Plot No.A/62, RIICO Residential Colony Phalodi (Distt. Jodhpur)	dicphalodi@rajasthan.gov.in
29.	Pratapgarh	General Manager District Industries Centre Room No. 138, Mini Secretariat (District Collectorate) Dhariawad Road,Pratapgarh-312605	dicpratapgarh@rajasthan.gov.in
30.	Rajsamand	General Manager District Industries Centre Collectorate Campus, Near Tehsil Office Rajsamand-313326	dicrajsamand@rajasthan.gov.in
31.	Sawai Madhopur	General Manager District Industries Centre Collectorate Road, M.P. Colony Sawai Madhopur-322001	dicsawaimadhpor@rajasthan.gov.in
32.	Sikar	General Manager District Industries Centre RIICO Industrial Area, Jaipur Road Sikar-332001	dicsikar@rajasthan.gov.in

S. N.	<i>District</i>	<i>Address</i>	<i>Email</i>
33.	Sirohi	General Manager District Industries Centre National Highway No.14, Near Sanjeevni Hospital Sirohi-307001	dicsirohi@rajasthan.gov.in
34.	Sri Ganganagar	General Manager District Industries Centre Industrial Estate, Near Police Line, Sri Ganganagar-335001	dicsriganganagar@rajasthan.gov.in
35.	Tonk	General Manager District Industries Centre Near Sindhi Colony, Jaipur Road Tonk-304001	dictonk@rajasthan.gov.in
36.	Udaipur	General Manager District Industries Centre Mewar Industrial Area, Madri Udaipur-313003	dicudaipur@rajasthan.gov.in

